FOR REFERNCE ONLY.

माला, खंड 2, अंक 1

सोमवार, 5 जुलाई, 2004
14 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Acc. No. 57
Dated 3/21.05

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 5 जुलाई, 2004/14 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	(iii)—(xxi)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xxiii)
मंत्रिपरिषद्	(xxv)—(xxvii)
राष्ट्रगान	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	4–72
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 174	72–311
सभा पटल पर रखे गए पत्र	312–316
नियम 377 के अधीन मामले	316–323
(एक) आंध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादकों के कल्याणार्थ समुचित उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री रायापति सांबासिवा राव	316–317
(दो) सरकार बल्लभ भाई पटेल के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक सोसायटी को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिन्शा पटेल	317
(तीन) आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में पुलीचिंतला जलाशय के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के.एस. राव	317–318
(चार) तमिलनाडु में डिंडीगुल-पलानी-कोयम्बटूर-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-209 पर ओडनचत्रम टाउन में दोतरफा सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	318
(पांच) उड़ीसा के मल्कानगिरी, जेपोर, नवरंगपुर और उमरकोट से होते हुए आंध्र प्रदेश में खम्माम और छत्तीसगढ़ में धनतारी के बीच रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री परसुराम माझी	318–319

विषय		कॉलम
(छह)	मानसरोवर, सिंधु दर्शन और अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की समुचित सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. सत्यनारायण जटिया	319
(सात)	उत्तर प्रदेश के जालौर जनपद के जयप्रकाश नगर में लगी आग में अनुसूचित जाति के जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	319–320
(आठ)	मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	320
(नौ)	केरल में क्विलोन बाइपास परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. राजेन्द्रन	320–321
(दस)	उत्तर प्रदेश के आगरा में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राज बब्बर	321
(ग्यारह)	बिहार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय पैकेज मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विजय कृष्ण	321–322
(बारह)	पाकिस्तान उच्चायोग से वीजा प्राप्त करने में भारतीयों को हो रही समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता	
	श्री कमला प्रसाद रावत	322
(तेरह)	उड़ीसा के बालासोर दूरसंचार सर्किल में लगायी गई डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अर्जुन सेठी	322
(चौदह)	झारखंड सरकार को राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	322[illegible]
(पन्द्रह)	जाम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 78 हेक्टेयर वन भूमि दिए जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	323
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	324
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	325–328
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	327–328
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	329–330

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अं

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए.आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अ

अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ़)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरुनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफजाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्लाह, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज जी. (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास बंडु (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आडीकेसावुलु, श्री डी.के. (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (पेरियाकुलम)

इ

इंगती, श्री बिरेन (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोबिचेट्टिपालयम)

उ

उरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओ

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

क

कटारा, श्री बाबुभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी सैलजा (अम्बाला)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार (मिर्जापुर)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरूम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूँटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू. वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोल, श्री लालचन्द्र (राबर्टसगंज)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस.के. (पलानी)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पी. (वाशिम)

गांधी, श्री प्रदीप (राजनंदगांव)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई उत्तर-मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

च

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हि.प्र.)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी.के. (त्रिचूर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उ.प्र.)

चर्चील, श्री अलीमाऊ (मारमुगाओ)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगाँव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खाँ (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ.प्र.)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

ज

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरुचेन्गोड़े)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहन लाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी.के. (अमरेली)

ड

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिल्लों, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

त

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थ

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

द

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

दरबार, श्री छत्तर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

ध

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक (वारंगल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

न

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

नायडु, श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली (बौब्बिली)

नायर, श्री पी.के. वासुदेवन (तिरुअनन्तमपुरम)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

नीतीश कुमार, श्री (नालन्दा)

प

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभाई अम्बालाल (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पनबाक, श्रीमती लक्ष्मी (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलनिसामी, श्री के.सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पाटले, श्री शिशुपाल एन. (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी.बी. (नांदेड़)

पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी. (सांगली)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड़)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवाजी अधलराव (खेड़)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लाटूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री राजाराम (बिल्हौर)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहाँपुर)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, कुमारी सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ.प्र.)

बेल्लारमिन, श्री ए.वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कोलकता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के.एस. (अलेप्पी)

मनोज कुमार, श्री (पलामू)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्री सुनिल कुमार (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उदुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकंठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुंशी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोदी, श्री सुशील कुमार (भागलपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

य

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

र

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड़ श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

रिजीजू, श्री खीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नान्दयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करुणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

ल

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

व

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी.एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरुपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

श

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरुण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मो. (सिवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाह, ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करुणा (जाँजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

स

संगमा, श्री पी.ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच.टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रुबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कोलकाता उत्तर-पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चन्द्रशेखर (बरहामपुर)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अजीत कुमार (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सीधी)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामसेवक (ग्वालियर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फुलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृष्णा नगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. (दावनगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कोलकाता उत्तर-पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरी)

सुजाता, श्रीमती सी.एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्री मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

ह

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमजा, श्री टी.के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हसन, श्री मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री गिरिधर गमांग

श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2ः मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया:

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।''

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

भारत का राष्ट्रपति।

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं जैसे:
	1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय;
	2. योजना मंत्रालय;
	3. परमाणु ऊर्जा विभाग; तथा
	4. अंतरिक्ष विभाग
श्री प्रणब मुखर्जी	रक्षा मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री रामविलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री शीश राम ओला	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री टी.आर. बालू	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री के. नटवर सिंह	विदेश मंत्री
श्री कमलनाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री पी.एम. सईद	विद्युत मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	जल संसाधन मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री

श्री सुनील दत्त	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री के. चन्द्रशेखर राव	निर्विभाग मंत्री
श्री शिबु सोरेन	कोयला और खान मंत्री
श्री ए. राजा	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री दयानिधि मारन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अन्बूमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जगदीश टाइटलर	अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ऑस्कर फर्नांडिस	सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल्ल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय हान्डिक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाक लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दसारी नारायण राव	कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. रहमान खान	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. नरेन्द्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 5 जुलाई, 2004/14 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, दागी मंत्रियों का जो मुद्दा है, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया श्री के. येरननायडू को पहले शपथ लेने दीजिए। जी हां, महासचिव महोदय।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्नकाल होगा। श्री एस. अजय कुमार।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अभी तक दागी मंत्रियों को हटाया नहीं गया है। *...(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी ने उन्हें क्लीन चिट दे दीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्न काल के पश्चात् आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं? पहले, प्रश्नकाल समाप्त होने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: दागी मंत्रियों को क्लीन चिट देने के बाद *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एस. अजय कुमार

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न काल समाप्त होने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: दागी मंत्रियों के सवाल पर जब तक निर्णय न हो, *...(व्यवधान)* सरकार ने दागी मंत्रियों को अभी तक नहीं हटाया है। दागी मंत्रियों को हटाया जाये। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): मल्होत्रा जी, आप क्या करा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया प्रश्नकाल के बाद यह मुद्दा उठाएं। नि:संदेह मैं आपको अनुमति दूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न काल शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बारी-बारी से बोलिए। कृपया बैठ जाइए। आप हमें इसके बारे में बताइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। आप जिस भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं मैं आपको उस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाइए। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप बारी-बारी से बोल सकते हैं। प्रो. मल्होत्रा जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप उनको बोलने तो दीजिए। उनको बोलने का मौका दीजिए

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

*1. **श्री एस. अजय कुमार:**
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा और नई दिल्ली में ओखला स्थित बहुसंख्यक निर्यात इकाइयों में ऐसे ठेका श्रमिक हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, ई.एस.आई., भविष्य निधि और अन्य लाभ नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों से श्रम कानूनों के उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ठेका श्रमिकों सहित कामगारों की सभी श्रेणियों और निर्यात इकाइयों सहित सभी इकाइयों के संबंध में प्राप्त श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतों की संख्या ओखला (दिल्ली) में 1120 और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 582 है।

शिकायतें प्राप्त होने पर विशिष्ट शिकायतों की जांच करके उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाएं।

शीतल पेय कंपनियों द्वारा भू-जल का उपयोग

*2. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
श्री उदय सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने जल संसाधन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति द्वारा दिए गए निवेश के बाद देश के विभिन्न भागों में शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों द्वारा कितने भू-जल का उपयोग किया जा रहा है, की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और यदि कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है तो वह क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भू-जल के उपयोग के कारण भू-जल-स्तर में अत्यधिक गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की 21 अगस्त, 2003 को आयोजित बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के विभिन्न भागों में शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों द्वारा भूजल उपयोग संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क किया था। इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित 20 शीतल पेय इकाइयों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। इन इकाइयों के स्थान और इनके द्वारा औसत मासिक भूजल उपयोग दर्शाते हुए ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य में खेड़ा मोतीभोयान, अहमदाबाद क्षेत्र और राजस्थान राज्य में चोमू और जयपुर क्षेत्रों में स्थित 5 शीतलपेय कंपनियों में और उनके आस-पास जल स्तर में 0.1 मीटर/वर्ष से 1.7 मीटर/वर्ष तक की गिरावट का रुख पाया गया। केवल शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों द्वारा भूजल की निकासी को ही इस गिरावट के रुख का कारण नहीं माना जा सकता। गिरावट का यह भारी रुख सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूजल निकासी का भी संचयी प्रभाव है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के अति-दोहन को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपायों की परिकल्पना की गई है:

(1) भूजल निकासी का विनियमन।

(2) कृत्रिम पुनर्भरण अपनाना।

(3) औद्योगिक गंदे जल का उपचार और पुन:चक्रण।

विवरण

क्र.सं.	शीतल पेय बनाने वाली कंपनी का नाम	स्थान	औसत मासिक भूजल उपयोग (किलोमीटर)
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान कोका कोला बाटलिंग साउथ ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड	मौला अली, हैदराबाद; आंध प्रदेश	शून्य
2.	हिन्दुस्तान कोका कोला बाटलिंग साउथ ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड	अमीनपुर, रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश	शून्य
3.	नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (कोका कोला)	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2345.5
4.	छत्तीसगढ़ बेवरेजेस (पेप्सी)	उर्ला, रायपुर, छत्तीसगढ़	शून्य
5.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	गोबलेज, खेड़ा, गुजरात	28500
6.	सुरबी मिल्क फूड्स एंड बेवरेजेस लमिटेड (कोका कोला)	गांव मोतीभोयान, कलोल, गांधीनगर, गुजरात	9900
7.	पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात	2340

1	2	3	4
8.	पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	झगदिया, भरूच, गुजरात	शून्य
9.	पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	नीलमंगला, बंगलोर, कर्नाटक	30600
10.	पेप्सिको	बंगलोर, मैसूर रोड, कर्नाटक	7170
11.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	बंगलोर, कर्नाटक	4200
12.	कोका कोला	पलाचिमदा, पलक्कड, केरल	15000
13.	पेप्सी कोला	पालघाट जिला, केरल	शून्य
14.	कोका कोला	पीलूखेडी, जिला राजगढ, मध्य प्रदेश	शून्य
15.	तृप्ति ड्रिंक्स (पी) लिमिटेड (पेप्सी का विशेषाधिकार)	जगतपुर, कटक, उड़ीसा	6000
16.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस (पी) लिमिटेड	खुर्दा, उड़ीसा	शून्य
17.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस (पी) लिमिटेड	चोमु, जयपुर, राजस्थान	16,500
18.	जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (पेप्सी)	जयपुर, राजस्थान	6300
19.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस (प्राइवेट लिमिटेड)	डासना, तहसील हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	75000
20.	डायमंड बेवरेजेस (कोका कोला)	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	4380

किसानों द्वारा आत्महत्या

***3. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और केरल में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने मामलों का पता चला है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं में अचानक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई विशेष पैकेज देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) राज्य सरकार

द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	आत्महत्याओं की संख्या
1999	151
2000	34
2001	62
2002	36
2003 (जून तक)	8
2004 (14.5.2004-1.7.04)	144
कुल:	435

तथापि, वर्ष 1999-2003 और वर्ष 2004 के पिछले छः महीनों के दौरान केरल राज्य सरकार द्वारा किसानों की आत्महत्या के किसी मामले की कोई सूचना नहीं दी गई है।

अन्य राज्यों में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या संबंधी स्थिति रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस प्रकार है:

राज्य	आत्महत्याओं की सं.	अवधि
कर्नाटक	469	(1.4.99 से 18.10.2003)
उड़ीसा	100	(1.4.99 से 5.8.2003)
पंजाब	3	(1.4.99 से 31.3.2003)
राजस्थान	3	(1.4.99 से जून, 2003)
त्रिपुरा		(1.4.99 से जून, 2003) हालांकि कुछ किसानों ने आत्महत्या की है, परंतु कोई संख्या सूचित नहीं की गई है।

(ग) इस प्रकार की आत्महत्याओं के कारण मोटे तौर पर निम्नलिखित हो सकते हैं:

* फसल का खराब होना।
* ऋणों पर ऊंची ब्याज दर के कारण कर्जदारी
* सूखा
* सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा
* पारिवारिक विवाद, वैवाहिक असामंजस्य

(घ) और (ङ) किसानों की समस्याओं की कम करने के लिए सरकार ने केन्द्रित और प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है:

* तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दुगुना करना, ऋण और ऊंची ब्याज दर के दबाव को कम करना।
* शुष्क भूमि कृषि, बागवानी उत्पादन और जल प्रबंधन और बढ़ावा देना।
* अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन।
* उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के उत्पाद को बाजार समर्थन।
* प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई उत्पादन क्षति के लिए फसलों का बीमा।
* विभिन्न कृषि और बागवानी फसल उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों को सहायता।

[हिन्दी]

बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना

***4. श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने बागवानी के समग्र विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन'' से संबंधित एक विशेष पैकेज घोषणा की थी। इन राज्यों में यह स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई। इसके पश्चात् यह स्कीम दसवीं योजना के दौरान बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू-कश्मीर में भी लागू की गई। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुसंधान, उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन, विपणन एवं प्रसंस्करण को कवर करते हुए बागवानी

विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चार मिनी मिशनों के माध्यम से मिशन मोड एप्रोच अपनाते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा देश में बागवानी विकास के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित स्कीमें भी क्रियान्वित की जा रही हैं:

1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम जैसे वाणिज्यिक बागवानी का विकास और शीत गृहों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीमें।
2. भारत में नारियल उद्योग के समेकित विकास कार्यक्रम तथा नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से नारियल विकास।
3. जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की समेकित विकास स्कीम, और
4. बागवानी में मानव संसाधन विकास।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रभावित परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन

***5. श्री शिवराज सिंह चौहानः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में ऐसे सूखा प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) विगत एक वर्ष में मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने सूखे की कोई सूचना अथवा घोषणा नहीं की है। जून, 2003 के बाद से इन राज्यों में वर्षा की स्थिति भी सामान्यतः संतोषजनक दिखाई पड़ती है।

पिछले कई वर्षों से बिहार राज्य ने भी सूखे की कोई घोषणा अथवा सूचना नहीं दी है।

बड़े स्तर पर भुखमरी की भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों तथा स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक इन राज्यों को उपलब्ध करवाए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े हजार टनों में)

स्कीम/कार्यक्रम	आबंटन					
	2003-04			2004-05		
कल्याण स्कीमें	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
1	2	3	4	5	6	7
I. उड़ीसा						
अन्नपूर्णा	7.78	-	7.78	7.78	-	7.78
मिड डे मील	132.31	-	132.31	123.42	-	123.42
गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम	-	-	-	68.88	-	68.88
अनु.जाति/अनु.जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग होस्टल/ कल्याण संस्थान	74.16	-	74.16	18.54	-	18.54

1	2	3	4	5	6	7
एस.जी.आर.वाई. का विशेष घटक	522.00	–	522.00	–	–	–
एस.जी.आर.वाई. (सामान्य)	276.91	–	276.91	174.64	–	174.64
किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम	12.10	–	12.10	–	–	–
आपातकालीन पोषण (फीडिंग) कार्यक्रम	14.40	–	14.40	14.40	–	14.00
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.पी.)						
अन्त्योदया अन्न योजना	212.316	0.000	212.316	17.693	0.000	17.693
गरीबी रेखा के नीचे	1484.376	0.000	1484.376	123.698	0.000	123.698
गरीबी रेखा के ऊपर	795.564	360.000	1155.564	66.297	30.000	96.297
II. बिहार						
अन्नपूर्णा	8.00	11.99	19.99	8.00	12.00	20.00
मिड डे मील	88.97	156.33	245.30	88.97	156.33	245.30
गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–
अनु.जाति/अनु.जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग होस्टल/ कल्याण संस्थान	44.40	66.60	111.00	11.10	16.65	27.75
एस.जी.आर.वाई. का विशेष घटक	–	–	–	–	–	–
एस.जी.आर.वाई. (सामान्य)	368.92	–	368.92	253.81	–	253.81
किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम	23.00	–	23.00	–	–	–
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.पी.)						
अन्त्योदय अन्न योजना	168.000	252.000	420.000	14.000	21.000	35.000
गरीबी रेखा के नीचे	887.712	1331.472	2219.184	73.976	110.956	184.932
गरीबी रेखा के ऊपर	916.572	1374.948	2291.520	76.381	114.579	190.96

1	2	3	4	5	6	7
III. मध्य प्रदेश						
अन्नपूर्णा	–	–	–	–	–	–
मिड डे मील	37.75	128.08	165.83	39.99	121.83	161.82
गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम	–	80.00	80.00	–	60.00	60.00
अनु.जाति/अनु.जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग होस्टल/ कल्याण संस्थान	12.72	51.00	63.72	2.55	14.37	16.92
एस.जी.आर.वाई. का विशेष घटक	127.98	349.78	477.76	–	–	–
एस.जी.आर.वाई. (सामान्य)	63.58	283.60	347.18	57.26	153.28	210.54
किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम	12.20	–	12.20	–	–	–
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.पी.)						
अन्त्योदया अन्न योजना	54.113	276.492	330.605	4.981	28.226	33.207
गरीबी रेखा के नीचे	204.946	1020.397	1225.343	16.675	94.491	111.166
गरीबी रेखा के ऊपर	464.816	2070.556	2535.372	31.692	179.589	211.281

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन

***6. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस कार्य सूची का ब्यौरा क्या है जिस पर उस सम्मेलन में चर्चा की गई थी और उसका परिणाम क्या रहा;

(ग) क्या श्रमिकों विशेषकर उन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो मत्स्यन क्षेत्र में कार्यरत हैं, श्रम कानूनों को और अधिक कड़ा बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

* वर्ष 2002-03 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन और उचित वैश्वीकरण कर महानिदेशक की रिपोर्टें।

* मूलभूत सिद्धांतों और कार्य स्थल पर अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन घोषणा के अनुपालन के अंतर्गत ''सामाजिक न्याय हेतु व्यवस्था'' पर वैश्विक रिपोर्ट।
* मानव संसाधन विकास सिफारिश संख्या 150 में संशोधन। (मानक निर्धारण: सिफारिश स्वीकार करने की दृष्टि से द्वितीय विचार-विमर्श)।
* प्रवासी कामगारों के प्रति उचित व्यवहार (एक एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित सामान्य चर्चा)।
* मछली उद्योग क्षेत्र में कार्य दशाएं (मानक निर्धारण: सिफारिश सहित अभिसमय (कन्वेंशन) स्वीकार करने की दृष्टि से प्रथम विचार-विमर्श)।
* अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 16 सिफारिशों को वापस लिया जाना।

सम्मेलन ने अनुपयोगी समझी गयीं 16 सिफारिशों को वापस लेने का अनुमोदन किया तथा मानव संसाधन विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सिफारिश संख्या 150 में संशोधन करते हुए एक नई सिफारिश भी स्वीकार की।

(ग) और (घ) मछली उद्योग क्षेत्र में कार्य दशाओं के विषय पर प्रथम विचार-विमर्श के दौरान, सम्मेलन ने मछली उद्योग क्षेत्र में सुरक्षा और कार्य दशाओं में सुधार हेतु विद्यमान पांच अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों (कन्वेंशन) और दो सिफारिशों में संशोधन करते हुए नए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज तैयार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इस विषय पर द्वितीय और अंतिम विचार-विमर्श जून, 2005 में होने वाले सम्मेलन में किया जाएगा।

ओलंपिक टार्च रिले

***7. श्री पी. राजेन्द्रन:**
श्री मित्रसेन यादव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा हाल ही में दिल्ली में एक भव्य ओलंपिक टार्च रिले का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसमें पी.टी. ऊषा और अन्य खिलाड़ियों सहित प्रमुख खेल हस्तियों की उपेक्षा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां। ओलंपिक टार्च रिले का आयोजन दिल्ली में 10 जून, 2004 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) द्वारा एथेन्स ओलंपिक समिति (ए.टी.एच.ओ.सी.) के अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक कोकाकोला और सैमसंग के साथ संयुक्त रूप से किया गया था।

(ख) ए.टी.एच.ओ.सी. द्वारा भारत में कुल 105 मशाल धारक निर्धारित किये गये थे, जो कि निम्नानुसार हैं:

भारतीय ओलंपिक संघ तथा नगर सरकार-28; राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ)-2; कोकाकोला-42; सैमसंग-25 तथा ए.टी.एच.ओ.सी.-8।

(ग) और (घ) भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया है कि उनके द्वारा आमंत्रित व्यक्तियों में सुश्री पी.टी. ऊषा सहित अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता/प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल थे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु लघु बागवानी मिशन

***8. श्री सर्वानन्द सोनोवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) हेतु लघु बागवानी मिशन के अन्तर्गत लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एस.एफ.ए.सी.) को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) इस धनराशि के उपयोग की कार्यविधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-02 अर्थात् नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से कार्यान्वित की जा ही है। इस वर्ष के दौरान स स्कीम के मिनिमिशन-II, III और IV के अन्तर्गत लघु कृषक कृषि-व्यापार परिसंघ (एस.एफ.ए.सी.) को 5713.10 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई।

यह स्कीम अपने चार मिनि मिशनों के साथ मिशन मोड एप्रोच में कार्यान्वित की जा रही है। मिनिमिशन-I अनुसंधान और

प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मिनिमिशन-II उत्पादन और उत्पादकता में सुधार से संबंधित है और इसका समन्वयन कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा तथा कार्यान्वयन राज्यों के कृषि/बागवानी विभाग द्वारा किया जाता है। मिनिमिशन-III फसलोपरान्त प्रबन्धन, विपणन तथा निर्यात से संबंधित है और इसका समन्वयन कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा तथा कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मिनिमिशन-IV प्रसंस्करण से संबंधित है और इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

इस स्कीम के अन्तर्गत, संबंधित राज्य सरकारें वार्षिक कार्य योजनाओं के साथ अपने प्रस्ताव भेजती हैं। स्वीकृत कार्य योजनाओं के आधार पर, भारत सरकार विभिन्न मिनि-मिशनों के अन्तर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंन्सियों को निधियां रिलीज करती हैं। मिनिमिशन-I के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए निधियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से और मिनिमिशन II, III और IV के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों को छोड़कर, लघु कृषक कृषि-व्यापार परिसंघ के माध्यम से दी जाती है।

वर्ष 2001-02 के दौरान, सभी चार मिनिमिशनों के अन्तर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कुल 6724.96 लाख रुपए की धनराशि रिलीज की गई। इस अवधि के दौरान, उत्पादकता सुधार हेतु अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न बागवानी फसलों के अन्तर्गत 12416 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया। विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत कवर किए गए क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार :

फल	:	4859 हैक्टे.
सब्जियां	:	2535 हैक्टे.
मसाले	:	2805 हैक्टे.
बागानी फसलें	:	781 हैक्टे.
पुष्प	:	273 हैक्टे.
औषधीय पौधे	:	390 हैक्टे.
सुगन्धीदायक पौधे	:	773 हैक्टे.

इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में बागवानी उत्पादों के विपणन तथा प्रसंस्करण में सुधार के लिए अवसंरचना सुविधाएं अर्थात् 16 थोक मंडियां, 56 ग्रामीण प्राथमिक मण्डियां और 8 प्रसंस्करण इकाईयां भी स्थापित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों में खराब प्रदर्शन

***9. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों विशेषकर आगामी ओलंपिक तथा राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन सुधारने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2002 से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय है। भारत ने (पिछले खेलों में 25 पदकों के मुकाबले) राष्ट्रमंडल खेल 2002 में रिकार्ड 69 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद बुसान एशियाई खेलों में भी यह प्रदर्शन बरकरार रहा जिसमें भारत ने 36 पदक जीते। तब से हैदराबाद में आयोजित प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल और 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित पिछले सैफ खेलों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

भारत सरकार ने खेल अवस्थापना प्रदान करने के अतिरिक्त आने वाले ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

(1) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, विशेषज्ञ खेल वैज्ञानिकों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए लंबी अवधि की विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(2) खिलाड़ियों के लिए उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।

(3) प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय व विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता।

(5) टीमों को विदेश में गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

(6) प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना" और "राष्ट्रीय खेल ।वेकास निधि की योजनाओं" के अंतर्गत उपस्करों

की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा देश और विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सहायता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि नीति

***10. श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों में भारतीय लड़कियों का शोषण

***11. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में आकर्षक रोजगार उपलब्ध कराने के बहाने देश के विभिन्न हिस्सों से निर्धन लड़कियों को खाड़ी के देशों में भेजने की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद ऐसे कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी धोखाधड़ियों का पता लगाने हेतु कोई जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु राज्यों को धनराशि

***12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को कोई ऐसी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है जो कि वर्तमान में बड़ी और मंझोली परियोजनाओं तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी पांच वर्षों में कितने भू-क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) लघु सिंचाई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार विशेष श्रेणी राज्यों अर्थात सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा के केबीके जिलों, पर्वतीय राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरांचल को वर्ष 1999-2000 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराती है तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सहायता वृहद और मध्यम परियोजनाओं तक सीमित नहीं है।

3810 लघु सिंचाई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त राज्यों को मार्च, 2004 तक 322.54 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) कृषि के तहत लाया जाने वाला क्षेत्र वार्षिक आधार पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तावित स्कीमों के अनुरूप होती है।

भू-जल स्तर में गिरावट

***13. श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री के.एस. राव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने राज्यों में भू-जल के स्तर में भारी गिरावट की भविष्यवाणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ राज्यों को क्या निर्देश दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004-05 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(च) क्या दिल्ली में सभी भवनों में वर्षा जल संचयन संबंधी प्रणाली कार्यान्वित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (छ) जल संसाधन मंत्रालय के तहत आने वाले केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्ष 1983-2002 के दौरान किए गए भूजल स्तरों के दीर्घकालीन विश्लेषण से देश के विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों में भूजल स्तरों में 4 मीटर से अधिक की गिरावट का पता चलता है। ऐसे राज्यों/जिलों के नाम, जहां पिछले बीस वर्ष (1983-2002) के दौरान जल स्तर में गिरावट वाले स्थान हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन के लिए स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का होता है। भूजल के अतिदोहन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

(1) देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(2) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया गया जिसे 1992 और 1996 में पुनः परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(4) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(5) भूजल प्रबन्धन और विकास के विनियमन और नियन्त्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(6) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूबीइंडिया.काम) की शुरूआत करना।

वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग के दौरान कार्यान्वयन के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के वास्ते 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया है। यह स्कीम भारत सरकार के विचाराधीन है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 40 करोड़ रुपये के बजट आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्षा जल संचयन संबंधी आवश्यकताओं और तकनीकों के संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 51 लाख रुपये की लागत से देश में 51 जनजागरूकता कार्यक्रमों और 51 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का भी प्रस्ताव किया है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भवन उपनियम, 1983 में संशोधन किया है जिसके द्वारा दिल्ली में 100 वर्ग मी. और उससे ऊपर के सभी नये भवनों में वर्षा जल सहित जल अपवाह के भंडारण के माध्यम से जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य बना दिया गया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी, एमईएस जैसे विभिन्न सरकारी अभिकरणों को और साथ ही ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों और गैर-सरकारी संगठनों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं की डिजाइन सहित तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने अभी तक 1354 स्थानों के लिए वर्षा जल संचयन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया है जिनमें 458 सरकारी भवन तथा कालोनियां शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना के लिए अनुदेश जारी कर चुकी है। 822 सरकारी भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाओं की स्थापना की जा चुकी है। केन्द्र सरकार के भवनों में छत के वर्षा जल के संचयन संबंधी स्कीम को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है, की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए महानिदेशक (कार्य), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का भी गठन किया

गया है। कार्य बल ने उन परिसरों की पहचान करने का निर्णय लिया है जहां पर छत के वर्षा जल संचयन को अपनाया जाना है। तदनुसार, ऐसी प्रणाली की संस्थापना के लिए अभी तक 57 भवनों की पहचान की गई है। केन्द्रीय भूमि बोर्ड ने भी दिल्ली में 19 वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है।

विवरण

मानसून पूर्व अवधि के दौरान विगत 20 वर्षों (1983-2002) में जल स्तर (आंशिक रूप में) की गिरावट को दर्शाते हुए जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य	4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्शाने वाले जिले (20 से.मी. प्रति वर्ष से अधिक की दर से)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगा रेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजियानगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग
3.	असम	जोरहाट, करबी आंगलोंग, मोरीगांव
4.	बिहार	दरभंगा, गया, खगड़िया, समस्तीपुर
5.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दांतीवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जंजगीर-चंपा, कांकेर, कोरबा, रायगढ़
6.	दिल्ली	मध्य, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम
7.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, डांग्स, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, बलसाड।
8.	हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा
9.	झारखंड	गुमला, पलामू
10.	कर्नाटक	बंगलौर, बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हासन, हवेरी, कोलार, कोप्पला, मांड्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़
11.	केरल	इदुकी, कन्नूर, कोल्लम
12.	मध्य प्रदेश	बरवानी, बेतुल, भिंड, भोपाल, छत्तरपुर, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंगपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रायगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, टीमकगढ़, उज्जैन, विदिशा, छिंदवाड़ा।
13.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलदाना, चंद्रपुर, धुले, गडचिरौली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सोलापुर, थाने, वर्धा, यावतमल
14.	मेघालय	पश्चिम गारो पहाड़ियां

1	2	3
15.	उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बोलंगीर, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जजपुर, कालाहांडी, खुर्दा, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नवापाड़ा, नयागढ़, नौरंगपुर, फुलबनी, पुरी, रायगदा, संबलपुर, सोनपुर, सुंदरगढ़
16.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर
17.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
18.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कराईकल, नमक्कल, पेरम्बलुर, पदुकोट्टाई, रामनाथपुरम, शिवगंगा, तंजावूर, थेनी, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवेल्लूर, तिरूवन्नामलाई, तिरूवरूर, विलुपुरम
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव
20.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, वर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिण दीनाजपुर, हावड़ा, हुगली, जलपाईगुड़ी, मेदनीपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर-24 परगना, पुरूलिया, दक्षिण-24 परगना

भंडारण गोदाम

***14. श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री शिवाजी अधलराव पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) और केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) ने विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थितिनुसार राज्यवार ये गोदाम कहां-कहां पर स्थित हैं और इनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम का विचार 4.67 लाख टन की भंडारण क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इन संगठनों द्वारा देश में गोदामों के निर्माण में कितना निवेश किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में स्थानवार इनकी क्षमता में कितनी वृद्धि हुई; और

(छ) आगामी तीन वर्षों के दौरान कितनी भंडारण क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्मित गोदामों के स्थान और भंडारण क्षमता के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 4.54 लाख टन के लक्ष्य के प्रति 3.96 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया था जो लक्ष्य का लगभग 87% है। लक्ष्य के प्रति कमी का मुख्य कारण कुछ स्थानों पर उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होना और मौसम

संबंधी अप्रत्याशित परिस्थितियों आदि के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब होना है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष (मई, 2004 तक) में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण में किया गया निवेश निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम		केन्द्रीय भंडारण निगम	
	खर्च (करोड़ रुपये में	जोड़ी गई भंडारण क्षमता (लाख टन)	खर्च (करोड़ रुपये में	जोड़ी गई भंडारण क्षमता (लाख टन)
2001-02	28.50	1.61	107.06	4.75
2002-03	30.00	0.94	83.61	3.59
2003-04	23.49	1.33	60.19	3.14
2004-05 (मई, 2004 तक)	0.80	0.13	6.04	शून्य

स्थानों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(छ) 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के लिए नई भंडारण क्षमता का निर्माण करने हेतु भारतीय खाद्य निगम का 2.08 लाख टन और केन्द्रीय भण्डारण निगम का 2.90 लाख टन का भौतिक लक्ष्य है।

विवरण I

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित खाद्यान्न भंडारण गोदामों (ढके हुए) के स्थान और भंडारण क्षमता का ब्यौरा

(1.3.2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारतीय खाद्य निगम	
		स्थान	भंडारण क्षमता (लाख टन में)
1	2	3	4
1.	बिहार	दरभंगा	5740
		जयनगर	9670
		गया	64720
		गया बिन्स	32000
		चनपतिया	6280
		नारायणपुर अनन्त	36670
		मुजफ्फरपुर	7600
		बेलोरी	8980
		कटिहार	10840
		बक्सर	25000
		दीघाघाट	29000
		मोकामा	57630
		फुलवारी शरीफ	56970
		सहरसा	14640
		जोड़	365740
2.	झारखंड	धनबाद	13740
		जसीडीह	12500
		गुमला	4170
		डाल्टनगंज	14640
		जमशेदपुर	10840
		रांची	11670
		जोड़	67560
3.	उड़ीसा	जलेश्वर	5000
		रानीताल	20000

1	2	3	4
		रूपसा	10000
		बारबील	5000
		क्योंझर	7500
		बादामपहाड़	10000
		जगन्नाथपुर	14420
		परलाखेमुण्डी	10000
		फुलबनी	7500
		अंगुल	5000
		धेनकनाल	10000
		जयपोर (उमेरी)	17500
		नवरंगपुर	10000
		रायगढ़	10000
		अट्टबीरा	8340
		हीराकुण्ड	20000
		झारसुगुडा	10000
		राउरकेला	12500
		बालीझारी	40000
		डुंगरपल्ली	15000
		केसिंगा	13340
		भुवनेश्वर	8140
		खुर्दा रोड	16480
		जोड़	285720
4.	पश्चिम बंगाल	बिकना	24480
		आद्रा	80000
		बांकुरा (एमआरएम)	2310
		अबदारपुर	43200
		बाबुरहट	5000
		चिनसुराह	5000
		श्रीरामपुर	6240
		धनकुनी	20000
		मंगलाबाड़ी	26500
		मिदनापुर	35780
		बहरामपुर	11280
		भटजुंगला	20000
		नबाद्वीप	1260
		बलरामपुर	8200
		चर्राह	17560
		अशोकनगर	5000
		बुनियादपुर	21200
		रायगंज	7500
		बुनियादपुर (एमआरएम)	1200
		दुर्गापुर	25260
		सीतारामपुर	8200
		ओम बज बज	110470
		कल्याणी	117380
		जेजेपी	174000
		सीलो/डाक	19000
		सिलीगुड़ी (देबग्राम)	68000
		जोड़	874020
5.	सिक्किम	रंगपू	9680
6.	असम	गुवाहाटी	31060
		टिहू	9040
		सिन्नोमेरा	13480
		गोसीगांव	7100
		धीमाजी	5640

1	2	3	4
		नारायणपुर	15000
		लखीमपुर (एमआरएम)	8980
		दिफू	5000
		होजाई	12700
		सनचोवा	6920
		होजाई (एमआरएम)	4540
		बदरपुरघाट	5000
		रामनगर	20000
		जोगीगोप्पा	5000
		डिब्रूगढ़	11280
		तिनसुकिया	9420
		बिंदुकुरी	12500
		टंगला	16280
		खारसांग	5000
		भालुकपोंग	5000
		बांदरदेवा	5000
		पासीघाट	2500
		जोड़	216800
7.	अरुणाचल प्रदेश	खारसांग	5000
		भालुकपोंग	5000
		बांदरदेवा	5000
		पासीघाट	2500
		जोड़	17500
8.	मेघालय	तुरा	5000
		शिलांग	5000
		जोवाई	3750
		जोड़	13750

1	2	3	4
9.	मिजोरम	कोलासिब	5000
		लुंगलेई	3000
		आईजोल	4590
		भाईराबी	5000
		जोड़	17590
10.	त्रिपुरा	धरमनगर	12510
		चुराईबारी	1670
		नन्दन नगर	5000
		जोड़	19180
11.	मणिपुर	सोनगाईप्रोव इम्फाल	12750
		उखरूल	5000
		जोड़	17750
12.	नागालैण्ड	दीमापुर	10000
		मोकोचुंग	2500
		टुइंगसांग	2500
		मान	2220
		जोड़	17220
13.	दिल्ली	नारायणा	81660
		न्यू पूसा (सीटीओ)	17620
		ओखला	13360
		नारायणा (साइलो)	21300
		नरेला	50000
		घेवरा	122130
		शक्तिनगर	30000
		जोड़	336070
14.	जम्मू एवं कश्मीर	छाता	13840
		जम्मू	21600
		कठुआ	5000
		खिल्लानी (डोडा)	2500

1	2	3	4
		राजोरी	2500
		पुंछ	2500
		अनन्तनाग (मिर्जापुर)	10200
		श्रीनगर	10200
		लेह	5000
		कारगिल	5000
		बारामुला	5000
		जोड़	83340
15.	हरियाणा	फरीदाबाद (साइलो)	20000
		पलवल	11060
		फरीदाबाद	43340
		बरवाला	10640
		भट्टू	15000
		भिवानी	11670
		भिवानी खेडा	10000
		डबवली	20000
		इल्लानाबाद	13340
		फतेहाबाद	19620
		हिसार	21920
		कलानवली	15000
		सिरसा (बीजी)	35020
		टोहान	10000
		सिरसा	22500
		अंबाला कैंट	11310
		करनाल	17230
		पानीपत	15000
		तराओडी	33560
		पानीपत (बीजी)	53340
		करनाल (एमआरएम)	4000
		गुल्हा चीका	22180
		धान्ड	9600
		करुक्षेत्र	10640
		कैथल	13560
		पेहोवा	23320
		शाहाबाद	2560
		कुरुक्षेत्र (बीजी)	30000
		कैथल (बीजी धान्ड)	70000
		गोहाना	22290
		नरवाना	8340
		रोहतक	23780
		सफीदून	9600
		सोनीपत	10000
		नरवाना (बीजी)	80920
		सफीदून (बीजी)	12500
		जोड़	762840
16.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	2500
		नूरपुर	5000
		हमीरपुर	1670
		चंबा	1670
		कुल्लू	1670
		जोड़	12510
17.	पंजाब	भगतनवाला	7600
		भरारीवाल	16150
		भिकीविंड	5000
		छभल-1	9630

1	2	3	4
		मेहटा	9850
		मजीठा	6120
		एन पन्नुवन	10000
		रैय्या	21500
		तरन तारन	12100
		वल्लाह	15000
		जन्दियाला-1	30000
		भटिंडा	29810
		भुच्चू	9460
		बुधालडा	10840
		मन्सा	12730
		रामपुराफुल	10000
		सरदुलगढ़	15000
		तलवन्डी साबू	15000
		खरड	7200
		कुरली	11900
		चौ साहिब	13340
		मोरिण्डा	7500
		अबोहर	15000
		धरमकोट	15000
		फजीलका	10000
		फिरोजपुर	10200
		गुरूहरसाहाई	20000
		जलालाबाद	22500
		लडुका	8340
		मखु	11670
		रोरानावली	8340
		तलवंडी	14400
		जीरा	18350
		भागापुरना	10000
		बरीवाला	18340
		भागसर	88840
		डोडा	12310
		फरीदकोट	27250
		कोटकापुरा	24750
		लखेवाली	11280
		मोगा	43410
		मलोट	10000
		निहालसिंहवाला	8750
		मोगा (साइलो)	20000
		कोटकापुरा (बीजी)	80000
		मलोट (बीजी)	50000
		भटाला-1	23300
		धारीवाल	18340
		गुरदासपुर	12120
		पठानकोट	25470
		बटाला-2	16200
		बालाचोर	16670
		दसुया	21270
		गढशंकर	6250
		होशियारपुर	15000
		मुकेरियां	10170
		नसारला	9870
		टण्डा	16670
		टण्डा (न्यू)	48360
		आदमपुर	10000
		अपरा	13590

1	2	3	4
		भोगपुर	3340
		जालन्धर	18760
		लोहिनखास	10000
		नकोदर	11380
		नवानशहर	38980
		लोडनवली	9460
		बग्गा	13940
		चावापैल	11000
		दोराहा	15640
		गोबिन्दगढ़ (साइलो)	20000
		हाथूर	15000
		जगरांव (साइलो)	20000
		जगरांव	27950
		जमालपुर	30000
		खिलारेईपुर	13750
		खम्मान	10000
		लुधियाना गिल रोड	18050
		मुल्लनपुर	17890
		खन्ना	45650
		मलोड	16670
		मचीवाडा	13140
		रायकोट	10430
		सेहनेवाल	75000
		संघोल	15580
		अमलोह	15000
		बनूर	13340
		चिनास्थल	14230
		दुधन	13490

1	2	3	4
		धनपुर	12240
		नबहा	20000
		पटियाला (न्यू)	79180
		पतरां	17140
		राजपुरा (न्यू)	60000
		समाना	12840
		सरहिंद	11890
		पटियाला	25100
		राजपुरा	11680
		अहमदगढ़	21760
		बरनाला	56920
		भडोर	13590
		भवानीगढ़	5000
		धुरी	20000
		खानोडी	10000
		मेहलकलां	12950
		मालेरकोटला	33340
		सुनाम	18470
		संगरूर	48140
		तापा	6920
		धुरी (बीजी)	61690
		भलोट	15000
		कपूरथला	10000
		फगवाड़ा	14390
		सुल्तानपुर लोधी	18340
		कपूरथला (न्यू)	15000
		जोड़	2196900

1	2	3	4
18.	राजस्थान	अलवर	13340
		भरतपुर	12310
		खेरली	13400
		धौलपुर	1160
		बीकानेर	17500
		चुरू	11930
		सुजानगढ़	8340
		सादुलपुर	9610
		झुंझुनु	13130
		गांधीनगर	26780
		बांदीकुंई	19710
		नेवाई	21340
		सीकर	13340
		बाड़मेर	25640
		पोखरण	15000
		जालौर	11920
		जोधपुर	27980
		बैरन	12500
		शिवपुरा	32180
		बूंदी	15000
		सवाई माधोपुर	91120
		भवानी मण्डी	10000
		केशोपाटन	11670
		हनुमानगढ़	56520
		श्रीविजयनगर	13160
		बांसवाड़ा	10000
		चंदेरिया	24000
		उदयपुर	41190
		सिरोही रोड	11670
		अजमेर	38840
		किशनगढ़	14420
		भीलवाड़ा	11680
		नागौर	16900
		पाली	13240
		मारवाड़ जंक्शन	10000
		जोड़	707030
19.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	–
20.	उत्तर प्रदेश	आगरा	51620
		शिकोहाबाद	24210
		मैनपुरी	540
		बरेली	39510
		पीलीभीत	7500
		परसाखेडा	25000
		बुलन्दशहर इमलिया	13340
		खुर्जा	16100
		श्यामनगर	8790
		खुर्जा (साइलो)	20000
		चांदपुर रोड	25840
		फैजाबाद	39230
		बाराबंकी	17560
		बाराबंकी (न्यू)	55000
		गोरखपुर	34280
		बस्ती	5740
		हापुड़	61860
		परतापुर	29580
		हापुड़ (साइलो)	15410
		झांसी	18980

1	2	3	4
		उरई	29480
		चन्देरी कानपुर	121080
		इटावा	13060
		चन्देरी कानपुर (साइलो)	72000
		तालकटोरा	39290
		रायबरेली	60000
		लखनऊ (साइलो)	20000
		मुरादाबाद	23350
		धमोड़ा	35000
		वाराणसी	70540
		व्यासनगर	25000
		मिर्जापुर	7310
		नैनी (इलाहाबाद)	51970
		फतेहपुर	8340
		पडरौना	2500
		आजमगढ़	22300
		अत्तरा	12310
		बांदा	5000
		महोबा	10000
		गोण्डा	30000
		शाहजहांपुर	31980
		रोजा	50000
		हरदोई	11920
		लखीमपुर खीरी	12240
		सीतापुर	2570
		एटा	11890
		कासगंज	9160
		मथुरा	13100

1	2	3	4
		कोसीकलां	58100
		अलीगढ़	12500
		हरदुआगंज	82200
		हाथरस	13360
		जोड़	1482840
21.	उत्तरांचल	रुद्रपुर	45400
		बाजपुर	10000
		पिथौरागढ़	2500
		रुद्रपुर (एमआरएम)	5600
		शिमली	5000
		जोड़	68500
22.	आंध्र प्रदेश	सातेनापल्ली	16960
		आंगोल	30000
		बिक्कावोल	20000
		समालकोट	50000
		काकीनाडा	31610
		राजामुंदरी (डी स्वाम)	50000
		पेरूड़	10000
		कृष्णांचल	12310
		निडाविड़ु	40000
		गुडीवाडा	60000
		अनन्तपुर (जेड़ पल्ली)	75000
		तिम्मनचारिला	26480
		मिरयालगुडा	70940
		नलगोंडा	50000
		मिरयालगुडा (एमआरएम)	5600
		चितूर	10000
		काकुटुर	30000

1	2	3	4
		डिचहापल्ली	10000
		अमदलावलसा	24880
		सनाथनागढ़	53380
		चेरलापल्ली	100000
		विजाग	35020
		विजाग पोर्ट	24820
		गाजीपेट	88340
		खम्माम	60000
		खम्माम	10840
		अकिविडु	14620
		पेन्डा	70000
		इलुरू	27030
		निडाडावोल	1490
		पालाकोल	10640
		ताडेपल्लीगुडेम	9200
		भिमावरम	20800
		मनचेरियल	24040
		जम्मीकुण्टी	50000
		पेद्दापल्ली	13340
		पोर्ट ब्लेयर	7500
		जोड़	1257940
23.	केरल	अल्लेप्पी	10000
		मवेलीकाडा	20000
		थिक्कोडी	45000
		वेस्ट हिल कालीकट	36480
		कुट्टीपुरम	5000
		मीननगडी	5000
		अंगामाली	40000
		विलिंगडन द्वीप	19700
		चिंगावनम	15640
		अराकुलम	5000
		मुझापपिलंगड	12560
		निलेश्वर	10000
		पय्यान्नुर	30000
		अंगाडीपुर	10000
		ओलावक्ककोट	72020
		अवनेश्वर	9200
		कालीकोल्लुर	5000
		कारूनगापल्ली	30000
		क्वीलोन	13180
		चालीकुडी	10000
		मौलकुनाथुकावुल	50240
		काञ्ञकुट्टम	36740
		वैलाथुरा टीवीएम	34080
		जोड़	524840
24.	कर्नाटक	बंगलोर के आर पुरम	49540
		वाइटफिल्ड	85000
		केजीएफ कोलार	5500
		हुबली	10920
		बोम्मापुर	30000
		बेलगांव	20000
		बीजापुर	10000
		उदुपी	10000
		कृष्णराजनगर	11000
		ननजांगवड	8340
		माडडुर	9610
		मैसूर	12800
		कुशाल नगर	2500

1	2	3	4
		तुमकुर	5000
		बेल्लारी	25000
		रायचुर	15000
		भद्रावती	5640
		गोडीकोप्पा शिमोगा	12630
		हासन	10000
		जोड़	338480
25.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	55250
		पीलामडू	110000
		सलेम	15000
		आवडी	15300
		इगमोर	24400
		तूतीकोरिन	35200
		रामानाथपुर	10000
		चिदमबरम	5600
		सिमबानारकोइल	600
		सिमबानारकोइल	480
		सिमबानारकोइल (एमआरएम)	5600
		चिदमबरम (एमआरएम)	2000
		मनारगुडी (एमआरएम)	1540
		कदाईकल	8350
		पांडिचेरी	5000
		टी.वी. कोइल	28700
		अरकोनम	56260
		सेवूर	65000
		हारबर	40000
		जोड़	631180

1	2	3	4
26.	पाण्डिचेरी	–	–
27.	गुजरात	बड़ौदा	14250
		भूमैया	30000
		गोधरा	23960
		बलसाड	10000
		जामनगर	30000
		सुरेन्द्रनगर	10000
		वांकानेर	10000
		भावनगर	20000
		घनटेश्वर	20000
		साबरमती	101620
		विरमगाम	35000
		मेहसाना	11120
		पालनपुर	30480
		काण्डला	93360
		गांधीधाम	50000
		जोड़	489790
28.	महाराष्ट्र	जी आई जी	20940
		सेवारी	27360
		वडाला	39000
		जनरल मोटर्स	16370
		बोरीवली (साइलो)	104000
		भिवंडी	10000
		मनमाड	330000
		मनमाड (साइलो)	84000
		गोन्डिया	30000

1	2	3	4
		नागपुर	74980
		वर्धा	105000
		अहमदनगर	5000
		पुणे	29100
		सोलापुर	32000
		रत्नागिरी	10000
		मोरमुर्दा (एसएडीए)	15000
		पनवेल	91670
		जोड़	1192110
29.	मध्य प्रदेश	भोपाल	25000
		बेतुल	10000
		इटारसी	86250
		अशोक नगर	11920
		दतिआ	7500
		ग्वालियर	12500
		शोपुरकलां	11280
		मेघनगर	5000
		बालाघाट	20310
		कटनगी	13980
		वारसेओनी	10000
		जबलपुर	10640
		कटनी	8640
		सेओनी	8340
		शहडोल	5640
		हरपालपुर	10000
		मेवाडी	18140
		सतना	6920
		टिकमगढ़	15000
		बीना	6280
		विदिशा	10000
		रतलाम	9080
		उज्जैन	15000
		जोड़	337420
30.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	35120
		बेलहा	8340
		नाइला	14280
		शक्ति	12500
		बिश्रामपुर	13340
		करगी रोड	15000
		खारसिया	13640
		रायगढ़	10640
		दुर्ग	53950
		जगदलपुर	10640
		राजनन्दगांव	71630
		बाघबहारा	10670
		धमतरी	26640
		महासमुण्द	14230
		नेओडा टिलडा	21920
		रायपुर	25090
		राजीम	15640
		मन्दिर हसौड	125000
		जोड़	498270
		सकल जोड़	12815070

विवरण II

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्मित खाद्यान्न भंडारण गोदामों (ढके हुए) के स्थान और भंडारण क्षमता का ब्यौरा

(31.3.2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय भंडारण निगम	
		स्थान	भंडारण क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1.	बिहार	दरभंगा	7500
		कटिहार	8000
		किशनगंज	12000
		मुंगेर	8000
		फतुहा	4500
		मोकामा	5000
		मुसलापुर	7487
		पटना	6500
		मोहनिया	3750
		नोखा	4300
		समस्तीपुर	17650
		जोड़	84687
2.	झारखंड	हजारीबाग	15300
		जमशेदपुर	4000
		रांची	14650
		जोड़	33950
3.	उड़ीसा	बालासोर	11000
		बाड़गढ़	10100
		चाऊद्वार	11650
		कटक	16400
		बेरहामपुर	45000
		जाजपुर रोड	7500
		जूनागढ़	18300
		जैपोर	17800
		रायगड़ा	11400
		सम्बलपुर	7000
		जोड़	156150
4.	पश्चिम बंगाल	बिशनपुर	16000
		बर्दवान-1	5405
		सारूल	26700
		कूचबिहार	6460
		मातीगड़ा	5000
		गोआरा/पंडुआ	5000
		मोगरा (तारागांव)	6500
		उलूबेरिया	15000
		रानीनगर	5000
		मालदा	10000
		बेलदा	5645
		चन्द्रकोना रोड	5000
		दुर्गाचक	32400
		खड़गपुर	29000
		बेरहामपुर	20000
		सारगाछी	15000
		बोनहुगली	31166
		पानीहाती	20000
		फाल्टा	2000
		जोड़	261276
5.	सिक्किम	-	-
6.	असम	सोरभोग	10000
		धुबरी	10100

1	2	3	4
		जोरहाट-1	10500
		जोरहाट-2	5000
		गुवाहाटी	8600
		जोड़	44200
7.	अरूणाचल प्रदेश	–	–
8.	मेघालय	–	–
9.	मिजोरम	–	–
10.	त्रिपुरा	अगरतला	19250
		अगरतला सी.एस.	4750
		जोड़	24000
11.	मणिपुर	–	–
12.	नागालैंड	दीमापुर	13000
13.	दिल्ली	नरेला	4800
14.	जम्मू व कश्मीर	–	–
15.	हरियाणा	नारायण गढ़	10000
		चर्खी दादरी	11100
		हिसार	28400
		मंडी आदमपुर	17250
		टोहाना	20200
		जगधारी	289000
		नरवाना	6000
		कैथल	25700
		असांध	23000
		इंद्री	15180
		करनाल-1	12600
		करनाल-3	72100
		लदवा	25200
		सिरसा	23700
		बाढ़ी	10000
		सोनीपत	19280
		गुड़गांव	18000
		जोड़	366610
16.	हिमाचल प्रदेश	देहरा	1670
		मंडी	2370
		सोलन	3000
		जोड़	7040
17.	पंजाब	अमृतसर	20000
		अमृतसर ए.सी.सी.	1400
		अमृतसर बी.डी.	50000
		भटिंडा	10000
		मनसर	18000
		मंडी गोबिंदगढ़	10800
		सरहिंद	14700
		अबोहर-1	26000
		फाजिल्का-1	11700
		गुरदासपुर	7950
		पठानकोट बी.डी.	50000
		गढ़शंकर	5000
		भोगपुर	14900
		मोगा-1	16000
		मोगा-2	96000
		मुक्तसर	11250
		नाभा	20300
		नाभा बी.डी.	111700

1	2	3	4
		चानालोन	10000
		रोपड़	12700
		जोड़	518400
18.	राजस्थान	भरतपुर	1829
		बीकानेर	25400
		हनुमानगढ़-1	20700
		हनुमानगढ़-2	15000
		जयपुर-2	6800
		कोटा-2	45070
		कोटा-3	8333
		सीकर	5000
		श्रीमाधोपुर	20600
		श्रीगंगानगर-1	25200
		श्रीगंगानगर-2	10000
		जोड़	183932
19.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	10550
20.	उत्तर प्रदेश	दादरी	19000
		लोनी बार्डर	66000
		नोएडा	15000
		सूरजपुर (उत्तर प्रदेश)-1	15352
		साहिबाबाद-2	20200
		जैनी	21400
		बहराइच	11570
		बलिया	40250
		बांदा	8500
		बस्ती	35640
		बिजनौर	21780
		जहांनगर-1	10000
		जहांनगर-2	15000
		इटावा	21940
		फैजाबाद	7750
		गोरखपुर	29700
		हरदोई	41200
		शाहगंज	28000
		चिरगांव	14450
		झांसी	15240
		गोलागोकरनाथ	15800
		लखनऊ-2	7500
		मऊनाथ भंजन	14980
		चंदौसी-1	16140
		चंदौसी-2	10640
		मुजफ्फरनगर	31450
		मुजफ्फरनगर बीडी	150000
		सामली	5000
		बिसालपुर	8970
		रामपुर	24400
		सहारनपुर	25050
		सहारनपुर बीडी	55000
		शाहजहांपुर	45700
		डुमरियागंज	10000
		राबर्ट्सगंज	5000
		जोड़	883602
21.	उत्तरांचल	श्रीनगर	6700
		बाजपुर	13860
		जसपुर	15200
		काशीपुर-1	11530
		काशीपुर-2	10000

1	2	3	4
		खटीमा	6700
		जोड़	63990
22.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	25000
		रेनिगुन्टा	20350
		कुड्डपाह	25000
		काकीनाडा (तुर्ग)	20000
		राजामुन्द्री	44000
		दुग्गीराला	10100
		गुन्टूर बी.डी./पेडा	77000
		गुन्टूर-1	27920
		सत्तनापल्ली	5000
		वाडलामुडी	35000
		करीमनगर	28400
		करीमनगर-2	30000
		गुडीवाडा	40000
		कैकालुर	20280
		मसुलीपतनम	49300
		निदामानुर	47500
		विजयवाड़ा-1 (केईडी)	3180
		विजयवाड़ा-2 (बीएच)	15000
		विजयवाड़ा (आरएवाई)	70000
		एडूनी	22520
		नान्दीकोटकुर	10000
		नंदयाल	43000
		मेडक	11000
		सिडिपेट	17290
		गडवल	10000
		मेहबूबनगर	40319
		चितयाल	8600
		सुर्यापेट	60000
		नेल्लौर	48000
		बोधन	35000
		निजामाबाद	32000
		सारंगपुर	41000
		ओनगोले	10000
		अनकापल्ली	10000
		विजाग सीएफएस	5000
		विजाग-1	36230
		विजाग-2	30000
		जनगांव	7590
		वारांगल	19002
		टाडेपल्लीगुडेम	72000
		जोड़	1112392
23.	केरल	एडाथाला, अलुवा	10000
		एर्नाकुलम	14065
		काकीनाडा	15000
		कोझीकोड	12254
		काक्कांचेरी	5000
		पालाक्काड	15000
		त्रिवेन्द्रम	10000
		जोड़	113909
24.	कर्नाटक	बंगलौर-2	5017
		आर.डब्ल्यू.सी., व्हाइटफील्ड	14200
		बेलगांव	14450
		सौंदत्ती	9000

1	2	3	4
		बीदर	10000
		धारवाड़	13333
		हुबली-2	9311
		गदाग	23500
		गुलबर्गा-1	9780
		गुलबर्गा-2	35000
		सेदाम	3000
		शिकारीपुर	5500
		मंगलौर-1	13390
		जोड़	165481
25.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	7500
		उदूमलपेट	5000
		चिदम्बरम	13500
		इरोडे	10360
		मूलापलायम	12000
		नागेरकोइल	16340
		मदुरई-1	6460
		मदुरई-2	29590
		तंजावुर	70000
		कुम्बाकोनम	12400
		मनारगुड़ी	50000
		माधावरम-2	3500
		त्रिची	90000
		विरुधुनगर	12900
		जोड़	339550
26.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	7350
27.	गुजरात	अहमदाबाद-1	29193
		पीपावाव पत्तन	50000
		आनंद	4820
		वदोद	12500
		भावनगर	14250
		जामनगर	19700
		नाडियाड	8500
		कांडला-1	5000
		कांडला-2	18000
		राजकोट-1	12500
		राजकोट-2	12500
		सूरत-1	15200
		सूरत-2	5950
		बड़ौदा-1	16650
		रानोली-3 (कराक)	5000
		जोड़	229763
28.	महाराष्ट्र	अकोला	27420
		अमरावती	28920
		गोंडिया	11550
		कोल्हापुर-1	11250
		कोल्हापुर-2	20000
		नागपुर	14500
		नासिक	2500
		नासिक रोड	17160
		मिराज	10000
		मिराज बेस डिपो	80000
		सांगली	16060
		अम्बरनाथ-1	5000
		वाशी	63500
		यवतमाल	5000
		जोड़	312860

1	2	3	4
29.	गोवा	-	-
30.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	10000
		भिंड	10000
		मल्लानपुर	10000
		भोपाल-1	40740
		ग्वालियर	19750
		सोहागपुर	5000
		इंदौर-1	12500
		इंदौर-2	3750
		इंदौर-3	18500
		इंदौर-4	16000
		इंदौर-5	20000
		सनवाड़	7000
		कटनी	25100
		बुरहानपुर-1	27200
		खंडवा-बी.डी.	90000
		खंडवा-2	9067
		मुरैना-1	31450
		मुरैना-2	32800
		नरसिंहपुर-1	9100
		नरसिंहपुर-2	10000
		मक्सी	8000
		शिवपुरकलां-1	11000
		शिवपुरकलां-2	20000
		जोड़	446957
31.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर-1	28000
		बिलासपुर-2	15000
		रायगढ़-1	11300
		रायगढ़-2	20000
		भाटपारा-1	23400
		भाटपारा-2	15000
		रायपुर-1	13000
		रायपुर-2	8800
		रायपुर-3	33200
		रायपुर-4	20000
		जोड़	187700

विवरण III

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्मित भंडारण क्षमताओं के स्थान का ब्यौरा

भारतीय खाद्य निगम

वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख टन में)	स्थान
1	2	3
2001-2002	1.61	**उत्तरी अंचल:** सिमली, मलोट **दक्षिणी अंचल:** बेलगाम, रायचूर, बीजापुर, पय्यनुर, नेल्लोर, अमलापुरम, रामानाथपुरम, नालगोण्डा, जम्मीकुन्ता, मिरयालगुडा **पश्चिमी अंचल:** धमतरी, राजकोट **उत्तर पूर्वी अंचल:** अगरतला
2002-2003	0.94	**उत्तरी अंचल:** मलोट फेज-2, चम्बा, कारगिल, लेह, किश्तवार, हनुमानगढ़, बरन

1	2	3
		दक्षिणी अंचलः
		मिरयालगुडा, नालगोण्डा, नेल्लूर फेज-2, काजीपेट, डिचपल्ली, सेवूर, मैसूर, मदुर
		उत्तर पूर्वी अंचलः
		रंगपू
2003-2004	1.33	**उत्तरी अंचलः**
		एन.जी. टण्डा, सिरसा रायबरेली
		दक्षिणी अंचलः
		डिचपल्ली, हनुमान जं, सलेम, शिमोगा
		उत्तर पूर्वी अंचलः
		अगरतला
		पूर्वी अंचलः
		अंगुल, धनकेनाल, क्योंझर, फुलबानी, नवरंगपुर
		पश्चिमी अंचलः
		मनमाड, गोधरा
2004-2005 (मई 2004, तक)	0.13	**उत्तरी अंचलः** सिरसा
		पश्चिमी अंचलः
		मनमाड, गोधरा

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्मित भंडारण क्षमताओं के स्थान का ब्यौरा

केन्द्रीय भण्डारण निगम

वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख टन में)	स्थान
1	2	3
2001-2002	4.75	**उत्तर प्रदेशः**
		सूरजपुर, मुजफ्फरनगर, जहांगीराबाद, शाहजहांपुर, चन्दौसी-2, मौनाथ भन्जन, शाहगंज, बस्ती, बलिया, नैनी, हरदोई, झांसी, बिसालपुर, कुकरा रोड (मुज. नगर)
		उत्तरांचलः
		बाजपुर
		तमिलनाडुः
		उदुमलपेट, नागेरकोइल
		उड़ीसाः
		चौदवार, जेपोर, रायगढ़
		केरलः
		कक्कानड, त्रिचूर
		कर्नाटकः
		गुलबर्गा-2, व्हाइटफील्ड (बंगलोर), धारवाड़
		पंजाबः
		चनालो, मण्डी, गोबिंदगढ़, मोगा-2, भटिण्डा
		राजस्थानः
		श्रीमाधोपुर, कोटा-2, बीकानेर, कोटा-1, कोटा-3
		आंध्र प्रदेशः
		गुंटूर, नन्दी कोटकुर, अदीलाबाद, नानदयाल, कैकालूर, गुदिवाडा, राजामुण्डरी, अदीलाबाद, नानदयाल, ककीनाडा, नीडामनूर
		मध्य प्रदेशः
		मक्सी
		हरियाणाः
		करनाल, करनाल-3, जगाधरी, टोहाना, कैथल, अस्सान्ध, करनाल, सिरसा, जगाधरी, बारही, लडवा नारायणगढ़

1	2	3
2002-2003	3.59	**कर्नाटक:** धारवाड़, सौनदत्ती, बिदर **उड़ीसा:** जूनागढ़, बालासोर **उत्तर प्रदेश:** ग्रेटर नोएडा, मठनाथ भन्जन, चिरगांव, बलिया, शाहगंज, बिजनौर **पंजाब:** मोहाली **आंध्र प्रदेश:** वारंगल, करीमनगर, पेडाकाकनी, सारंगपुर, सिद्दीपेट, सूर्यपेट, मेहबूबनगर, बोधन, चितयान, मछलीपटनम, राजामुण्डरी, विज़ाग, सीएफएस **राजस्थान:** कोटा-3, हनुमानगढ़ **केरल:** काकेनचेरी **हरियाणा:** नारायणगढ़, कुण्डली सीएफएस **तमिलनाडु:** कुम्बाकोणम, होसूर **पश्चिम बंगाल:** पनीहटी
2003-2004	3.14	**उत्तर प्रदेश:** शाहगंज, **कर्नाटक:** हुबली **केरल:** कोज़ीकोड (पल्लाकड), इडाथला **राजस्थान:** श्रीमाधोपुर, भरतपुर **तमिलनाडु:** मदुरै-2 **आंध्र प्रदेश:** गडवाल **मध्य प्रदेश:** शिवपुरकलां **गुजरात:** कान्डला सीएफएस **पश्चिम बंगाल:** पेत्रापोल **असम:** अमीनगांव **महाराष्ट्र:** डीनोड फेज-2 **हिमाचल प्रदेश:** डेरा **दिल्ली:** ग्रेटर नोएडा आईसीडी
2004-2005 (मई 2004 तक)		शून्य

फसल सुरक्षा संबंधी लापरवाही

*15. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फसल सुरक्षा के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है;

(ख) क्या फसल सुरक्षा कार्य का अतिरिक्त प्रभार दीर्घकाल से किसी अन्य संकाय के उप-महानिदेशक को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फसल सुरक्षा से संबंधित कितनी परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई ?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शिक्षा और अनुसंधान की योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, सहायता देने, बढ़ावा देने तथा समन्वय करने के लिए अधिदेशित है। फसल सुरक्षा के एक घटक फील्ड और बागवानी फसलों की पादप सुरक्षा में अनुसंधान संबंधी कार्यों की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देखभाल की जाती है। इस अधिदेशित क्षेत्र में सतत कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा अग्रवर्ती विस्तार कार्य किया जा रहा है, इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

(ख) फील्ड और बागवानी फसलों में पादप सुरक्षा में अनुसंधान करने की देखभाल मात्र सहायक महानिदेशक के एक विशेषीकृत स्तर पर की जाती है। फसल सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए उप महानिदेशक का कोई स्वीकृत पद नहीं है। सहायक महानिदेशक (पादप सुरक्षा) का पद वर्ष 1999 में नियमित आधार पर भरा जा चुका है।

(ग) जी, लागू नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पादप सुरक्षा के क्षेत्र में 306 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से विवेचनात्मक मूल्यांकन एवं जांच के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 76 को स्वीकृति दी गई है।

खारापन दूर करने के संयंत्र

***16. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों में पानी की कमी दूर करने के लिए चेन्नई से प्रारंभ करके पूरे कोरोमंडल तट पर खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चेन्नई के समीप मिंजुर में 1500 करोड़ रुपये की लागत वाले खारापन दूर करने के संयंत्र ने पहले ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि "नगरों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में घोर पेयजल की कमी दूर करने के लिए चेन्नई से प्रारंभ करके पूरे कोरोमंडल तट पर खारापन दूर करने के संयंत्र लगाये जाएंगे।" शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जल की कमी का सामना कर रहे तटीय नगरों/शहरों में खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई के समीप मिंजुर में 1750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 300 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की संयंत्र क्षमता सहित समुद्र जल अलवणीकरण परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना प्रस्ताव में परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा 26 माह दी गई है।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन

***17. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कुल कितना दुग्ध-उत्पादन हुआ;

(ख) क्या दुग्ध उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो दुग्ध की कमी पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) देश में विगत तीन वर्षों

के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन इस प्रकार रहा है:

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन में)
2000-01	80.79
2001-02	84.30
2002-03	86.69

(ख) और (ग) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पादन आम तौर पर पर्याप्त है। तथापि, लोगों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूध की गुणवत्ता और उसके उत्पादन में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों के अलावा, भारत सरकार दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना।
2. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।
4. गैर-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना।
5. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

उक्त के अलावा, विभिन्न राज्यों के सहकारी दुग्ध संघों/परिसंघों ने प्रसंस्करण और निर्माण सुविधाओं, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादकता संवर्धन आदि में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं।

[अनुवाद]

संदूषित भू-जल

***18. श्री मिखिल कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भू-जल काफी संदूषित है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाइट्रेट और फ्लोराइड की अधिकता के कारण यह संदूषण फैलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने उक्त संदूषण रोकने हेतु कोई ठोस उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार देश के अधिकतर हिस्से में कुल मिलाकर भूजल पीने योग्य है। तथापि, देश के कुछ भागों में संदूषित भूजल पाया गया है। देश के विभिन्न भागों में स्थित पाकेटों में नाइट्रेट और फ्लोराइड की अधिकता भी देखी गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल के संदूषण को रोकने के लिए उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत भूजल की अंधाधुंध बोरिंग (बेधन) और निकासी के विनियमन के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी जी डब्ल्यू ए) का गठन किया गया है। तथापि केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भूजल गुणवत्ता में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए इसकी आवधिक जांच करता है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को इससे अवगत कराता है।

कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक कानून

***19. श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश भर में कृषि श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाने संबंधी प्रस्ताव में काफी समय से लम्बित पड़े होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कानून को अधिनियमित किए जाने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु एक केन्द्रीय विधान बनाने संबंधी एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था।

विधेयक के प्रारूप में विभिन्न घटकों पर राज्य सरकारों के बीच आम सहमति न होने के कारण इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु व्यापक विधान संबंधी एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। इसके दायरे में लाए जाने वाले कामगारों की प्रस्तावित श्रेणी में, अन्यों के साथ-साथ, कृषि कामगार भी शामिल हैं।

(ग) सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक उपायों की शुरूआत की है। सरकार ने कामगारों की कतिपय श्रेणियों अर्थात् बीड़ी कामगारों, कतिपय गैर-कोयला खान कामगारों और सिने कामगारों को सामाजिक सुरक्षा/कल्याण उपाय प्रदान करने के लिए कल्याण निधियां स्थापित की हैं। कल्याण उपायों में स्वास्थ्य देखरेख, आवास, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, पेयजल की आपूर्ति इत्यादि शामिल हैं। इन कल्याण उपायों के अंतर्गत लगभग 40 लाख बीड़ी कामगार, 0.31 लाख सिने कामगार और लगभग 0.76 लाख गैर-कोयला खान कामगार और उनके परिवार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशि से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्रम संख्या	निधि का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1.	बीड़ी कामगार कल्याण निधि	53.31	65.82	82.14
2.	चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि	6.18	6.22	6.50
3.	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि	8.92	7.96	9.16
4.	माइका खान कल्याण निधि	1.43	1.25	1.16
5.	सिने कामगार कल्याण निधि	0.51	0.54	0.84
	कुल	70.35	81.79	99.80

स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट

***20. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वामीनाथन समिति ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय नीति संबंधी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान तथा विकास को निदेशन प्रदान करने की सिफारिशें, कृषि, पशुपालन तथा मात्स्यिकी क्षेत्र में बायोप्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, बायोप्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण, आनुवंशिक विविधता के केन्द्रों का संरक्षण और रक्षण, जैव खेती जोनों का संवर्धन, प्रत्येक राज्य में बायोप्रौद्योगिकी पार्कों का सृजन, उत्पादों के मूल्यांकन तथा जारी किए जाने की प्रक्रिया में गति लाने की दृष्टि से विनियामक/अनुमोदन तन्त्र को सरल तथा कारगर बनाना, देयता तथा क्षतिपूर्ति, राष्ट्रीय बायोप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और बायोप्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों के बारे में जन जागरूकता का संवर्धन शामिल हैं।

(ग) और (घ) कृतक बल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों पर अन्तरमंत्रालयी परामर्श वर्तमान में चल रहा है।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति

1. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ई.एस.आई. अस्पतालों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और उनके कार्य की

दशा सामान्य तौर पर संतोषजनक है। देश में विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

(1) *राज्य सरकारों द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का आधुनिकीकरण*—उपकरणों की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा रोग-निदान एवं क्लिनिक संबंधी सुविधाओं का स्तर उठाने तथा आधुनिकीकरण के लिए कार्य-योजनाएं तैयार की गयीं।

(2) *विशेज्ञता/उच्च विशेषज्ञता संबंधी सेवाओं के लिए अनुबंध व्यवस्थाएं*—बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को और अधिक व्यापक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्थाएं की गयी हैं। ऐसी सेवाओं का आसानी से मूल्यांकन करने के लिए एक चक्रीय निधि (रिवालविंग फंड) की स्थापना की गयी है।

(3) *आदर्श अस्पताल योजना*—राज्य सरकार की सहमति से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सीधे ही चलाये जाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया गया है/लिया जा रहा है ताकि राज्य सरकारों को वित्तीय राहत प्रदान की जा सके और प्रबंधन में सुधार लाया जा सके। उन अस्पतालों को बेहतर ढंग से सुसज्जित किया जा रहा है और उनकी सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाया जा रहा है ताकि व्यापक अनुपूरक (सेकन्डरी) देख-रेख चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा सकें।

(4) *चिकित्सा देख-रेख के प्रावधान के लिए निधियों (फंड) में बढ़ोत्तरी*—राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा देखरेख प्रावधानों पर व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा को वर्ष 2002-03 में 600 रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2004-05 में प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई 750 रुपये कर दिया गया है।

(घ) ऊपर दी गयी विभिन्न योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक लागू किये जाने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान, राज्य सरकार के अस्पतालों हेतु उपकरण खरीदने के लिए 63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा आदर्श अस्पताल योजना के लिए 53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु 581 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अस्पतालों में आई.एस.एम. सुविधाओं के प्रचार के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

जानवरों हेतु चरागाह भूमि और चारा

2. **डा. रामचन्द्र डोम:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जानवरों और जनसंख्या के बीच अनुपात के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) पशुधन की राज्यवार वृद्धि दर क्या है;

(ग) भारत और अन्य विकासशील देशों में प्रति पशु चारा उपलब्धता क्या है; और

(घ) भारत और अन्य देशों में कुल चरागाह भूमि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पशु और जनसंख्या के बीच अनुपात के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पशुधन की राज्यवार विकास दर संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारत में बोवाइन पशुओं के लिए चारे की प्रति पशु उपलब्धता इस प्रकार है:

	हरा चारा	सूखा चारा	कुल
कुल अनुमानित चारा उत्पादन (000 टन)	437312	428411	865723
कुल बोवाइन संख्या (मिलियन)-1997	-	-	289.58
प्रति पशु उपलब्धता प्रति पशु प्रतिदिन (किलोग्राम)	4.14	4.05	8.19

अन्य विकासशील देशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भारत तथा कुछ अन्य विकासशील देशों की पास्चर भूमि का कुल क्षेत्रफल संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

भारत में पशु संख्या तथा जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशुधन की कुल संख्या (000)		कुल जनसंख्या (000)		1997 में पशु तथा जनसंख्या का अनुपात	कुल पशुधन की वार्षिक विकास दर (प्रतिशत)
		1992	1997	1991 (वास्तविक)	1997 (अनुमानित)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	32911	36009	66508	73361	0.49	1.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	842	1038	865	1087	0.95	4.27
3.	असम	16062	12720	22414	25275	0.50	-4.56
4.	बिहार	47930	53742	86374	95236	0.56	2.32
5.	छत्तीसगढ़	—	13543	—	—	0.62	0.24
6.	गोवा	243	247	1170	1460	0.17	0.33
7.	गुजरात	18598	19930	41310	46421	0.43	1.39
8.	हरियाणा	9143	10413	16464	19023	0.55	2.64
9.	हिमाचल प्रदेश	5106	5224	5171	6233	0.84	0.46
10.	जम्मू एवं कश्मीर	8703	9228	7719	9263	1.00	1.18
11.	झारखंड	—	—	—	—	0.56	2.32
12.	कर्नाटक	29568	28526	44977	50291	0.57	-0.71
13.	केरल	5834	4292	29099	31455	0.14	-5.95
14.	मध्य प्रदेश	46744	33768	66181	76006	0.62	0.24
15.	महाराष्ट्र	36404	39630	78937	88270	0.45	1.71
16.	मणिपुर	1290	1051	1837	2301	0.46	-4.02
17.	मेघालय	1182	1424	1775	2224	0.64	3.80
18.	मिजोरम	203	222	690	868	0.26	1.81
19.	नागालैंड	1074	1188	1210	1532	0.78	2.04
20.	उड़ीसा	22742	23338	31660	34946	0.67	0.52
21.	पंजाब	10222	9858	20282	22809	0.43	-0.72

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	48441	54655	44006	51043	1.07	2.44
23.	सिक्किम	385	273	406	510	0.54	-6.64
24.	तमिलनाडु	25007	24126	55859	60294	0.40	-0.71
25.	त्रिपुरा	1591	2105	2757	3455	0.61	5.76
26.	उत्तर प्रदेश	64799	56414	139112	160704	0.38	-1.20
27.	उत्तरांचल	—	4587	—	—	0.38	-1.20
28.	पश्चिम बंगाल	35090	36998	68078	76141	0.49	1.06
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	154	188	281	352	0.53	4.07
30.	चण्डीगढ़	31	35	642	809	0.04	2.46
31.	दादर एवं नगर हवेली	71	86	138	174	0.49	3.91
32.	दमन एवं दीव	13	11	102	127	0.09	-3.29
33.	दिल्ली	315	368	9421	12470	0.03	3.16
34.	लक्षद्वीप	19	29	52	1014	0.03	8.83
35.	पांडिचेरी	142	121	808	65	1.86	-3.15
	अखिल भारत	470859	485387	846303	955219	0.51	0.61

टिप्पणी: वार्षिक विकास दर के लिए बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पशुधन को क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल के पशुधन के साथ मिला दिया गया है।

अनुमान: बिहार तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए पशु एवं मानव का अनुपात एक जैसा है क्योंकि इन नए राज्यों के लिए आंकड़े 1997 की जनगणना में उपलब्ध नहीं है।

विवरण II

भारत तथा एशिया के कुछ देशों की पास्चर-भूमि-1995

क्र.सं.	देश	पास्चर भूमि (000 हैक्टेयर)
1.	चीन	400000
2.	बंगलादेश*	600
3.	नेपाल*	2000
4.	पाकिस्तान*	5000
5.	श्रीलंका*	400
6.	इंडिया*	11400

टिप्पणी: *खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुमान।

कतिपय भूमि स्तरों के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत न करने, स्थायी घास स्थली तथा पास्चरों एवं खेती-बाड़ी के स्थानान्तरण के अंतर्गत भूमि पर आंकड़ों के अधूरे कवरेज के कारण 1995 से खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा पास्चर भूमि के तहत लाए गए क्षेत्र की सांख्यिकी के प्रकाशन को जारी नहीं रखा गया है।

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) इअर बुक 1995।

[हिन्दी]

बागवानी फसलों का उत्पादन

3. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बागवानी फसलों का कितना उत्पादन दर्ज किया गया है; और

(घ) देश में बागवानी फसलों का उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2011-12 तक भारत के बागवानी उत्पादन को दुगुना करना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन-बागवानी सेक्टर विशेष रूप से गुणवत्ता रोपण सामग्री, फसलोपरांत प्रबंधन के बुनियादी ढांचे, विपणन और प्रसंस्करण में व्याप्त अंतर को दूर करने का हल ढूंढ़ेगा।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बागवानी फसलों का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है (8.84 मिलियन टन) जिसके बाद आंध्र प्रदेश (6.15 मिलियन टन) और तमिलनाडु (4.34 मिलियन टन) आते हैं। सब्जी का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। (18.07 मिलियन टन) जिसके बाद उत्तर प्रदेश (15.04 मिलियन टन) और बिहार (8.02 मिलियन टन) आते हैं।

विवरण

प्रमुख बागवानी फसलों का उत्पादन

(उत्पादन मिलियन टन में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
फल	44.04	45.50	43.12	43.00
सब्जियां	87.53	90.83	93.85	88.62
मसाले	3.10	3.02	3.02	3.77
नारियल	8.61	8.42	8.67	8.80
काजू	0.46	0.52	0.45	0.47
अन्य	2.46	0.93	1.09	1.12
कुल	146.20	149.22	150.20	145.78

[अनुवाद]

मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण हेतु सहायता

4. **श्री सुनील खां:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्य उतारने के केन्द्रों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): विगत तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04 तक) के दौरान राज्यों में मत्स्य बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

राज्यों के नाम	वित्तीय वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
गुजरात	-	-	7.50
गोवा	14.655	14.60	-
कर्नाटक	-	55.585	107.50
महाराष्ट्र	71.78	57.505	-
केरल	453.25	271.485	150.00
तमिलनाडु	62.32	93.48	25.00
उड़ीसा	173.93	67.75	104.43
आंध्र प्रदेश	35.44	254.425	30.57
पश्चिम बंगाल	176.735	-	-
कुल	988.11	814.83	425.00

[हिन्दी]

मंदिरों व श्राइनों के प्रबन्धन हेतु न्यास

5. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वैष्णों देवी न्यास की तरह ही राजस्थान स्थित घाटी मेहंदीपुर बाला जी मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गोमुख के प्रबन्धन के लिए न्यास बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में दुग्ध उत्पादन

6. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में दूध का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में वृहत डेयरी परियोजना या संबंधित उद्योग की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित दूध की मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	दुग्ध उत्पादन लाख मीट्रिक टन में
2000-01	55.21
2001-02	58.14
2002-03	65.83

(ख) जी, हां। राज्य में दूध का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधनों का दोहन

7. **श्री अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जल संसाधनों के अबाधित दोहन का विनियमन करने और भूमिगत जल का दुरूपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): जल राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारों का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह जल संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को विनियमित करें और भूजल के दुरूपयोग को रोकें। केन्द्र सरकार ने भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी जी डब्ल्यू ए) का गठन किया गया है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूजल संसाधनों के अतिदोहन पर विचार करते हुए 11 समस्याग्रस्त क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने देश में भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

केन्द्र सरकार ने भूजल संसाधनों के संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित उपाय भी शुरू किए हैं:

(1) देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(2) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल/दिशानिर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन जिसे 1992 और 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(4) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(5) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजी डब्ल्यूबीइंडिया.काम) की शुरूआत करना।

[हिन्दी]

एशियाई बैंक से भारत को सहायता

8. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने पर्यटन क्षेत्र हेतु गत तीन वर्षों के दौरान भारत को वित्तीय/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त वित्तीय/तकनीकी सहायता का उपयोग किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) बंगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) को समाविष्ट करते हुए, दक्षिण एशियाई विकास चतुष्कोण के संगठन पर आधारित, पूर्वी दक्षिण एशिया में उप-क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन कर रहा है। क्षेत्रीय तकनीकी सहायता ने, दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (एसएएसईसी) के माध्यम से, भाग लेने वाले देशों को संस्थागत ढांचा (एक कन्ट्रीय एडवायर्जस ग्रुप तथा सेक्टर वर्किंग ग्रुपस) स्थापित करने में सहायता की है।

तकनीकी सहायता का प्रयोजन, बीबीआईएन के पर्यटन क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से एक एसएएसईसी पर्यटन विकास योजना (टीडीपी) तैयार करना है, जो कार्यक्रमों का एक थिमेटिक ढांचा तथा पर्यटन वर्किंग ग्रुप (टीडब्ल्यूजी) के आगामी उप-क्षेत्रीय सहयोग कार्यकलाप प्रदान करेगा।

तकनीकी सहायता, उप-क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से पर्यटन में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करने में सहायता करेगी, जिससे एसएएसईसी में समग्र आर्थिक वृद्धि और ग्रामीण निर्धनता में कमी होगी। तकनीकी सहायता (टीए) की लागत अनुमानत: 450,000 डालर है और इसका वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक के तकनीकी सहायता निधिकरण कार्यक्रम द्वारा अनुदान आधार पर होगा।

तकनीकी सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक कार्यान्वयन एजेंसी होगा। यह कार्य टीडब्ल्यूजी की ओर से किया जाएगा और स्वामित्व का संवर्धन करने और कार्यान्वयन एवं फील्डवर्क को सुगम बनाने के लिए यह बीबीआईएन पर्यटन मंत्रियों एवं एनटीओज के निकट समन्वय से किया जाएगा। दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) पर्यटन विकास योजना पर एशियाई विकास बैंक से अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री जल संचयन योजना

9. श्री मोहन रावले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री जल संचयन योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में पर्यटन विकास

10. श्री किरिप चालिहा:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था में सुधार होने से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटक यातायात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002, 2003 और आधे वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2000 और 2001 में पूर्वोत्तर राज्यों में कितने घरेलू/विदेशी पर्यटक आए;

(ग) इन राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा और कौन से अतिरिक्त उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का असम को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटक आगमन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
2000	1592961	21849
2001	1769161	41167
2002	2780137	19445
2003	2081249	29270
2004*	272373	23775

*(अनंतिम आंकड़े)

(ग) से (ङ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में सभी राज्यों में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास और वृहत् राजस्व सृजक परियोजना जैसी नई योजनाएं शुरू की हैं। विभाग के योजना बजट आबंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, पर्यटन विभाग ने हुडको से विशेषज्ञों को लगाकर वर्ष 2002-03 के दौरान शिलांग-गुवाहाटी-काजीरंगा-तेजपुर-भालुकपोंग-त्वांग (अरुणाचल प्रदेश)-मंजूली-शिबसागर-कोहिमा नामक स्थलों को कवर करते हुए पूर्वोत्तर परिपथ (पारिस्थितिकी पर्यटन परिपथ) अभिनिर्धारित किया है।

एन सी सी एफ द्वारा लेखन सामग्री की आपूर्ति

11. श्री विजय कृष्ण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ ने सरकारी विभागों की आपूर्ति हेतु लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं का बफर स्टाक बनाए रखने हेतु कोई प्रबंध नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन सी सी एफ ने सरकारी मंजूरी के बगैर सरकारी विभागों को लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निजी व्यापारियों को फ्रैंचाइज अधिकार दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा एन सी सी एफ की कार्यप्रणाली सुधारने हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे खरीद स्रोत से लेखन सामग्री की मदों की आपूर्ति की व्यवस्था अनुमोदित सप्लायरों के मार्फत करते हैं ताकि भंडारण, ढुलाई तथा क्षति आदि पर होने वाले व्यय को न्यूनतम किया जा सके और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के लिए ऋण सुविधाओं का भी उपयोग किया जा सके।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्तशासी सहकारी संगठन है जिसका अपना बोर्ड है जो व्यापार तथा प्रशासन संबंधी मामलों में संगठन के हित में निर्णय लेता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है उनका निदेशक मंडल लेखन सामग्री तथा कार्यालयीन उपयोग की अन्य मदों की आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड सप्लायरों के साथ मिलकर खुदरा बिक्री केंद्र खोलने के संबंध में निर्णय लेता है तथा उसके द्वारा सभी सौदों, निगरानी तथा नियंत्रण आदि से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के विक्रय निष्पादन की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना के अंतर्गत सहायता

12. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं और उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूंजी निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत बागवानी उत्पादन हेतु शीतागारों और भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु राज्यवार कितनी राजसहायता उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:

(1) उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास,

(2) बागवानी उत्पाद के लिए शीत भंडागारों और भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम, तथा

(3) बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और अंतरण।

विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्कीमों के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण I

2001-02 से 2003-04 (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) की अवधि के दौरान "उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास" नामक स्कीम के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		कुल जोड़ 2001-04	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (करोड़ों में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई (सब्सिडी (करोड़ों में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (करोड़ों में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6	0.35	74	2.39	176	4.06	256	6.80
2.	बिहार	1	0.01	2	0.05	0	0	3	0.06
3.	छत्तीसगढ़	0	0	13	0.63	29	0.81	42	1.44
4.	दिल्ली	0	0	3	0.16	1	0.03	4	0.19
5.	गुजरात	15	1.18	108	5.51	99	2.69	222	9.38
6.	हरियाणा	9	0.3	14	0.81	10	0.3	33	1.41
7.	हिमाचल प्रदेश	5	0.38	19	0.68	5	0.38	29	1.44
8.	जम्मू व कश्मीर	1	0.04	3	0.27	1	0.01	5	0.32
9.	कर्नाटक	26	2.95	101	5.81	171	2.41	298	11.17
10.	केरल	4	0.12	12	0.14	12	0.37	28	0.63
11.	मध्य प्रदेश	40	0.13	64	0.59	69	0.33	173	1.05
12.	महाराष्ट्र	149	6.05	221	7.92	255	5.23	625	19.2
13.	उड़ीसा	2	0.13	13	0.89	1	0.02	16	1.04
14.	पंजाब	8	0.94	6	0.85	3	0.22	17	2.01
15.	राजस्थान	1	0.03	14	0.31	9	0.29	24	0.63
16.	तमिलनाडु	29	2.53	32	2.39	34	1.12	95	6.04
17.	उत्तरांचल	0	0	7	0.1	33	0.54	40	0.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	उत्तर प्रदेश	2	0.12	17	0.69	3	0.09	22	0.9
19.	पश्चिम बंगाल	6	0.06	6	0.11	3	0.07	15	0.24
20.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.15	0	0	0	0	1	0.15
21.	असम	1	0.004	5	0.24	7	0.05	13	0.294
22.	मिजोरम	0	0	1	0.04	0	0	1	0.04
23.	मणिपुर	1	0.02	3	0.08	1	0.07	5	0.17
24.	नागालैण्ड	2	0.09	5	0.09	15	0.19	22	0.37
25.	सिक्किम	0	0	1	0.004	2	0.01	3	0.014
26.	झारखंड	0	0	0	0	1	0.004	1	0.004
	कुल:	309	15.584	744	30.754	940	19.294	1993	65.632

विवरण-II

2001-02 से 2003-04 (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) के दौरान "बागवानी उत्पाद के लिए शीत भंडारों और भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम" के अंतर्गत मंजूर की गई शीत भंडारण परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02			2002-03			2003-04			कुल जोड़ 2001-04 (31.3.04 तक)		
		सं.	क्षमता (मी.ट.)	पात्र सब्सिडी	सं.	क्षमता (मी.ट.)	पात्र सब्सिडी	सं.	क्षमता (मी.ट.	पात्र सब्सिडी	सं.	क्षमता (मी.ट.)	पात्र सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पंजाब	9	31054	181.33	8	21658	170.33	7	12095	4.49	24	64807	356.15
2.	हरियाणा	17	63548	529.29	4	10146	80.74	7	13338.18	125.66	28	87032.18	735.69
3.	तमिलनाडु	5	12137	147.31	4	12921	104.94	0	0	0	9	25058	252.25
4.	हिमाचल प्रदेश	2	2392	14.74	1	600	3.49	0	0	0	3	2992	18.23
5.	उत्तर प्रदेश	84	459613.6	2458.51	49	278228	1284.29	146	786583.4	4256.78	279	1524425	7999.58
6.	उत्तरांचल	2	8619	49.3	0	0	0	0	0	0	2	8619	49.3
7.	महाराष्ट्र	15	37792	384.55	29	60837	593.69	13	19145	142.58	57	117774	1120.82
8.	राजस्थान	6	18317	133.09	9	27976	203	1	4360	35	16	50653	371.09
9.	कर्नाटक	8	38174	230.04	4	11328	83.7	0	0	0	12	49502	313.74
10.	गुजरात	17	47796	430.05	20	59677.54	410.51	136	40928.76	421.04	173	148402.3	1261.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	उड़ीसा	2	8064	80.25	5	26690	236.79	1	2500	25	8	37254	342.04
12.	मध्य प्रदेश	3	17703	94.99	9	20454	120.61	10	23741	187.68	22	61898	403.28
13.	छत्तीसगढ़	13	79480	432.68	5	34800	196.54	2	6089	76.87	20	120369	706.09
14.	पश्चिम बंगाल	21	48140	292.67	9	37440	348.27	4	14220	152.03	34	99800	792.97
15.	आंध्र प्रदेश	11	41880	405.72	2	8000	72.56	1	4100	35.17	14	53980	513.45
16.	असम	6	28400	315.47	3	14500	189	1	1860	5.45	10	44760	509.92
17.	बिहार	20	86723	576.88	5	23706	244.84	18	73184.8	444.25	43	183613.8	1265.97
18.	झारखंड	2	9318	71.52	4	13338	145.28	4	14214	112.55	10	36870	329.35
19.	त्रिपुरा	0	0	0	1	5000	60	0	0	0	1	5000	60
20.	दिल्ली	4	12260	309.99	0	0	0	1	530	1.33	5	12790	311.32
21.	केरल	2	500	5	0	0	0	0	0	0	2	500	5
22.	नागालैण्ड	0	0	0	1	5000	60	0	0	0	1	5000	60
23.	गोवा	0	0	0	1	3633	36.33	0	0	0	1	3633	36.33
24.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	4000	53.33	1	4000	53.33
	कुल:	249	1051910.6	7143.38	173	675932.5	4644.91	353	1020889	6079.21	775	2748732	17867.5

विवरण III

2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान "बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण" नामक स्कीम के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04 (31.3.04 तक)		कुल जोड़ (2000-04) 31.3.04 तक	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (लाखों में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (लाखों में)	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (लाखों में)	जारी की गई की संख्या	जारी की गई सब्सिडी (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5	3.92	8	18.11	10	15.21	23	37.24
2.	बिहार	19	18.55	17	14.21	16	28.48	52	61.24
3.	छत्तीसगढ़	4	6.03	9	2.84	16	5.9	29	14.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	दिल्ली	20	39.43	13	8.78	13	13.15	46	61.36
5.	गुजरात	5	2.76	3	3.78	1	5	9	11.54
6.	हरियाणा	10	6.92	13	58.67	3	1.85	26	67.44
7.	हिमाचल प्रदेश	13	20.98	11	32.59	8	7.61	32	61.18
8.	जम्मू व कश्मीर	9	12.19	13	37.91	10	20.4	32	70.5
9.	कर्नाटक	6	5.68	4	10	5	7.67	15	23.35
10.	केरल	2	3.2	6	8.33	4	2	12	13.53
11.	मध्य प्रदेश	19	7.94	17	6.23	10	3.7	46	17.87
12.	महाराष्ट्र	11	23.43	1	0.4	7	5.95	19	29.78
13.	उड़ीसा	5	5.33	11	3.58	2	1.5	18	10.41
14.	पंजाब	3	7.4	3	2.25	6	2.99	12	12.64
15.	राजस्थान	6	1.43	5	1.68	13	4.7	24	7.81
16.	तमिलनाडु	4	12.55	7	6.25	1	5	12	23.8
17.	उत्तरांचल	6	2.54	22	19.13	17	9.88	45	31.55
18.	उत्तर प्रदेश	25	18.62	58	38.16	50	30.81	133	87.59
19.	पश्चिम बंगाल	15	4.92	14	5.01	14	6.37	43	16.3
20.	पांडिचेरी	2	1.36	1	0.5	0	0	3	1.86
21.	झारखंड	3	4.39	5	4.45	2	1.75	10	10.59
22.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	28	37.39	21	22.35	15	10.9	64	70.64
23.	गोवा	3	9.56	1	6.61	0	0	4	16.17
24.	सिक्किम	0	0	3	0.45	6	2.66	9	3.11
25.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	223	256.52	266	312.27	229	193.48	718	762.27

अवैध हाथीदांत व्यापार

13. **श्री अनन्त नायक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में हाथीदांत के अवैध व्यापार में हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये हैं;

(घ) किन राज्यों में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(ङ) हाथीदांत के अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) उपलब्ध जानकारी से यह प्रतीत नहीं होता है कि देश में हाथी दांत से बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार की मात्रा में कोई वृद्धि का रुख है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार को विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों से देश में वर्ष 2001, 2002 तथा 2003 के दौरान अवैध हाथी दांत जब्त किए जाने के क्रमशः 38, 51 तथा 41 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तीन राज्यों, नामशः असम, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल से अवैध हाथी दांत जब्त किए जाने की घटनाओं में मामूली वृद्धि सूचित की गई है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने घरेलू व्यापार और हाथी दांत से बनी वस्तुओं के आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को 2002 में संशोधित किया था ताकि कड़े दंड दिए जा सकें, जिनमें उन लोगों की सम्पत्ति को जब्त किया जाना शामिल है जो हाथी दांत से बनी अवैध वस्तुओं के अवैध व्यापार में लिप्त हो। सरकार ने उक्त अधिनियम के तहत सी.बी.आई. को वन्य जीव अपराधियों को पकड़ने और उस पर मुकदमा चलाने की भी शक्ति प्रदान की है। सरकार प्रमुख हाथी-वहन वाले राज्यों को भी हाथी परियोजना के तहत सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सी आई टी एस का कन्वेंशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन इण्डेंजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फ्लोरा एण्ड फाउना का भी एक पक्षकार है। जो हाथदांत से बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निषेध करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वन विभागों, पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अवैध हाथी दांत से बनी वस्तुओं को रखने अथवा उसके व्यापार से संबंधित आरोपों के संबंध में 152 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की जानकारी मिली है।

कावेरी जल विवाद

14. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राजनैतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) को इसकी 17.6.2004 को हुई बैठक के दौरान चालू वर्ष में तमिलनाडु और पांडिचेरी, दक्षिणी-आंतरिक कर्नाटक और केरल के मौसम वैज्ञानिक प्रभाग में दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि के दौरान वर्षा तथा कावेरी बेसिन के पांच प्रमुख जलाशयों में अंतर्वाहों और भंडारण स्थिति की जानकारी दी गई। राजनैतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस स्थिति पर विचार किया।

ब्राम्हणी नदी में प्रदूषण

15. श्री तथागत सत्पथीः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के अनुगुल जिले में ब्राम्हणी नदी के प्रदूषण से स्थानीय लोगों को जान का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। अंगुल जिला सहित ब्राम्हणी नदी के 11 स्थानों पर जलगुणता की मानीटरी की गई जिससे पता चलता है कि कुछ प्रदूषण पैरामीटर्स जैसे जैव रसायन आक्सीजन डिमान्ड (बी.ओ.डी.) और टोटल कोलिफार्म काउन्ट वांछित जल गुणता मानदण्ड सीमाओं से अधिक है। ब्राम्हणी नदी में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए किए गए विभिन्न उपचारी उपायों में शामिल हैं बहिस्त्राव शोधन सयंत्र को उद्योगों द्वारा लगाना ताकि विनिर्दिष्ट बहिस्त्राव मानकों को पूरा किया जा सके, अंगुल तलचर क्षेत्र में थर्मल पावर संयंत्रों द्वारा ऐश पोन्ड जल का पुनः चक्रण, खण्डित कोयला खानों में उद्योग से उत्पन्न राख का निपटान करना, अधिकांश उद्योगों द्वारा सिंचाई के लिए जल को पुनः चक्रण को अंगिकृत करना और शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग और संरक्षण किया जाना।

दीपार बील का विकास

16. श्री मणी कुमार सुब्बाः क्या पर्यावरण और वन मंत्री 15 दिसम्बर, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 97.58 लाख रुपये की स्वीकृत राशि को अब तक जारी किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को लागू करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना के अगले चरण के लिए कितनी धनराशि जारी की गई या जारी की जानी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। असम में दीपार बील के विकास के लिए वर्ष 2003-2004 के दौरान 97.58 लाख रुपये जारी किए गए। राज्य सरकार को यह निधि विभिन्न कार्य जैसे कैचमेंट क्षेत्र का शोधन, सर्वेक्षण और सीमांकन, संरक्षण उपाय, खरपतवार नियंत्रण, प्रदूषण निवारण, शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक भागीदार को करने के लिए उपलब्ध करवाई गई।

(ग) 97.58 लाख रुपये के स्वीकृत अनुदान में 50 लाख रुपये की राशि सर्वेक्षण और सीमांकन, संरक्षण उपाय, प्रदूषण निवारण, शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता जैसे कार्यों को करने के लिए प्रयोग की गई है।

(घ) परियोजना के अगले चरण के लिए राशि जारी करने का निर्णय चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को लूटने की घटनाएं

17. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन से होटल जाते समय बीच रास्ते में विदेशी पर्यटकों को लूटने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेष रूप से दिल्ली में और राज्यवार ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ग) क्या कुछ पर्यटकों की हत्या कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो ये पर्यटक किस देश के थे;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति देने का हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) कुछ इक्का-दुक्का घटनाएं प्रेस में रिपोर्ट कर दी गई हैं।

(ख) से (घ) क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पर्यटन विभाग में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की कोई योजना नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इथानोल का उत्पादन

18. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गन्ने से इथानोल का अधिकतम उत्पादन करने के विचार से गन्ने के संबंध में गहन अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इथानोल का पेट्रोलियम और/अथवा डीजल के स्थान पर प्रयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

(ख)(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान गन्ना प्रजनन स्थान, कोयम्बटूर ने अधिक मात्रा में इथानोल उत्पादन हेतु गन्ने की किस्मों का पता लगाने के लिए दसवीं योजना के तहत एक परियोजना शुरू की है।

(2) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने गन्ना बायोमास को इथानोल में बदलने के लिए पूर्व उपचार तथा हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के विकास पर एक परियोजना शुरू की है।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ के विक्रेताओं के माध्यम से अवैध बिक्री

19. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एन सी सी एफ) अपने विभिन्न विक्रेताओं, जो न तो विनिर्माता हैं और न ही प्राधिकृत वितरक हैं, के माध्यम से ब्रांड वस्तुओं की बिक्री कर रहा है जो कि 1 जुलाई, 2002 से प्रभावी संशोधित खरीद प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एन सी सी एफ के विक्रेताओं के माध्यम से ब्रांड वस्तुओं की बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि जुलाई, 2001 से उनके फ्रैंचाइज केंद्रों के माध्यम से ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री मूल विनिर्माताओं से उचित प्राधिकरण के पश्चात् की जा रही है और इससे प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं होता। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्त सहकारी संगठन है जिसका अपना एक बोर्ड है जो व्यापार तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में संगठन के सर्वाधिक हित में निर्णय लेता है।

राजस्थान में बागवानी को बढ़ावा

20. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में बागवानी परियोजनाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के माध्यम से कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राजस्थान में अभिज्ञात किए गए क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. सक्षम जिलों में वाणिज्यिक बागवानी का विकास।
2. औषधिक और सुगन्धित पौधों का विकास।
3. शीत भण्डारों का सृजन करके बागवानी उत्पादों का फसलोपरांत प्रबंधन।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान शीतागारों/भण्डार गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए नाबार्ड और एन.सी.डी.सी. के माध्यम से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा दी गयी सहायता को नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	परियोजनाओं की सं.	क्षमता (मी. टन)	पात्र स्वीकृत सब्सीडी
2001-02	6	18317	133.09
2002-03	9	27976	203.00
2003-04	1	4360	35.00

कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति शुरू करना

21. श्री ए.के. मूर्ति: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि विकास को बढ़ाने और उसमें तेजी लाने के लिए दूसरी हरित क्रांति शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि विकास को प्रोत्साहित करने तथा बढ़ाने की दृष्टि से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार '2011-12 तक खाद्य उत्पादन को दुगुना करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना' तैयार कर रहा है। कार्य योजना में क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार हेतु फसलवार, वर्षवार और राज्यवार अनुमानों को रेखांकित किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न आदानों की उपलब्धता में वृद्धि करने से संबंधित कार्य नीतियों को भी कार्य योजना में सम्मिलित/रेखांकित किया जा रहा है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

22. श्री किरिप चालिहा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोर्ड द्वारा जिन निर्माणाधीन योजनाओं पर काम किया जा रहा है उसका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू की गई वृहत् निर्माणाधीन स्कीमें निम्नलिखित हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	अनुमोदित अनुमानित लागत
1.	हरंग जल निकास विकास स्कीम का निर्माण	30.49
2.	पगलादिया बांध परियोजना का निर्माण	542.90 (संशोधनाधीन)
3.	धोल्ला-हातीघुली फेज-1 एवं 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्सन	15.69
4.	बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा	6.22

बागान श्रम अधिनियम को कार्यान्वित न करना

23. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1898 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के परामर्श से पथिनी टी एस्टेट के 678 कामगारों को रोजगार देने के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें उपयुक्त रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या असम टी ट्राईब स्टुडेंटस एसोसिएशन द्वारा बागान श्रम अधिनियम, 1951 और उससे संबंधित कानूनों को लागू न करने का मुद्दा उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

24. श्री सुरेश वाघमारे: क्या **कृषि मंत्री** दिनांक 18 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3357 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर लगभग 2800 रु. करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैसा कि दिनांक 18 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 3357 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, सरकार ने वर्ष 2003-04 मौसम के लिए कपास की एफ-414/एच-777/जे-34 किस्म तथा एच-4 किस्म का न्यूनतम सर्मथन मूल्य क्रमशः 1725 रु. तथा 1925 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में शामिल अन्य फसलों की तरह प्रत्येक मौसम में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के अभिमत एवं अन्य संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद ही कपास के समर्थन मूल्यों के बारे में निर्णय लेती है। चूंकि इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में औसत भारत सी-2 लागत (नकद तथा वस्तुरूप में किया गया वास्तविक व्यय, पट्टे पर धारित भूमि का किराया तथा पारिवारिक श्रम की परिगणित मजदूरी, अपने स्वामित्व की भूमि का किराया तथा स्थायी पूंजी पर ब्याज) सदैव शामिल नहीं होती, अतः मूल्य नीति के अंतर्गत अधिक लागत वाले/अल्प संसाधन वाले राज्यों में ए-2+एफ एल (नकद तथा वस्तुरूप में किया गया वास्तविक व्यय, पट्टे पर धारित भूमि का किराया, तथा पारिवारिक श्रम की परिगणित मजदूरी) को शामिल करने की कोशिश की जाती है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में कृषि विकास दर

25. श्री अधीर चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि क्षेत्र हेतु लक्षित विकास दर और और इस संबंध में प्राप्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन की विकास दर को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में लक्षित विकास दर 5.5% थी जिसकी तुलना में उपलब्धि 5.18% रही है।

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित लक्ष्य 8% है।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजना स्कीमों के उचित कार्यान्वयन के लिए विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके और इसके लिए फसल विविधता पर मुख्य बल दिया जा रहा है। जिन गतिविधियों पर मुख्य रूप से बल दिया जाता रहा है, वे हैं- उच्च पैदावार वाली किस्मों के गुणवत्ता प्राप्त बीजों तथा संकर बीजों का वितरण, फ्रंट लाइन प्रदर्शन, ब्लाक प्रदर्शन, गुणवत्ता प्राप्त बीजों के उत्पादन हेतु उत्पादकों/संगठनों को प्रोत्साहन, प्रदर्शन किटों और बीज किटों के जरिए प्रौद्योगिकीयों का प्रदर्शन, मृदा संरक्षण उपाय तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत वर्षा जल का संचयन, मृदा परीक्षण के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना, हरी खाद तथा मृदा पोषकों का अनुप्रयोग जिससे कि श्रेष्ठ मृदा स्वास्थ्य प्रबंध को सुनिश्चित किया जा सके। समेकित कीटनाशक प्रबंध का प्रदर्शन तथा जैव-कीटनाशकों तथा फसल विविधता का अनुप्रयोग, जिससे कि राज्य में पहले से तैयार बाजार वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

चीनी उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना

26. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए चीनी उद्योग के प्रतिनिधि हाल ही में मंत्री महोदय से मिले थे और उनके समक्ष एक पैकेज का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) चीनी उद्योग के प्रतिनिधि मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता दावों में तेजी से कार्रवाई करने, चीनी विकास निधि के अधीन दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए शर्तें उदार करने, अन्य संगत मंत्रालयों आदि के साथ मामलों को उठाने आदि के बारे में सुझाव दिए थे। सरकार ने उनके सुझावों पर उचित निर्णय लिए हैं।

महाराष्ट्र जलापूर्ति और सीवर परियोजना का दूसरा चरण

27. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने एक स्रोत के रूप में पोशीर बांध पर आधारित महाराष्ट्र जलापूर्ति और सीवर परियोजना के दूसरे चरण को जनवरी, 2001 में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है, इससे कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा और इस परियोजना की लागत और समय सहित इसका स्रोत क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पोशीर बांध परियोजना जून, 1996 में प्रस्तुत की गई थी। प्रस्ताव में बम्बई मैट्रोपोलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा पोशीर नदी पर बांध के निर्माण से क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति की संकल्पना की गई है। वर्ष 1992 के मूल्य पर अनुमानित लागत 863 करोड़

रुपये थी। मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने प्रस्ताव की जांच की और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में संशोधन का सुझाव दिया। राज्य सरकार से अभी तक संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भूमि कटाव

28. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमि कटाव की समस्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) नदी तट/तल कटाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ों के कारण प्रभावित क्षेत्र/फसल प्रभावित क्षेत्र नदी में निस्सरण की मात्रा और इसकी अवधि तथा बाढ़ संरक्षण संबंधी कार्यों के जरिए मुहैया कराई गई व्यवस्था पर निर्भर करता है। वर्ष 1953 से बाढ़ के कारण औसतन/अधिकतम (वर्ष) प्रभावित क्षेत्र और फसल प्रभावित क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नदी कटावरोधी कार्य बाढ़ प्रबंधन का अभिन्न अंग है जिसकी आयोजना एवं निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया करायी जाती है।

देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ नियंत्रण आयोग ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार, संसद के अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में गठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन तथा उसके तहत आने वाले उप बेसिनों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है।

केन्द्र सरकार भी गंभीर बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। इस संबंध में 178.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (136.17 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंशदान) से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तरांचल के गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए वर्तमान में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम क्रियान्वयनाधीन है। ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए 166.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (150 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंशदान) वाली एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी तैयार की गई है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी असम में धोल्ला हाथीघुली और माजुली द्वीप में गंभीर कटावरोधी स्कीमें प्रारंभ की हैं।

विवरण

वर्ष 1953 से 2002 के दौरान राज्यवार औसतन/अधिकतम प्रभावित क्षेत्र एवं फसल प्रभावित क्षेत्र को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र निलियन हेक्टेयर में			फसल प्रभावित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में		
		औसत	अधिकतम	वर्ष	औसत	अधिकतम	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.300	3.480	1989	0.211	1.675	1986
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.006	0.119	1992	0.003	0.070	1993
3.	असम	0.893	3.8200	1988	0.225	1.130	1988
4.	बिहार	1.350	4.260	1971	0.620	2.240	1987

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	0.000	नगण्य	1974	0.000	नगण्य	1974
6.	गुजरात	0.313	2.250	1988	0.206	1.490	1988
7.	हरियाणा	0.168	1.000	1977	0.109	0.800	1977
8.	हिमाचल प्रदेश	0.077	0.476	1994	0.063	0.476	1994
9.	जम्मू और कश्मीर	0.028	0.514	1987	0.024	0.514	1987
10.	कर्नाटक	0.049	0.900	1988	0.038	0.900	1988
11.	केरल	0.166	1.470	1989	0.059	0.578	1991
12.	मध्य प्रदेश	0.038	0.377	1994	0.020	0.377	1994
13.	महाराष्ट्र	0.040	0.330	1989	0.036	0.330	1989
14.	मणिपुर	0.012	0.080	1991	0.006	0.080	1991
15.	मेघालय	0.004	0.095	1987	0.004	0.095	1987
16.	मिजोरम	0.108	0.541	1993	नगण्य	0.003	1993
17.	नागालैंड	0.000	0.009	1993	0.000	0.009	1993
18.	उड़ीसा	0.447	1.400	1960	0.282	1.200	1982
19.	पंजाब	0.239	2.790	1988	0.162	2.790	1988
20.	राजस्थान	0.295	3.260	1977	0.172	3.090	1977
21.	सिक्किम	0.001	0.020	1983	0.001	0.020	1983
22.	तमिलनाडु	0.041	0.450	1961	0.032	0.330	1976
23.	त्रिपुरा	0.027	0.330	1963	0.007	0.053	1993
24.	उत्तर प्रदेश	1.986	7.340	1978	1.105	5.200	1979
25.	पश्चिम बंगाल	0.818	3.080	1978	0.270	1.511	2000
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.001	0.030	1988	0.001	0.030	1988
27.	चंडीगढ़	0.000	0.000	1953	0.000	0.000	1953
28.	दादरा और नागर हवेली	0.000	नगण्य	1976	0.000	नगण्य	1976
29.	दमन और दीव	0.000	0.000	1953	0.000	0.000	1953
30.	दिल्ली	0.009	0.070	1978	0.003	0.040	1978
31.	लक्षद्वीप	0.000	नगण्य	1978	0.000	नगण्य	1978
32.	पांडिचेरी	0.002	0.050	1977	0.001	0.012	1991

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

29. श्री मुनव्वर हसन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान श्रम निरीक्षकों द्वारा कौन-कौन से पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर श्रम कानूनों के उचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर

30. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नब्बे के दशक के दौरान देश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में लगे लोगों की संख्या में वार्षिक वृद्धि की अनुमानित दर कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के पिछले सर्वेक्षण 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान किए गए। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर कृषि क्षेत्र में अनुमानित रोजगार जो कि वर्ष 1993-94 में 24.2 करोड़ था 1999-2000 में घटकर 23.8 करोड़ रह गया। निर्माण क्षेत्र में रोजगार 1993-94 में 4.25 करोड़ से बढ़कर 1999 में 4.80 करोड़ हो गया।

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर जो कि वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 1.90% थी, वर्ष 1999-2000 के दौरान आंशिक रूप से बढ़ कर 2.23% हो गई।

भारत पर्यटन वित्त निगम की आस्तियां

31. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत पर्यटन वित्त निगम की कुल कितनी गैर-निष्पादन आस्तियां (एन.पी.ए.) हैं;

(ख) ऐसी आस्तियों की वसूली हेतु आई टी एफ सी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या आई टी एफ सी का प्रस्ताव अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से उपक्रम स्थापित करने का हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ङ) वित्त मंत्रालय जिसके क्षेत्राधिकार में भारत पर्यटन वित्त निगम आता है, से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की दशा

32. श्री विकास चौधरी:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य करने की सोचनीय दशाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उनकी कार्य करने की दशाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) सरकार महिला कामगारों की कार्य दशाओं में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक है।

महिला कामगारों के लिए उपयुक्त कार्य दशाएं सुनिश्चित कराने तथा उनका शोषण रोकने के लिए अनेक कानून लागू किये गये हैं। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948; बागान श्रम अधिनियम, 1951; ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970; अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम, 1979; प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961; भवन एवं अन्य निर्माण) (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 आदि शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कामगारों को क्रैच सुविधाएं, कार्य समय के दौरान बच्चे को दूध पिलाने के लिए छुट्टी, कार्य-स्थल के समीप ही अलग से शौचालय एवं धुलाई की सुविधा, प्रसूति अवकाश आदि का प्रावधान शामिल हैं। सरकार ने समान मजदूरी अधिनियम, 1976 को भी अधिनियमित किया है, जिसमें मजदूरी के भुगतान के मामले में महिला कामगारों के साथ कोई भेदभाव न किये जाने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

खनन कार्यों से प्रदूषण

33. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ खान मालिक सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन न करके अत्यधिक प्रदूषण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने खान मालिकों को दंडित किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गिर वनों की वन भूमि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाना

34. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात में विशेषकर गिर वनों की वन भूमि को संरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या वन भूमि का अन्य कार्यों हेतु उपयोग के कारण वन्य जीवों में कमी की जानकारी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) गिर वन के अधिकांश भाग को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। केन्द्रीय सरकार, वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार क्षेत्र के प्रबंधन और "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास" योजना के अंतर्गत वन्य जीवों के अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन प्रयासों से एशियाई शेरों सहित जिसकी संख्या 1995 में 304 से 2001 में 327 पहुंच गई है, वन्य जीवों की विविध प्रजातियों की संख्या में सुधार हुआ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) में आमूल परिवर्तन

35. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को इस समय पी डी एस के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश विशेषकर हैदराबाद में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत और परिवारों को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के दृष्टिकोण से इसे अधिक प्रभावी, सक्षम और जवाबदेह बनाना एक निरंतरण प्रक्रिया है। सरकार सार्वजनिक वितरण

प्रणाली को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इसकी कार्यप्रणाली की निरंतर समीक्षा करती है।

(ग) (1) 129.12 लाख गरीबी रेखा से नीचे/सफेद कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम की दर से अधिकतम 20 किलोग्राम प्रति माह 5.25 रु. प्रति किलोग्राम की दर से राजसहायता प्राप्त चावल योजना।

(2) 9,34,500 लाभभोगियों को कवर करने वाली अंत्योदय अन्न योजना जिसमें 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से लाभभोगी को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल दिया जाता है।

(घ) से (च) गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए सितम्बर और अक्टूबर, 2003 माह के दौरान हैदराबाद नगर निगम की सीमाओं के भीतर हैदराबाद शहर में एक सर्वेक्षण कराया गया था। इसमें लगभग 792 अधिसूचित मलिन बस्तियों और 353 गैर-अधिसूचित मलिन बस्तियों को कवर करते हुए 2,15,176 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धनों की पहचान करने के लिए सोसायटी फार एलीमिनेशन आफ रूरल पावर्टी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया है। सर्वेक्षण के अनुसार 142.09 लाख परिवारों में से 78.83 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं।

सुपारी कृषक

36. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुपारी कृषकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जाकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषकों को मिल रहे सुपारी-मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कृषकों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सुपारी उत्पादकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को देखते हुए सरकार ने सुपारी उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

(ख) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, पिछले तीन वर्षों में सुपारी के मूल्यों में वृद्धि का रुख देखा गया है:

वर्ष	कालीकट मण्डी में वार्षिक औसत मूल्य दर प्रति क्विंटल (रुपये)
2000-01	3843
2002-03	4005
2003-04 (मई 2004 तक)	5138

(ग) सुपारी की खेती करने वाले किसानों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित करती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार से विशेष अनुरोध प्राप्त होने और इसके प्रचालन में 50% घाटा यदि हो, वहन करने के लिए इच्छुक होने पर किया जाता है। इसके अलावा सुपारी पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान सुपारी के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के कार्यान्वयन हेतु केरल सहित किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वर्ष 2002-03 के दौरान केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त न होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

चालू पर्यटन परियोजना

37. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थानों पर कितनी पर्यटन परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) कितनी परियोजनाओं को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई/कितनी परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) अभी तक कितनी प्रगति हुई है और शेष परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन का विकास मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थानों सहित, पर्यटक स्थलों में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और अवस्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों/कार्यान्वयन एजेंसियों को परामर्श दिया गया है कि वे शेष परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा कर लें।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

नौवीं योजना (31.3.2004 को) के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं एवं अवमुक्त की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	पूर्ण परियोजनाएं	अधूरी परियोजनाएं	छोड़ दी गई परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	53	1170.35	1043.02	42	7	4
2.	असम	62	1840.03	837.78	33	8	21
3.	अरुणाचल प्रदेश	45	1084.60	634.37	9	29	7
4.	बिहार	44	912.68	415.19	16	23	5
5.	छत्तीसगढ़	7	155.28	60.75	4	3	0
6.	गोवा	52	936.45	482.80	27	22	3
7.	गुजरात	64	1653.75	762.98	22	32	10
8.	हरियाणा	39	933.85	694.43	25	4	10
9.	हिमाचल प्रदेश	63	1680.22	1176.55	34	22	7
10.	जम्मू एवं कश्मीर	47	1338.06	1002.56	26	20	1
11.	झारखंड	8	286.49	212.81	1	7	0
12.	कर्नाटक	87	2163.02	1637.99	58	27	2
13.	केरल	66	3124.66	2075.25	44	22	0
14.	मध्य प्रदेश	68	1580.41	879.91	28	24	16
15.	महाराष्ट्र	80	3098.52	2209.64	51	24	5
16.	मणिपुर	40	1338.36	402.77	3	37	0
17.	मेघालय	26	492.36	173.61	4	22	0

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	47	1027.46	921.81	39	7	1
19.	नागालैण्ड	42	824.01	684.17	37	4	1
20.	उड़ीसा	62	1236.07	789.51	16	28	18
21.	पंजाब	30	690.16	381.57	19	3	8
22.	राजस्थान	72	1164.79	734.45	26	41	5
23.	सिक्किम	77	852.43	687.97	65	12	0
24.	तमिलनाडु	75	1579.39	913.72	35	30	10
25.	त्रिपुरा	41	1084.28	866.51	28	13	0
26.	उत्तरांचल	10	135.70	83.04	3	6	1
27.	उत्तर प्रदेश	104	2231.91	1381.96	32	65	7
28.	पश्चिम बंगाल	63	1186.24	743.87	34	24	5
29.	अण्डमान एवं निकोबार	7	256.65	139.07	4	0	3
30.	चण्डीगढ़	14	150.86	143.99	13	1	0
31.	दादर एवं नगर हवेली	6	66.90	21.85	2	4	0
32.	दिल्ली	32	550.95	404.08	28	2	2
33.	दमन एवं दीव	5	65.17	18.75	1	2	2
34.	लक्षद्वीप	3	51.00	21.40	3	0	0
35.	पांडिचेरी	22	319.33	188.63	10	10	2
	जोड़	1563	37262.39	23828.76	822	585	156

विवरण II

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 और 2003-04) के प्रथम दो वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	1454.00	1091.44
2.	असम	12	1081.59	931.91

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	1085.90	732.50
4.	बिहार	14	1524.42	1418.89
5.	छत्तीसगढ़	15	1313.00	462.50
6.	गोवा	3	37.26	35.26
7.	गुजरात	10	1117.63	874.95
8.	हरियाणा	24	1547.63	1190.23
9.	हिमाचल प्रदेश	34	961.64	845.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	8	989.38	984.47
11.	झारखंड	2	1109.00	774.60
12.	कर्नाटक	20	1835.15	1418.00
13.	केरल	17	1469.86	1394.01
14.	मध्य प्रदेश	28	1333.08	969.30
15.	महाराष्ट्र	18	1555.29	1460.83
16.	मणिपुर	3	87.68	27.35
17.	मेघालय	5	110.57	46.12
18.	मिजोरम	11	708.86	235.21
19.	नागालैण्ड	9	1071.50	544.23
20.	उड़ीसा	7	467.05	154.25
21.	पंजाब	5	119.00	26.90
22.	राजस्थान	27	2743.51	2510.45
23.	सिक्किम	21	1497.33	951.25
24.	तमिलनाडु	19	1898.82	1166.63
25.	त्रिपुरा	11	666.30	202.94
26.	उत्तरांचल	7	778.44	621.94
27.	उत्तर प्रदेश	10	1410.80	1211.26
28.	पश्चिम बंगाल	15	918.54	444.34
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0

1	2	3	4	5
30.	चण्डीगढ़	5	17.75	14.63
31.	दादर एवं नगर हवेली	2	8.07	6.46
32.	दिल्ली	31	3820.28	3671.15
33.	दमन एवं दीव	4	314.57	255.46
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	253.04	79.85
	जोड़	419	35306.94	26754.69

उप-महाद्वीपीय पर्यटन

38. श्री सुरेश कुरूप: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उप-महाद्वीपीय पर्यटन को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने अंतर-क्षेत्रीय पर्यटन का संवर्धन और इसे प्रोत्साहित किया है। क्षेत्र में सामान्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के अलावा, यह क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए इकोनामिक एण्ड सोशल कमिशन फार एशिया एण्ड पेसेफिक (ईएससीएपी) बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैण्ड आर्थिक सहयोग (बीआईएमएसटी-ईसी), मेकांग गंगा कार्पोरेशन, एसोसिएशन आफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (एएसईएएन) और सार्क जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में भी भाग लेता है।

बाल-श्रम को समाप्त करने हेतु भारत-अमरीका उद्यम

39. श्री कैलाश बैठा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में बाल-श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत-अमरीका उद्यम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) इससे अनुमानतः कितने बाल श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा मुक्त कराये गए बालकों का किस प्रकार पुनर्वास किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार तथा अमेरिका श्रम विभाग ने पता लगाए गए जोखिमकारी क्षेत्रों में बाल श्रम पर रोक लगाने और इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन—अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ईंडस नामक एक परियोजना विकसित की है। यह परियोजना अगस्त, 2000 में श्रम मंत्रालय तथा अमेरिका श्रम विभाग के द्वारा हस्ताक्षरित "बाल श्रम उन्मूलन पर संवर्धित भारत-अमेरिका सहयोग" संबंधी संयुक्त वक्तव्य पर अनुवर्तन के रूप में विकसित की गयी है, जिसके द्वारा प्रत्येक ने एक अत्यावश्यक मामले के रूप में बाल श्रम के निकृष्ट स्वरूपों के प्रतिषेध एवं उन्मूलन के लिए अपने-अपने देश की प्रतिबद्धता को दुहराया है और यह सहमति हुई है कि प्रत्येक, पता लगाये गये क्षेत्रों में व्यापक परियोजनाओं के विकास में सहयोग एवं सुविधा प्रदान करेगा।

यह परियोजना दिनांक 16.02.2004 को प्रारम्भ की गयी है।

(ग) यह परियोजना 5 राज्यों अर्थात्, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 21 जिलों में लागू की जा रही है।

(घ) इससे 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के मुख्य धारा में लाए जाने वाले 80,000 बच्चे लाभान्वित होंगे।

(ङ) इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना से संबंधित क्षेत्रों के जोखिमकारी उद्योगों में एक केन्द्रित एवं एकीकृत तरीके से

बाल श्रम पूर्णतः उन्मूलन करना है। इस परियोजना में 5-8 वर्ष, 9-13 वर्ष और 14 वर्षों के आयु वर्ग वाले लक्षित समूहों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। माता-पिता को स्व-सहायता समूहों में संगठित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

निधियों का उपभोग न करना

40. **श्री विजय कृष्णः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नौवीं योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए स्वीकृत अप्रयुक्त धन को लौटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे राज्यों का पता लगाने हेतु कोई विश्लेषण किया गया है जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में अप्रयुक्त धन है और उन राज्यों द्वारा निधियों का पूर्ण उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7813.00 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन की तुलना में 7510.92 करोड़ रु. खर्च किए गए जो कि संशोधित आवंटन का 96.13% होता है।

(ख) और (ग) हर वर्ष राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किश्तों में धनराशि जारी की जाती है। यह विभाग धन के उपयोग की नियमित आधार पर मानीटरिंग करता है। राज्यों को धन जारी करते समय, बची हुई राशि, धन के उपयोग की गति और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर विचार किया जाता है।

बांधों का निर्माण

41. **श्री परसुराम मांझीः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बांधों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में महानदी नदी पर दूसरे बांध के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों में मूल्यांकनाधीन बांधों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा में महानदी नदी पर दूसरा बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	वृहद					मध्यम					कुल				
		क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	0	2	0	0	2	6	9	0	0	15	6	11	0	0	17
2.	बिहार	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	01
3.	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	0	1	03
4.	गुजरात	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	01
5.	हरियाणा	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	01
6.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	झारखंड	3	2	0	0	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	05
8.	कर्नाटक	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	03
9.	केरल	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	02
10.	मध्य प्रदेश	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	2	3	0	0	05
11.	महाराष्ट्र	4	7	4	0	15	22	8	0	0	30	26	15	4	0	45
12.	मणिपुर	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	01
13.	नागालैंड	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	01
14.	उड़ीसा	0	3	0	0	3	0	6	0	0	6	0	9	0	0	09
15.	राजस्थान	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	1	2	0	0	03
16.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	01
17.	उत्तर प्रदेश	2	4	0	0	6	1	0	0	0	1	3	4	0	0	07
18.	उत्तरांचल	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	01
19.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	01
	कुल जोड़	15	28	5	0	48	33	27	0	1	61	48	55	5	1	109

क- परियोजना मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है।

ख- कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

ग- जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

घ- निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को संस्तुत।

[हिन्दी]

वन भूमि का पट्टा

42. श्री बाबू लाल मरांडी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कुल कितने जनजातीय ग्रामों का पता लगाया गया है जो वन क्षेत्रों में बसे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार वर्तमान कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इन जनजातीय ग्रामों को वन भूमि नियमित पट्टे पर दी जा सके; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में जनजातीय गांवों सहित 2690 अभिज्ञात वन गांव हैं। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इन वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के प्रयोजन से 18 सितम्बर, 1990 को विस्तृत मार्गनिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। अब तक केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में 384 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदल दिया है। इसलिए, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधन का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गन्ना किसानों और गन्ना मिलों को राहत

43.

श्री शिवाजी अधलराव पाटील:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में 169 चीनी मिलों ने चूक की है और सरकार की चीनी आयात करने की नीति के कारण बंद होने को है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चीनी आयात करने की अपनी नीति को बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा इन मिलों के पुनरुद्धार हेतु क्या अन्य उपाय करने और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ङ) इन मिलों में सरकारी बैंक की कुल कितनी धनराशि निवेशित है; और

(च) इन मिलों में कुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) निर्यात-आयात नीति के अनुसार चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस की स्कीम के तहत अनुमत है तथा इसका चीनी मिलों के बन्द होने से कोई संबंध नहीं है। जहां तक इस पहलू का संबंध है, हाल में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी के लिए चूककर्त्ता चीनी मिलों की संख्या 34 है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रमों को जीवनक्षम बनाने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा पुनर्स्थापन समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा एक स्कीम स्वीकृत/संस्तुत की जाती है। स्कीम के एक भाग के रूप में, चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के अनुसार संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम आधुनिकीकरण अथवा संयंत्र व मशीनरी के पुनर्स्थापन तथा गन्ना विकास के लिए ऋण के पात्र हैं।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 56 रुग्ण सहकारी चीनी मिलों में सरकार/बैंक के निवेश की राशि अंश पूंजी के प्रति 309.46 करोड़ रुपये तथा आवधिक ऋणों के प्रति 676.43 करोड़ रुपये है।

(च) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों की संख्या क्रमशः लगभग 4000 तथा 17,000 है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि श्रमिक आयोग की रिपोर्ट

44. श्री राम कृपाल यादवः क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कृषि श्रमिक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट किस तिथि को प्राप्त हुई और इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस पर की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि श्रमिकों की कार्य स्थितियों को विनियमित करने और उनके साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने का प्रस्तावित तंत्र क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि श्रमिक आयोग का गठन नहीं किया है। तथापि, 1987 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1991 में प्रस्तुत कर दी थी। आयोग ने ग्रामीण श्रम के लाभार्थ व्यापक सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण कामगारों और कृषि कामगारों हेतु केन्द्रीय विधान शामिल हैं। सरकार ने भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का अधिनियमन किया है। जहां तक उनकी कुछ सिफारिशों का संबंध है जैसे सभी बीड़ी कामगारों को उनके घरों में या कहीं और पहचान-पत्र जारी किया जाना, राज्य सरकारों के सहयोग में निरन्तर आधार पर पहचान-पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसी प्रकार बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों को लगातार सभी स्तरों पर सतर्कता समितियों को पुनः प्रभावी करने के लिए कहा जा रहा है।

कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु एक केन्द्रीय विधान बनाने संबंधी एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था। विधेयक के प्रारूप में विभिन्न घटकों पर राज्य सरकारों के बीच

आम सहमति न होने के कारण इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

वन भूमि को अन्य काम में लगाने से अर्जित धनराशि

45. **श्री सुरेश चंदेल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानून के अनुसार संबंधित विभागों को वन लगाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि का उपयोग करने अथवा वृक्षों को काटने अथवा विकासात्मक कार्य करने की अनुमति देने के लिए मूल्यांकन के आधार पर सरकार के पास कतिपय धनराशियां जमा करानी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार को राज्यवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या संबंधित राज्य वन विभागों ने प्रभावित वन क्षेत्र में धनराशियों को खर्च कर दिया है ताकि अधिनियम को उपबंधों का पूर्णतः पालन किया जा सके और इसकी सच्ची भावना को साकार किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग को अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्र सरकार वन क्षेत्र की क्षति से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत जारी मार्गनिर्देश के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के निक्षेपण सहित कतिपय शर्तें निर्धारित करती है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा वर्ष 1980 से प्रतिपूरक वनीकरण के लिए लगभग 885 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जिसमें से अब तक लगभग 580 करोड़ रुपए की राशि प्रयोग की गई है। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार ब्यौरों का संकलन नहीं किया जाता है। धनराशियों के उपयोग नहीं होने का मुख्य कारण कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् राज्य/संघ शासित वन विभाग की फील्ड इकाईयों के लिए निधियों को जारी नहीं करना/आंशिक रूप में जारी करना है।

विवरण

आंकड़े 1980 से
(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1980 से राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए जारी की गई निधि	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रयोग की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	69.5800	49.6600
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.9200	5.0300
3.	असम	7.8600	1.3600
4.	बिहार	0.3800	0.0300
5.	छत्तीसगढ़	75.6000	46.3900
6.	गोवा	3.8200	2.9900
7.	गुजरात	114.2900	78.1200
8.	हरियाणा	8.7200	2.6300
9.	हिमाचल प्रदेश	18.7500	10.4600
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.9000	0.0000
11.	कर्नाटक	67.6800	51.1100
12.	केरल	60.7700	52.8700
13.	मध्य प्रदेश	76.4300	42.5600
14.	महाराष्ट्र	170.8000	151.5300
15.	मणिपुर	0.0005	0.0000
16.	मेघालय	1.5000	0.0000
17.	मिजोरम	6.0700	2.6700
18.	उड़ीसा	42.7600	15.9300
19.	पंजाब	20.5400	13.1600
20.	राजस्थान	23.9700	7.5000
21.	सिक्किम	6.1200	3.8000

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	6.5900	1.4900
23.	त्रिपुरा	4.7700	1.1700
24.	उत्तर प्रदेश	36.7200	20.1600
25.	उत्तरांचल	25.0600	12.5800
26.	पश्चिम बंगाल	9.7800	6.0400
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.9800	0.2200
28.	दादर व नगर हवेली	1.0200	0.0000
	योग	885.3805	579.4600

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का आबंटन

46. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वस्तु-वार केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान को कितना खाद्यान्न प्रदान किया गया और राजसहायता प्राप्त दरों पर कितना गेहूं प्रदान किया गया;

(ग) क्या उक्त राज्यों को आबंटित खाद्यान्न इनकी आवश्यकता के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) योजना आयोग के निर्धनता अनुमानों (1993-94) और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के जनसंख्या प्रेक्षपणों के आधार पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की अनुमानित संख्या क्रमश: 41.25 लाख और 24.31 लाख परिवार हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन दी गई खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन राज्यवार परिवारों की अनुमानित संख्या अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए राशनकार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण योजनाओं के अधीन आवंटन निर्धारित मानदंड और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन

(हजार टन में)

मध्य प्रदेश

वर्ष	चावल	गेहूं
1999-2000	412.200	503.880
2000-2001	577.452	814.762
2001-2002	411.064	939.527
2002-2003	1240.167	3065.202
2003-2004	723.875	3367.445

राजस्थान

वर्ष	चावल	गेहूं
1999-2000	15.860	633.220
2000-2001	33.062	1251.943
2001-2002	16.926	1412.643
2002-2003	83.262	3879.870
2003-2004	78.432	3624.685

कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन

(हजार टन में)

	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
मध्य प्रदेश										
मध्याह्न भोजन योजना	80.63	138.09	44.35	146.26	49.31	161.34	128.08	37.75	39.99	121.83
गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	—	1.20	5.73	55.16	61.50	2.00	—	80.00	—	60.00
अनु.जा./अनु.जन./अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों/कल्याण संस्थाएं	—	—	—	—	19.18	44.53	12.72	51.00	2.55#	14.37#
अन्नपूर्णा	—	14.38	—	—	—	—	—	—	—	—
काम के बदले अनाज	—	—	43.43	145.24	—	—	—	—	—	—
सं.ग्रा.रो. योजना का विशेष घटक	—	—	—	—	—	—	127.98	349.78	—	—
सं.ग्रा.रो. योजना	—	—	—	—	89.92	265.88	63.58	283.60	57.26	153.28
राजस्थान										
मध्याह्न भोजन योजना	-	130.31	-	186.65	-	154.04	-	170.08	-	168.92
गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	-	2.00	-	4.60	-	5.16	-	-	-	4.00
अनु.जा./अनु.जन./अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों/कल्याण संस्थाएं	-	-	3.22 (चावल+ गेहूं)	-	0.47	39.74	0.48	39.72	0.09#	9.00#
अन्नपूर्णा	-	5.70	12.64 (चावल+ गेहूं)	-	12.64 (चावल+ गेहूं)	-	-	12.64	-	12.63
काम के बदले अनाज	-	-	-	621.36	-	-	-	-	-	-
सं.ग्रा.रो. योजना का विशेष घटक	-	-	-	-	-	-	-	1357.63	-	-
सं.ग्रा.रो. योजना	-	-	-	-	-	137.59	-	224.97	-	108.14

#अप्रैल से जून, 2004 के लिए

उड़ीसा की कानपुर सिंचाई परियोजना

47. **श्री अनंत नायक:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा की कानपुर सिंचाई परियोजना को पूरा करने के कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) उड़ीसा की कानपुर सिंचाई परियोजना को योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002 में 428.32 करोड़

रुपये की अनुमानित लागत से निवेश स्वीकृति दी गई है और इस परियोजना में मार्च, 2003 तक 24.73 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इस परियोजना के दसवीं योजना के बाद तक चलने की संभावना है।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

48. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काफी समय से लंबित अधूरी चंपामोती बड़ी सिंचाई परियोजना और धनश्री बड़ी सिंचाई परियोजना का एक बारगी केन्द्रीय निधि द्वारा वित्त पोषण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पगलाडिया बांध परियोजना की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्र सरकार का चंपामती और धनसिरी वृहद सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एकमुश्त केन्द्रीय निधि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार उन निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं, जो निर्माण की अंतिम चरण में हैं, को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) प्रदान कर रही है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 से अब तक चंपामती के लिए 13.733 करोड़ रुपये तथा धनसिरी के लिए 31.690 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।

(ग) सरकार का पगलादिया बांध परियोजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पगलादिया बांध परियोजना को जनवरी, 2001 में स्वीकृति मिल चुकी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदूषण

49. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में कानपुर से फतेहपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर कारखानों के धुएं, शोर और रासायनिक अपशिष्टों और उनसे क्षीण हो रही भू-उर्वरकता और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कानपुर से फतेहपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चौड़ागाड़ा और मालबा औद्योगिक एस्टेट में कुछ ही रसायन उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों ने पर्याप्त बहि:स्राव शोधन संयंत्र/उत्सर्जन नियंत्रण सिस्टम स्थापित किए हैं और ऐसी औद्योगिक इकाइयों से अपशिष्ट निपटान के कोई प्रभाव नहीं आये हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को निदेश दिया है कि वे निपटान स्थलों को उपयुक्त लाइनिंग के साथ विकसित करे ताकि भूजल संदूषण से बचा जा सके। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी ठोस अपशिष्ट के निपटान, विशेषकर रोमा क्षेत्र चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के क्रोमियम के निपटान के लिए एक स्कीम को प्रायोजित किया है, जिसे कानपुर नगर निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

कोसी-खुर्द सिंचाई परियोजना

50. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोसी-खुर्द सिंचाई परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए आवंटित धनराशि में से खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) केन्द्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया करा रही है जो पूरा होने की अंतिम अवस्था में हैं। पिछले पांच वर्षों में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को ए आई बी पी के

तहत मुहैया कराई गई केन्द्रीय ऋण सहायता नीचे दिए गये अनुसार है:

वर्ष	केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)
1999-2000	3.170 रुपये
2000-2001	4.500 रुपये
2001-2002	5.700 रुपये
2002-2003	-
2003-2004	6.870 रुपये

(ख) इस परियोजना पर राज्यों के हिस्से सहित राज्य द्वारा व्यय की गई राशि इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1999-2000	6.143 रुपये
2000-2001	9.791 रुपये
2001-2002	4.348 रुपये
2002-2003	1.453 रुपये
2003-2004	12.461 रुपये

(ग) इस परियोजना के दसवीं योजना के पश्चात् पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

आप्रवासी श्रमिकों के अधिकार

51. श्री उदय सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत आप्रवासी श्रमिकों, जिनमें भारत सहित अधिकांश एशिया के श्रमिक शामिल हैं, के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नौ-सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) नौ सूत्री कार्य योजना निम्नवत् है:

(1) नियोजक संबंधी प्रयोजनों के लिए ''व्यवस्थित प्रव्रजन'' को बढ़ावा देना, इसमें प्रव्रजन के भिन्न-भिन्न पहलुओं से निपटने के लिए मेजबान देशों तथा मूल निवास वाले राष्ट्रों के बीच करार शामिल है।

(2) प्रवासी कामगारों के लिए मर्यादित कार्य को बढ़ावा देना।

(3) प्रवासी कामगारों संबंधी भर्ती एवं ठेका एजेन्सियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों और सिफारिशों के अनुसार लाइसेन्स देना तथा पर्यवेक्षण करना।

(4) अनुचित व्यवहारों, प्रवासियों की तस्करी और व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार पर रोक लगाना, उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा करना तथा अनियत श्रम प्रव्रजन पर रोक लगाना।

(5) कतिपय व्यवसायों तथा क्षेत्रों में सभी प्रवासी पुरुष एवं महिला कामगारों से संबंधित विशिष्ट जोखिमों का निराकरण करना।

(6) श्रम निरीक्षण को बेहतर बनाना तथा प्रवासी कामगारों के लिए चैनलों का सृजन करना ताकि वे निर्भय होकर शिकायत दर्ज करवा सकें और उसका हल निकलवा सकें।

(7) यह सुनिश्चित करने के उपायों को बढ़ावा देना कि सभी प्रवासी कामगार सभी संगत अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के उपबंधों से लाभान्वित हों।

(8) यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि सभी प्रवासी कामगार राष्ट्रीय श्रम विधान तथा लागू सामाजिक नियमों के दायरे में शामिल हों।

(9) प्रव्रजन वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों को लागू करना।

(ग) और (घ) देश में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्ययोजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिए सरकार की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं।

खाद्यान्न का निर्यात

52. श्रीमती सी.एस. सुजाताः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए खाद्यान्न निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यातकों को राजसहायता प्रदान की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की वस्तुवार दर का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश में निर्यात किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(टन में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
चावल गैर-बासमती	1541489	4076347	2424963
चावल बासमती	667072	594867	634501
गेहूं	2649380	3570890	3609362
जोड़	4857941	8242104	6668826

(ख) और (ग) **वर्ष** 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान केन्द्रीय पूल से उठान किए गए स्टाक के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई राजसहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

2001-02	1368
2002-03	5743
2003-04	3621

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में जुलाई, 2000 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2001 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:

गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपये प्रति क्विटंल)

निम्न तारीख से प्रभावी	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	
		से	तक
12.7.2001	415	830	610
1.4.2002	415	610	510
1.7.2002 से आज तक	415	510	610

चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपये प्रति क्विटंल)

निम्न तारीख से प्रभावी	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	
		से	तक
12.7.2001	565	1130	830
1.4.2002	565	830	730
1.7.2002 से आज तक	565	730	830

25.12.2000 को अंत्योदय अन्न योजना के लागू होने के समय से ही उक्त योजना के अधीन 2/- रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल जारी किया जा रहा है।

कुर्थलम, तमिलनाडु में प्राकृतिक प्रपात

53. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में कुर्थलम में सुन्दर प्राकृतिक प्रपात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आई.टी.डी.सी. के माध्यम से इस स्थान को विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तिरूनेलवेली जिले में कुर्थलम में प्राकृतिक प्रपात के विकास के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार से पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि, कोटलाम (1993-94) में पर्यटक लाज के निर्माण के लिए 39.00 लाख रुपए तथा कोर्टलाम (1998-99) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 10.00 लाख रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

रोजगार एजेन्सियों द्वारा सैन्य कर्मियों की भर्ती

54. श्री पी. करूणाकरन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कतिपय रोजगार एजेन्सियां इराक में अमरीका सेना में सेवा प्रदान करने के लिए लोगों की भर्ती कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) अप्रैल-मई, 2004 में समाचार-पत्रों ने यह खबर प्रकाशित की कि कुछ भारतीय एजेंसियां भारत से भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती करके उन्हें इराक भेज रही है। इस बारे में जांच पड़ताल की गई तथा संबंधित एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। उन भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जो श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत नहीं थीं। जिन विदेशी कंपनियों ने कुछ भारतीयों को कुवैत एवं जार्डन में रोजगार के लिए भर्ती किया था और बाद में उन्हें इराक भेज दिया। उन्हें पूर्व अनुमोदन श्रेणी (पी ए सी) अर्थात् काली सूची में डाल दिया गया है। उन्हें जब भारत से किसी भी व्यक्ति को भर्ती करने की इजाजत नहीं है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना

55. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के फैसले में केन्द्र सरकार को पंजाब में सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना को अपनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है जिनकी वजह से पंजाब निर्धारित समय पर इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस परियोजना को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के मूल वाद सं. 6 में आई ए सं. 4 में दिनांक 04.06.04 के अपने फैसले और आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ पंजाब में सतलज-यमुना सम्पर्क (एसवाईएल) नहर को पूरा करने के लिए किसी केन्द्रीय अभिकरण को इस कार्य में लगाते हुए अपनी कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार को निदेश दिया है।

(ख) पंजाब सरकार के अनुसार राज्य में लम्बे समय तक चले आतंकवाद और विभिन्न पक्षों के बीच उच्चतम न्यायालय में चले दीर्घकालिक मुकदमा, जिसने मामले पर 04.06.2004 को निर्णय दिया है, के कारण नियत समय पर सतलज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) एक केन्द्रीय अभिकरण को नहर कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। कार्यों के निष्पादन में अभिकरण को सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं। दिनांक 04.06.2004 के फैसले और आदेश में उल्लिखित निर्णय के शीघ्रता से कार्यान्वयन को समन्वित और सरल बनाने के लिए एक अधिकार प्राप्त/उच्च अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

56. श्री विष्णु देव साय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने बिना मंजूरी के सरकारी धन के विशाल भाग को लिमिटेड कंपनियों में गैर-कानूनी ढंग से लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कंपनियों और धन के उपभोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कदाचार और धनराशि के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धान वर्ष

57. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत कुछ संगठनों ने वर्ष 2004 को ''धान वर्ष'' के रूप में मानने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में धान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने वर्ष 2004 को ''अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष'' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष का उद्देश्य इस अति महत्वपूर्ण फसल के उत्पादन को और इस तक पहुंच को बढ़ाना है क्योंकि यह विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या का भोजन है और इससे लाखों लोगों को आय प्राप्त होती है। यह वर्ष विश्व भर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा जिसमें ग्रामीण समुदाय से लेकर चावल जीनोम का मानचित्र तैयार करने वाले वैज्ञानिक संस्थानों के स्टेक होल्डरों के पूरे समुदाय को चावल उत्पादन में वृद्धि करने के मिशन में इस प्रकार से संलग्न किया जाएगा जिससे सततता एवं साम्या में वृद्धि हो।

(ग) केन्द्र सरकार देश में चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिये ''समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल'' (आई.सी.डी.पी.-चावल) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रही है। अब इस स्कीम को अक्तूबर, 2000 से कृषि के वृहत प्रबन्धन मोड में मिला दिया गया है जिससे कि राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के आधार पर कार्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता मिल सके। राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, संकर चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, समेकित कीट प्रबंध का प्रचार-प्रसार करने; महिलाओं समेत किसानों को प्रशिक्षण देने; इलेक्ट्रानिक मीडिया और मुद्रित पाठ्य सामग्री के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण करने में; फार्म उपस्करों के लिये, स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने के लिये, किस्मों का विस्थापन करने, प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने आदि के लिये सहायता दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) भी किसानों के खेतों में अग्रणी प्रदर्शन आयोजित करता है।

भारतीय श्रम अधिनियम

58. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के श्रमिकों पर भारतीय श्रम अधिनियम लागू होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय श्रम अधिनियम का अनुसरण अनिवार्य बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) ''भारतीय श्रम अधिनियम'' के नाम से कोई भी अधिनियम नहीं है। तथापि, जहां तक श्रम कानूनों का संबंध है, उनकी प्रयोजनीयता को संबंधित अधिनियमों में परिभाषित किया गया है। ये अधिनियम, बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित सभी परिभाषित प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं।

किसानों को धान की कीमतों का भुगतान नहीं होना

59. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को धान, चावल इत्यादि की खरीद के बदले भुगतान निधारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे और इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग का मैनुअल यह निर्धारित करता है कि उन आरोपों/शिकायतों के मामले में जहां गैर-सरकारी व्यक्तियों से पूछताछ किए बगैर तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सके या गैर-सरकारी रिकार्डों, लेखा पुस्तकों इत्यादि की जांच के मामले शामिल हों, को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो क्या किसानों को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित ऐसे मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) किसानों को खाद्यान्नों की खरीद के लिए भुगतान सामान्यत: निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है।

(घ) से (च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मैनुअल में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया विहित की गई है। शिकायत के प्रत्येक मामले में यह पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता होती है कि क्या आरोप में कोई सच्चाई है अथवा नहीं और यह भी जांच करने की आवश्यकता होती है कि शिकायत में पर्याप्त सुनिश्चित सूचना दी गई है जिसके लिए आगे जांच करना अपेक्षित है। उन मामलों में, जहां विभागीय जांच और सत्यापन संभव को ऐसे मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजने का विवेकाधिकार है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को किसानों से धान की खरीद हेतु भुगतान को रिलीज करने में विलंब के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग

60. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो के सर्वेक्षण से ग्रामीण आबादी की एनर्जी उपभोग के बारे में उपलब्ध सूचना के अनुसार एनर्जी उपभोग में आंकड़ों से हिसाब से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

(घ) सरकार ने आबादी के पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित अनेक उपाय शुरू किए हैं:

- कृषि उत्पादन बढ़ाना।
- आय सृजन योजनाओं के माध्यम से जनता की क्रय शक्ति में सुधार करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त लागत पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना।
- देश में राष्ट्रीय पोषाहार नीति (1993) और पोषाहार संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (1995) क्रियान्वित की जा रही है।
- स्तनपान को बढ़ावा देने सहित आहार पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उनमें वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषाहार संबंधी शिक्षा प्रदान करना।
- अनुपूरक पोषण कार्यक्रम।

  (1) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।

  (2) गेहूं आधारित अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम।

  (3) राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार समर्थन कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम)।

  (4) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना।
- विशिष्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के विकारों को रोकने के लिए कार्यक्रम।

  (1) राष्ट्रीय आयोडीन कमी जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

  (2) विटामिन "ए" की कमी के कारण पोषणिक अंधता को रोकने और आयरन की कमी के कारण अल्परक्तता पर पोषाहार हेतु रोग-निरोधन कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन है।

  (3) माइक्रोन्यूट्रिएंट कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए पाइलट परियोजना कार्यक्रम।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

61. श्री सुकदेव पासवान: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक, विभिन्न राज्यों विशेषतः बिहार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने कितने आवेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) अब तक सरकार द्वारा कितने आवेदन स्वीकृत किए गए/सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) सूचना विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) इन प्रस्तावों की जांच उनकी तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक साध्यता और अन्य मानदंडों के संदर्भ की जाती है। ऐसे मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को वित्तीय सहायता दी जाती है। क्रियाविधि के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच की जाती है।

विवरण I

स्थापना, आधुनिकीकरण और उन्नयन संबंधी स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक प्राप्त, अनुमोदित, बंद किए गए, अस्वीकृत और ब्यौरे

क्रम सं.	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित	लंबित	अस्वीकृत	बंद किए गए
1.	2001-02	158	43	17	20	78
2.	2002-03	523	69	115	38	301
3.	2003-04	616	16	268	27	305
4.	2004-05 (30 जून, 04 तक)	64	-	64	-	-

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक बिहार राज्य से प्राप्त, अनुमोदित, बंद किए गए, अस्वीकृत और लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं.	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित	लंबित	अस्वीकृत	बंद किए गए
1.	2001-02	01	-	01	-	-
2.	2002-03	05	01	02	-	02
3.	2003-04	08	-	02	-	06
4.	2004-05 (30 जून, 04 तक)	01	-	01	-	-

श्रीनगर के लिए हवाई यात्रा हेतु कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)

62. श्री गुरुदास कामत: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को श्रीनगर के लिए हवाई यात्रा करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) सुविधा लेने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दो वर्षों की अवधि के लिए नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच, सभी समूह क और ख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत पर राष्ट्रीय कैरियर में एयर इकोनामी (वाई) श्रेणी द्वारा यात्रा करने की अनुमति देने और तदनुसार वायु किराये की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। ये आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो आल इंडिया छुट्टी यात्रा रियायत लेकर श्रीनगर की यात्रा करना चाहते हैं, बशर्ते कि नई दिल्ली प्रारंभिक स्टेशन हो अथवा श्रीनगर के मार्ग में हो।

पाम आयल का आयात

63. श्री दिन्शा पटेल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अब भी घरेलू तिलहन उत्पादन में भारी कमी के कारण पाम आयल के आयात पर निर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो आयातित पाम आयल पर निर्भरता कम करने के लिए कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) देश में तिलहनों के उत्पादन में कमी के कारण खाद्य तेलों की मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच स्थाई अंतर है। इसे पाम तेल सहित आयातित तेलों के जरिए पूरा किया जाता है।

(ख) पाम तेल सहित आयातित तेलों पर निर्भरता कम करने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

(1) समुचित उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन तकनीक विकसित करने के लिए तिलहनों से संबंधित एक प्रौद्योगिकी मिशन कार्य कर रहा है।

(2) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहन की फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का दोहन करना।

(3) पाम तेल विकास हेतु सहायता।

(4) न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के जरिये उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(5) वनस्पति के निर्माण में उत्पादन के 12% के स्तर तक घरेलू तेलों के प्रयोग को अनिवार्य बनाना।

सिंचाई क्षेत्र में निजी भागीदारी

64. श्री प्रकाशबाबू वी. पाटिल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति-2002 में यह प्रावधान है कि जहां कहीं व्यवहार्य हो, विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जिससे नवीन विचारों को लागू करने, वित्तीय संसाधन सृजित करने और कारपोरेट प्रबंधन को प्रारंभ करने तथा सेवा दक्षता और प्रयोक्ताओं की विश्वसनीयता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। इसमें विशिष्ट स्थितियों के आधार पर जल संसाधन सुविधाओं के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, पट्टा हस्तांतरण में विभिन्न प्रकार के निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार किए जाने की योजना है। तथापि राष्ट्रीय जल नीति में आवश्यकतानुसार आवधिक संशोधन का भी प्रावधान है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अतः जल संसाधन मंत्रालय ने निजीकरण के लिए कोई कार्रवाई योजना तैयार नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे और सीमान्त कृषक

65. श्री अजय माकन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छोटे और सीमान्त कृषि जोतों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इन छोटे और सीमान्त कृषकों के उत्थान हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि संगणना 1995-96 के अनुसार देश में 21643 हजार छोटी और 71179 हजार सीमान्त जोतें हैं। इन जोतों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) कृषि तथा बागवानी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। महत्वपूर्ण स्कीमें हैं:- पूर्वी भारत में खेतों पर जल प्रबंध, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि का वृहत प्रबंधन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी मिशन, नारियल प्रौद्योगिकी मिशन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं, ग्रामीण भण्डारण योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा, कृषि क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र स्कीमें। इन स्कीमों के अंतर्गत छोटे, सीमान्त तथा अन्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न घटकों, जिनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, में बीज, समेकित कीट प्रबंध, किसानों को प्रशिक्षण, सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि उपस्कर, पौध संरक्षण उपकरण आदि शामिल हैं।

विवरण

कृषि संगणना 1995-96 के अनुसार सीमान्त तथा छोटी प्रचालन जोतों की संख्या

(संख्या हजार में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	सीमान्त	छोटी
1.	आंध्र प्रदेश	6300	2262
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	20
3.	असम	1669	561
4.	बिहार (झारखण्ड सहित)	11344	1526
5.	गोवा	57	8
6.	गुजरात	1034	1058
7.	हरियाणा	815	338
8.	हिमाचल प्रदेश	556	173
9.	जम्मू और कश्मीर	1041	187
10.	कर्नाटक	2610	1707
11.	केरल	5918	262
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	3878	2312
13.	महाराष्ट्र	4266	3176
14.	मणिपुर	69	49
15.	मेघालय	72	44
16.	मिजोरम	28	26
17.	नागालैण्ड	9	21
18.	उड़ीसा	2145	1106
19.	पंजाब	204	183
20.	राजस्थान	1611	1085
21.	सिक्किम	24	10
22.	तमिलनाडु	5951	1234
23.	त्रिपुरा	247	40
24.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	16237	3135
25.	पश्चिम बंगाल	5003	1101
	सभी राज्य	71109	21625
	सभी केन्द्र शासित प्रदेश	70	18
	कुल योग	71179	21643

"राऊण्डिग आफ" के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता।

झारखण्ड के किसानों हेतु रियायती कीमतें

66. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड में किसानों को खाद और बीज कम कीमतों पर नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को खाद और बीज रियायती दरों पर उपलब्ध हों, राज्य को विशेष पैकेज देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) झारखण्ड राज्य सरकार राज्य प्लान के अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को 50% सब्सीडी के आधार पर उच्च उत्पादक किस्म के दलहन, तिलहन और सब्जी-बीज उपलब्ध करा रही है। केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार इस राज्य के खाद्यान्न फसलों के बीजों से संबंधित वृहत कृषि प्रबन्धन स्कीम के अंतर्गत सहायता देती है ताकि पुरानी किस्में विस्थापित की जा सकें और नये जर्म प्लाज्मों का प्रसार किया जा सके। जैविक खादों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी भारत सरकार उर्वरकों पर किसानों को सब्सिडी देती है जिससे कि उन्हें ये आसान कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकें। सरकार शहरी कचरों से जैविक खाद तैयार करने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी भी प्रदान करती है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवासीय क्षेत्रों से प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों को हटाना

67. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेमनगर बाजार, नई दिल्ली में चल रहे अवैध आइसक्रीम फैक्ट्री और जल संयंत्र ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है और वहां रहने वाले निवासी उक्त फैक्ट्री/संयंत्र द्वारा कचरा फैलाने तथा रात के समय ध्वनि प्रदूषण करने के कारण बहुत परेशान हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त संयंत्र/फैक्ट्री को उस क्षेत्र से हटाने तथा निवासियों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) आइसक्रीम निर्माण गतिविधि दिल्ली मास्टर प्लान 2001 की श्रेणी-ख के अंतर्गत आती है तथा इसे स्थानीय, व्यवसायिक तथा शापिंग काम्प्लेक्स में अनुमति प्रदान की गई है। इस गतिविधि के जल प्रदूषक होने की वजह से इकाइयों को बहि:स्राव शोधन संयंत्र (ई टी पी) लगाने की आवश्यकता है। चूंकि ऐसे कई स्थानीय क्षेत्र है जिन्हें 'प्रेम नगर' के नाम से जाना जाता है, अत: पूरे पते के अभाव में यह इंगित करना मुश्किल है कि कोई विशेष आइसक्रीम फैक्ट्री प्रदूषण फैलाने में लिप्त है।

आयातित तेल का उपयोग

68. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार से वनस्पति के उत्पादन में स्वदेशी या आयातित तेलों के उपयोग पर प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या नेपाल से सीमा शुल्क से पूर्णत: छूट प्राप्त वनस्पति के आयात से कई राज्यों के बाजार इस वनस्पति से पटे पड़े हैं और इससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

वर्ष 2003-04 में नेपाल से आयातित वनस्पति देश में वनस्पति की अनुमानित कुल खपत का केवल लगभग 4.1% बैठता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि विपणन प्रणाली में निजी क्षेत्र

69. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि विपणन प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन योजना अतिरेक परिमाण के प्रक्षेपण का आकलन किया है, जिसके अनुसार कृषि विपणन की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये अगले 10 वर्ष में 11,172 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान है। इस निवेश के एक बड़े हिस्से के निजी क्षेत्र से आने की आशा है, जिसके लिये एक समुचित विनियामक तथा नीतिगत वातावरण की जरूरत है। यह मंत्रालय सुधार की प्रक्रिया पर काम कर रहा है और यह राज्यों से कई दौर के तथा ठोस विचार-विमर्श कर चुका है जिसमें कृषि विपणन (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) से संबंधित राज्यों के कानूनों के प्रतिबन्धात्मक प्रावधान तथा उनमें संशोधन करने और विपणन विकास तथा ठेके पर खेती में निजी क्षेत्रों को विधि सम्मत स्थान उपलब्ध कराये जाने की जरूरत पर विचार-विमर्श किया गया।

निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विपणन और अनुबंध फार्मिंग को बढ़ावा तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि विपणन के विकास को इस क्षेत्र में सुधार का एक प्रमुख क्षेत्र माना गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधार किये जाने की जरूरत है।

(ग) चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है अत: इस क्षेत्र में उपर्युक्त सुधार लाने की बाबत राज्य सरकारों के साथ 7 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य कृषि मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया जिसमें राज्यों ने अपने-अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों की इस मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ तैयार किये गये माडल ए.पी.एम.सी. अधिनियम की तर्ज पर समीक्षा करने पर अपनी सहमति जताई थी।

[अनुवाद]

काफी उत्पादकों की दुर्दशा

70. **श्री अनन्त नायक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में काफी उत्पादकों की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों में विशेषतः केरल और कर्नाटक में काफी उत्पादकों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, विगत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू काफी की कीमतों में भारी गिरावट आयी है जिससे काफी उत्पादकों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म

71. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म को क्रियान्वित करने से संबंधित 12 मासिक राष्ट्रीय रणनीति अध्ययन आरंभ किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने भारत में विश्व बैंक की सहायता से क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (सी डी एम) के कार्यान्वयन के लिए अक्टूबर, 2003 में नेशनल स्ट्रेटजी स्टडी (एन एस एस) शुरू की थी। सी डी एम के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस की कमी के लिए और देश में सी डी एम परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए संभाव्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों द्वारा प्रस्तुत मुद्दों और अवसरों का आकलन करने के लिए एन.एस.एस. की परिकल्पना की गई है। विश्व बैंक ने इसके अध्ययन को एनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टी ई आर आई) नई दिल्ली को सौंपा है। अध्ययन की रिपोर्ट अक्टूबर, 2004 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

बिहार में चीनी कारखानों को बंद किया जाना

72. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में चीनी कारखाने पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन चीनी कारखानों को पुनर्जीवित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) बिहार के पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण में स्थित सुगौली, लौरिया, बाराचकिया तथा चनपतिया चीनी मिलें कई वर्षों से बंद पड़ी हैं।

(ख) और (ग) सुगौली एवं लौरिया चीनी मिलें बिहार राज्य पानी निगम की इकाइयां हैं जिनके समापन के लिए याचिका दायर की गई है। बाराचकिया एवं चनपतिया चीनी मिलें चम्पारण शुगर वर्क्स की इकाइयां हैं जिन्हें बंद करने की सिफारिश औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा की गई है।

औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने से प्रभावित हुए कामगार

73. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने से प्रभावित होने वाले कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कामगारों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने अथवा इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान तथा अन्य राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार किसी इकाई को बंद किए जाने की अनुमति तभी प्रदान करती है जब इकाई को पुनः शुरू करने के लिए पता लगाए गए सभी विकल्प असफल हो जाते हैं। केन्द्रीय

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को नियोजनपरक कौशल प्रदान करने तथा उन्हें स्व-रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001-02 से उन्हें परामर्श देने, उनके पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए एक स्कीम प्रारम्भ की गई है।

विवरण

वर्ष 2001-03 के दौरान औद्योगिक बन्दी से प्रभावित कामगारों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001	2002	2003
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	—	984	78
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	39	—	—
बिहार	—	0	101
छत्तीसगढ़	—	—	—
गोवा	403	48	20
गुजरात	1,353	1,585	2,931
हरियाणा	20	207	92
हिमाचल प्रदेश	255	203	—
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
झारखंड	—	171	230
कर्नाटक	220	530	183
केरल	695	215	1,356
मध्य प्रदेश	—	29	—
महाराष्ट्र	—	213	—
मणिपुर	—	—	392
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	—	—	—
उड़ीसा	130	111	200
पंजाब	91	54	—
राजस्थान	49	323	497
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	417	—	—
त्रिपुरा	199	319	228
उत्तर प्रदेश	7,127	4,793	958
उत्तरांचल	437	—	—
प. बंगाल	—	136	505
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
चंडीगढ़	150	12	—
दादरा और नगर हवेली	—	—	—
दिल्ली	—	17	24
दमन एवं दीव	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—
पांडिचेरी	14	75	90
कुल योग	11,599	10,025	7,885

-: शून्य

स्रोत: श्रम ब्यूरो शिमला

शुष्क भूमि

74. श्री ए.के. मूर्ति: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुष्क भूमि फार्मिंग हेतु एक विशेष कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार शुष्क भूमि पर खेती के लिये एक योजना तैयार करने पर विचार कर रही है, जिसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सांग्पो नदी पर बांध

75. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीन की सांग्पो नदी के ऊपरी छोर पर बांध निर्मित करने की योजना की जानकारी है; जिससे तिब्बत से निकलने वाली भारतीय नदियों का प्रवाह प्रभावित हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह और मार्ग के कितने प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के दौरान इस पहलू पर गौर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार को सांग्पो नदी की ऊपरी पहुंचों पर एक बांध का निर्माण करने संबंधी चीन की योजनाओं के संबंध में मीडिया की रिपोर्टों के बारे में जानकारी है। इसे चीनी पक्ष के साथ उठाया गया है।

(ग) और (घ) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी प्रस्तावों की संकल्पनात्मक रूप में योजना बनाई जाती है ताकि मानस, संकोश और ब्रह्मपुत्र की भूटान से निकलने वाली अन्य वितरिकाओं के अधिशेष जल का उपयोग किया जा सके। अतः नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी प्रस्तावों में चीनी योजना पहलू, यदि कोई है तो, उसे ध्यान में नहीं रखा गया है। तथापि, सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्रायद्वीपीय नदियों से प्रारंभ करते हुए नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता की व्यापक समीक्षा की योजना है।

भूमि की लवणता

76. **श्री अधीर चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बढ़ती लवणता कृषि के लिए चिंताजनक है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस वजह से बेकार छोड़ दिया गया क्षेत्र कितना है;

(ग) सरकार द्वारा लवणता में वृद्धि की रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) तटीय क्षेत्रों वाले राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्थित लवणायुक्त भूमि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय मृदा क्षारीयता अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कैनिंग से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि पश्चिम बंगाल में क्षारीयता के कारण कृषि के समक्ष कोई गंभीर समस्या है। पश्चिम बंगाल में क्षारीय मृदा 0.92 मिलियन हेक्टेयर भूमि में पायी जाती है जो कि इस राज्य के समुद्र तटीय जिलों में फैली हुई है तथा इस क्षेत्र की क्षारीयता मौसम-वार घटती बढ़ती रहती है। आम तौर पर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में लवण प्रभावित क्षेत्रों की सीमा स्थिर है।

(ग) कैनिंग संस्थान ने तटीय क्षारीयता के प्रबन्धन के लिये उपाय किए हैं। इसमें खरीफ मौसम के दौरान विभिन्न किस्मों के चावल की खेती किये जाने और शुष्क मौसम में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें उगाया जाना शामिल है। इस संस्थान ने चावल की ऐसी कई लवण सहिष्णु किस्में विकसित की हैं जो कि लवण प्रभावित मृदा के लिये उपयुक्त हैं।

(घ) तटीय क्षेत्रों वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुमानित क्षारीय मृदा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षारीय मृदा की सीमा (मिलियन हेक्टेयर में)
पश्चिम बंगाल	0.82
गुजरात	0.71
उड़ीसा	0.40
आंध्र प्रदेश	0.276
तमिलनाडु	0.10
कर्नाटक	0.086
महाराष्ट्र	0.063
केरल	0.026
गोवा	0.018
पाण्डिचेरी	0.001
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.015
योग	3.10

कावेरी जल विवाद

77. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और अंतिम पंचाट की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार संकटकालीन वर्षों के लिए कावेरी जल के बंटवारे के फार्मूले के संबंध में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी के बीच एक समझौता करवाने का है क्योंकि अंतरिम आदेश में ऐसी स्थिति में जल बंटवारे के संबंध में किसी फार्मूले का प्रावधान नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी राज्यों द्वारा तैयार किए गए मुद्दों पर दलीलें सुनी। अगस्त, 2002 में संशोधित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अनुसार इस अधिकरण से अगस्त, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।

(ख) और (ग) कावेरी नदी प्राधिकरण के परामर्श पर, कावेरी बेसिन राज्यों के बीच कावेरी जल के बंटवारे के संबंध में एक सर्वमान्य संकटकालीन बंटवारा फार्मूला तैयार करने का प्रयास किया गया था परंतु कर्नाटक सरकार ने अन्य कावेरी बेसिन राज्यों द्वारा मान्य संकटकालीन बंटवारा फार्मूले को स्वीकार नहीं किया।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

78. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 17.6 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने हेतु त्वरित आधार पर 26 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु द्विमुखी रणनीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसको कब तक कार्यान्वित और पूरा करने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 17.6 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए फास्ट ट्रैक आधार पर 26 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के वास्ते द्विमुखी रणनीति की घोषणा नहीं की है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार ने 17.6 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए 26 परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक आधार पर चरणबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए रणनीति की घोषणा की है। राज्य सरकार की कार्रवाई योजना के अनुसार दो वर्षों में 8 परियोजनाओं और 5 वर्षों में 18 परियोजनाओं को पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

पौष्टिक आहार की पूर्ति

79. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जरूरतमंद निर्धन लोगों को पौष्टिक खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति करने की किसी योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन राज्यों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार-योजनाओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर दुहराए जाने से बचने के लिए विभिन्न योजनाओं का विलय कर एक समेकित योजना को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जरूरतमंद निर्धन लोगों को पोषक खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की आपूर्ति करने के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। कल्याण योजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

(ग) और (घ) समाज के कमजोर तबके को खाद्य सुरक्षा मुहैया करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कोई द्विरावृत्ति न होने पाए और जरूरतमंद निर्धन लोगों तक खाद्यान्न पहुंच सकें।

विवरण

क्र.सं.	नोडल मंत्रालय/विभाग	कल्याण योजनाओं का नाम
1.	कृषि और सहकारिता मंत्रालय	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (विशेष घटक)
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु खाद्यान्न
		2. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्न (अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक)
		2. अन्नपूर्णा योजना।
3.	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	मध्याह्न भोजन योजना।
4.	महिला और बाल विकास विभाग	1. किशोरियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम।
		2. गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम।
5.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों और कल्याण संस्थाओं हेतु खाद्यान्न
		2. इमर्जैंसी फीडिंग कार्यक्रम।
6.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	ग्रामीण अनाज बैंक
7.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

80. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है और इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाए गए और दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित कदम क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वार्षिक आधार पर देश में छः यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित करने और उनका मानक स्तर पर विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और भारत सरकार के संबंधित विभागों के गहन समन्वय और भागीदारी से अंतिम रूप दिया जाता है और उनका विकास किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक मुख्य गंतव्य को अभिनिर्धारित करके पूर्णतः विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है। पर्यटन विभाग निम्नलिखित योजनाओं के तहत् वित्तीय सहायता प्रदान करता है-

1. उत्पाद अवसंरचना और गंतव्य विकास
2. पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास
3. भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता

पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि तथा मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए अवमुक्त राशि में से मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि निम्नानुसार है-

(रुपए लाखों में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	राज्य सरकार द्वारा किया गया खर्च
2001-2002	256.37	86.76
2002-03	711.18	50.83
2003-04	621.90	64.55

(ग) नौवीं योजना के दौरान 1580.82 लाख रुपए की 68 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जबकि दसवीं योजना (2003-04 तक) में 1333.08 लाख रुपए की राशि की 28 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी।

[अनुवाद]

एथेन्स ओलंपिक 2004

81. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्णा:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एथेन्स ओलंपिक, 2004 में भाग लेने के लिए दल मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो उन स्पर्धाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय दल भाग लेगा;

(ग) प्रतिभागियों के साथ जाने वाले अधिकारियों की स्पर्धावार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अधिकारियों का चयन करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(ङ) इस पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, नहीं। एथेन्स ओलंपिक, 2004 में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, 30.6.2004 को आयोजित पूर्व योग्यता टूर्नामेंटों/प्रतियोगिताओं के आधार पर तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हाकी (पुरुष), जूडो, रोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, कुश्ती तथा भारोत्तोलन जैसी प्रतियोगिताओं में एथेन्स ओलंपिक में भाग लेने के लिए 65 भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है।

(ग) और (घ) प्रतिभागियों के साथ जाने वाले अधिकारियों के अनुपात का मानदंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रतियोगितावार, खिलाड़ियों के साथ जाने वाले अधिकारियों की सही संख्या का पता सभी विधाओं में क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं के पूरा होने के बाद चलेगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया है कि ओलंपिक खेलों के लिए अभी तक चयनित 65 एथलीटों के साथ 25 अधिकारी जाएंगे।

(ङ) भारतीय ओलंपिक संघ से एक औपचारिक प्रस्ताव, जिसमें कुल खिलाड़ियों तथा अधिकारियों की संख्या दर्शायी गयी हो, के प्राप्त होने पर, व्यय का अनुमान निश्चित किया जाएगा।

केरल में बारहमासी फसलों को फिर से उपजाने हेतु विशेष पैकेज

82. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य में बारहमासी फसलों को फिर से उपजाने हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध कराने हेतु राज्य से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन फसलों की पहचान की गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारत सरकार को केरल सरकार से जड़ मुरझान रोग से ग्रस्त नारियल के पेड़ों को हटाने और उत्पादकता में वृद्धि करने से संबंधित 231.64 करोड़ रुपये की कुल लागत वाला एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में जड़ मुरझान रोग से गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग के अन्तिम चरण वाले 59.14 लाख वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर रोग सहिष्णु पौधों का रोपण करके नारियल की उत्पादकता में वृद्धि करना है।

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने इस परियोजना की गहन जांच की है और परियोजना प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए नारियल विकास बोर्ड, केरल सरकार राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों तथा केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, केरल कृषि विश्वविद्यालय और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय जैसे अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों की एक बैठक भी आयोजित की है। विचार-विमर्श के आधार पर केरल सरकार से गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में जहां पैदावार मात्र 10 नारियल प्रति वृक्ष प्रति वर्ष से भी कम है और जिन पर रोग प्रबंध पद्धतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता केवल उन्हीं क्षेत्रों में रोग के अन्तिम चरण वाले वृक्षों को ही हटाकर परियोजना लागत को कम करने की संभावना पर विचार करके यह प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

नदियों को जोड़ने की परियोजना

83. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने की परियोजना हेतु राजनीतिक दलों से सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर दलों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में देश की नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता की पूर्णतः परामर्शी रूप से व्यापक समीक्षा करने की योजना है।

उपज में वृद्धि

84. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विभिन्न खाद्यान्नों की प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करने हेतु अनुपालन की जा रही नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जैव-प्रौद्योगिकीय प्रविधियों का उपयोग करने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि करने के लिए सरकार अधिक पैदावार देने वाली नई किस्मों तथा संकर किस्मों के विकास, फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास, इन प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार एवं प्रदर्शन, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशियों एवं कृषि उपस्करों जैसे आदानों की आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं के विकास तथा पानी की बचत करने वाले उपायों आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

(ख) और (ग) फसल उत्पादकता के क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी एक कारगर तंत्र के रूप में उभर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाने का प्रस्ताव है:-

* फसलों में ट्रान्सजेनिक्स का विकास
* उत्पादकता, गुणवत्ता एवं प्रजनन क्षमता में वृद्धि के लिए आण्विक प्रजनन (मालिक्यूलर ब्रीडिंग)
* वनस्पति रोग प्रबंध में नैदानिक (डाइग्नास्टिक्स) का विकास।
* जैव आसूचना (बायो इन्फोर्मेटिक्स) का विकास।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी

85. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरे मूल्य में कितना अन्तर है;

(ख) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों की निगरानी किस तरह की जाती है;

(ग) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरे मूल्यों में अंतर की अधिकतम सीमा के संबंध में राज्यों को कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) विभाग द्वारा महानगरों में संदर्भ में जिन 14 आवश्यक वस्तुओं की निगरानी की जा रही है, 23.6.2004 की स्थिति के अनुसार उनके थोक और खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य निगरानी सैल द्वारा राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों से प्राप्त मूल्य आंकड़ों के आधार पर खुदरा मूल्यों की दैनिक आधार पर और थोक मूल्यों की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाती है। उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निगरानी बोर्ड द्वारा भी मूल्य स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जून, 2004 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य

(रुपए प्रति कि.ग्रा.)

मद	दिल्ली		मुंबई		कोलकाता		चेन्नई	
	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा
चावल	10.80	13.00	938	11.00	8.00	10.00	10.50	12.00
गेहूं	6.75	8.00	10.13	10.50	व्या.न.	व्या.न.	10.00	12.00
आटा	7.55	9.00	10.50	12.00	7.78	9.50	10.70	12.50
चना दाल	16.75	22.00	19.50	22.00	18.00	24.00	18.50	23.00
तुर दाल	22.50	33.00	26.00	28.00	26.00	28.00	29.00	33.00
चीनी	16.10	17.00	16.05	16.50	16.70	17.00	15.70	16.00
मूंगफली का तेल	69.67*	76.00*	52.00	55.00	62.00*	70.00*	46.00	49.00
सरसों का तेल	42.00	48.00	50.00	55.00	46.50	50.00	उ.न.	उ.न.
वनस्पति	47.33	49.00	50.66	54.00	46.67	48.00	48.66	52.00
चाय (खुली)	100.00	105.00	65.00	136.00	50.00	100.00	180.00	190.00
दूध	उ.न.	15.00	उ.न.	14.00	उ.न.	17.00	13.50	14.00
आलू	6.13	10.00	5.70	7.50	5.20	6.50	7.00	7.00
प्याज	3.25	6.00	5.25	6.50	5.00	7.00	4.50	6.00
नमक (पैकशुदा)	5.60	7.00	6.96	7.50	5.00	6.00	6.00	7.00

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग
व्या.न. : व्यापार नहीं हुआ
उ.न. : उपलब्ध नहीं
* : रिफाईंड तेल

चालू सिंचाई परियोजनाएं

86. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन एवं उनका वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा परियोजना को आबंटित निधि एवं उनको प्रदान की गई प्राथमिकता पर निर्भर

करता है। निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित लागत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र सरकार ने उन निर्माणाधीन अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो पूरा होने के अंतिम चरण में हैं और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से परे हैं, के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराने के वास्ते वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारंभ किया था। 181 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	वृहत् परियोजनाएं		मध्यम परियोजनाएं		एआईबीपी के तहत सीएलए
		संख्या	नवीनतम अनुमानित लागत	संख्या	नवीनतम अनुमानित लागत	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	15	13068.156	12	654.020	869.331
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	51.500
3.	असम	5	1675.640	5	165.618	120.193
4.	बिहार	9	3944.870	3	132.920	425.515
5.	छत्तीसगढ़	3	1815.530	6	187.010	265.280
6.	गोवा	1	698.000	1	40.00	130.400
7.	गुजरात	3	23898.330	18	828.760	3622.422
8.	हरियाणा	5	1782.490	—	—	70.235
9.	हिमाचल प्रदेश	1	203.840	2	61.990	66.648
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	7	220.610	84.054
11.	झारखण्ड	5	4341.720	22	983.910	66.248
12.	कर्नाटक	16	18874.290	17	1106.140	1954.218
13.	केरल	4	1845.300	4	724.000	89.090
14.	मध्य प्रदेश	18	16515.670	6	228.100	1505.003
15.	महाराष्ट्र	45	26993.920	86	5625.630	603.384
16.	मणिपुर	2	639.220	1	63.100	108.750
17.	मेघालय	—	—	1	57.072	15.264
18.	मिजोरम	—	—	—	—	14.916

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	—	—	—	—	23.389
20.	उड़ीसा	10	5358.930	12	922.640	898.250
21.	पंजाब	1	2165.540	—	88.490	415.470
22.	राजस्थान	4	5154.670	4	355.660	1140.394
23.	त्रिपुरा	—	—	3	161.750	109.219
24.	तमिलनाडु	—	—	2	109.360	20.000
25.	उत्तर प्रदेश	13	10220.330	—	—	1788.375
26.	उत्तरांचल					50.715
27.	पश्चिम बंगाल	2	1772.340	9	69.992	156.710
28.	सिक्किम	—	—	—	—	5.260
	कुल	162	140968.786	221	12786.772	14670.233

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों को देय बकाया राशि

87. **श्री निखिल कुमार चौधरी:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वेतनमानों में संशोधन के कारण विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों विशेषकर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा और समस्तीपुर के वैज्ञानिकों को बकाया धनराशि देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त बकायों का भुगतान कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 1.1.1996 से सभी कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतन पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को बकाया राशि का भुगतान इस शर्त पर लागू होगा कि सहायता का 80 प्रतिशत डेयर/भा.कृ.अ.प. द्वारा केवल उन राज्यों को दिया जायेगा जिन्होंने 1.1.1996 से 31.3.2000 तक की अवधि के लिए खर्च का 20 प्रतिशत पूरा करने के लिए वचनबद्धता दी है। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी मांगें प्रस्तुत कर दी हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित आकलन में बकाया के लिए मांगें शामिल करने हेतु निर्धारित की है।

[अनुवाद]

एथलीटों द्वारा नशीली दवाओं का सेवन

88. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एथेन्स ओलंपिक की तैयारी कर रहे एथलीट प्रदर्शन सुधारने वाली उन नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक्स

कमेटी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है जैसा कि दिनांक 18 जून, 2004 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं। कोई भी एतलीट प्रदर्शन सुधारने वाली नशीली दवाओं का सेवन करते हुए नहीं पाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के दौरान, एथलीटों को प्रतिबंधित दवाओं और विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा अधिसूचित पद्धति तथा उसके हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाता है। ''खेल में नशीली दवाएं'' पर एक निर्देशिका के रूप में सूचना-गाऊड तथा प्रयोगशाला वैज्ञानिकों द्वारा ''खेलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग'' पर तैयार की गई पुस्तिका को भी शैक्षिक कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में खिलाड़ियों, के कोचों, डाक्टरों, एथलीटों, सहायक कार्मिकों के बीच वितरित किया गया है। प्रतिबंधित नशीली दवाओं की सूची और खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिए प्लेकार्डस भी शिविरार्थियों के कमरों में रखे जाते हैं। शिविरार्थियों के कमरों की यादृच्छिक जांच करके भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रतिबंधित नशीली दवा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में खेल औषधि चिकित्सक किसी भी प्रतिबंधित नशीली दवा का इस्तेमाल न करने के बारे में खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिए व्याख्यान आयोजित करते हैं। उपर्युक्त के अलावा, कोचिंग शिविरों, चयन परीक्षणों, घरेलू प्रतियोगिताओं के दौरान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व भी यादृच्छिक जांच की जाती है।

रावी-व्यास नदी जल का बंटवारा

89. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार द्वारा अन्य किसी राज्य के साथ जल का बंटवारा न किए जाने का संकल्प पारित करने के पश्चात् रावी-व्यास नदी के जल बंटवारे के संबंध में उत्पन्न विवाद की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) पंजाब सरकार के अनुसार तटवर्ती अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए राज्य के हित की सुरक्षा और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के आदेश के परिणामस्वरूप होने वाली संभावित क्षति से इसकी रक्षा करने के लिए पंजाब विधान सभा ने सभी संभव प्रशासनिक और विधायी उपाय करने के लिए 15 जून, 2004 को एक संकल्प पारित किया है।

(ग) पंजाब के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से मिलकर सदन की भावना संप्रेषित करने तथा एसवाईएल (सतलज यमुना संपर्क नहर) के संबंध में पंजाब की स्थिति और इस समस्या का उचित समाधान करने के लिए रावी व्यास जल के बंटवारे/आबंटन करने के बारे में उन्हें अगवत कराने के लिए एक सर्वदलीय शिष्टमंडल का आह्वान किया है इसलिए सरकार का यह प्रयास होगा कि उनके विचारों को सुना जाए।

बगलीहार जल-विद्युत परियोजना

90. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बगलीहार जल विद्युत परियोजना के संबंध में सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अभी भी इसमें कुछ मतभेद बने हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मतभेदों को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच बगलीहार जल विद्युत परियोजना के संबंध में 22 जून, 2004 को नई दिल्ली में सचिव स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। भारतीय शिष्टमंडल का

नेतृत्व सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार ने किया था और पाकिस्तानी शिष्टमंडल का नेतृत्व सचिव (जल एवं विद्युत), पाकिस्तान सरकार ने किया था। यह वार्ता एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में तथा सदभावना और सहयोग की भावना से आयोजित की गई थी। इस वार्ता में दोनों सचिवों ने परियोजना से संबंधित तकनीकी मामलों को हल करने के तौर-तरीकों पर विचार किया तथा इस मामले पर अपने-अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए। उन्होंने इस मामले को अपनी संबंधित सरकारों को पुन: प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

रोजगार सृजन

91. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र और संगठित सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग कितने रोजगार सृजित किए गए हैं; और

(ख) छंटनी, निजीकरण की नीति, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कार्यान्वयन के कारण कितने लोगों को रोजगार गवाना पड़ा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार, मार्च 2000, 2001 तथा 2002 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक एवं निजी संगठित क्षेत्र में अनुमानित रोजगार निम्न प्रकार था:

रोजगार (लाख में)

क्षेत्र	2000	2001	2002
सार्वजनिक	193.14	191.38	187.74
निजी	86.46	86.52	84.32
कुल	279.60	277.89	272.06

(ख) वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप पुराने उद्यमों में घटती कार्यक्षमता के कारण रोजगार अवसरों में कुछ कमी आई है, किन्तु साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवा आदि जैसे अनेक नए क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर सृजित किए गए। अनन्तिम सूचनानुसार, वर्ष 2003 के दौरान छंटनी द्वारा प्रभावित कामगारों की संख्या 2593 थी। परन्तु, कुल मिलाकर जहां 1993-94 में रोजगार 374.5 मिलियन था वहीं 1999-2000 में बढ़कर 397 मिलियन हो गया।

कंपनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में अपना हिस्सा जमा न किया जाना

92. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कतिपय कंपनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में अपने हिस्से की धनराशि जमा न करने संबंधी अनियमितताओं का समय पर पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी चूककर्त्ता कंपनियों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) इन अनियमितताओं के कारण प्रत्येक राज्य में कर्मचारियों को कितना वित्तीय घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा चूककर्त्ता कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) प्रतिष्ठानों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में चूककर्त्ता नियोक्ता का हिस्सा भी विशेष आरक्षित निधि से देय होता है।

(घ) जब कभी कोई चूक पाई जाती है, तो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8च, 8ख से 8छ, 14(1)(क), 14(ख) और 7(थ), आई.पी.सी. की धारा 406/409 एवं सी आर पी सी की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में चूककर्ता प्रतिष्ठानों की राज्यवार सूची

क्षेत्र	2001-02 में स्थापनाओं की सं.	2002-03 में स्थापनाओं की सं.	31.3.04 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रुपये और उससे अधिक की चूक करने वाले की प्रतिष्ठानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2887	1382	111
बिहार	314	74	27
छत्तीसगढ़	324	225	5
दिल्ली	403	312	33
गोवा	48	84	3
गुजरात	2069	2169	93
हिमाचल प्रदेश	135	138	5
हरियाणा	1016	1040	28
झारखण्ड	346	131	20
कर्नाटक	436	1318	77
केरल	1717	3376	127
मध्य प्रदेश	1937	1892	226
महाराष्ट्र	1444	2176	80
पूर्वोत्तर क्षेत्र	249	306	37
उड़ीसा	1258	1217	86
पंजाब	2967	1933	45
राजस्थान	1281	1382	35
तमिलनाडु	7869	6289	204
उत्तर प्रदेश	3200	2420	151
उत्तरांचल	106	81	34
पश्चिम बंगाल	1516	1832	144
कुल	31522	29777	1568

[हिन्दी]

गन्ना किसानों को देय बकाया धनराशि

93. श्री मुनव्वर हसन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में गन्ना किसानों को देय बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रभावित किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 2003-04, मौसम के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने के 4079.46 करोड़ रुपये के देय मूल्य में से 3840.02 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और 239.44 करोड़ रुपये बकाया हैं जो गन्ने के देय कुल मूल्य का 5.87% है।

गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का इकट्ठा होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गत तीन लगातार चीनी मौसमों के दौरान अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होना, वित्तीय कठिनाइयां, बिक्री से प्राप्त अपर्याप्त धनराशि तथा ऋणात्मक नेटवर्थ आदि।

(ग) गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से राज्य सरकारों को लिखने के अलावा निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) 01 मार्च, 2002 से चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता घटाकर 10% कर दी गई है ताकि फैक्ट्रियां गैर-लेवी कोटे के तहत खुले बाजार में अधिक चीनी बेच सकें।

(2) 18.12.2002 से आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का एक बफर स्टाक सृजित किया गया था, जिसमें चीनी विकास निधि में से 412 करोड़ रुपये की धनराशि देना अन्तर्ग्रस्त था। इसके

अतिरिक्त, बफर स्टाक के कारण बैंकों से लगभग 374 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। अत:, गन्ने के मूल्य की देय धनराशि की अदायगी करने के लिए 786 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी। सरकार ने बफर स्टाक को रखने की अवधि 18.12.2003 से आगे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है।

विवरण

2003-04 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने के संबंध में गन्ने के देय मूल्य, अदा किए गए मूल्य और बकाया धनराशि की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य/जोन	2003-04 के दौरान खरीदे गए गन्ने का कुल देय मूल्य	गन्ने का अदा किया गया कुल मूल्य	गन्ने के मूल्य की देय राशि धनराशि	निम्न तारीख के अनुसार स्थिति
पंजाब	404.49	328.93	75.56	30.4.2004
हरियाणा	556.10	479.61	76.49	30.4.2004
राजस्थान	10.98	5.51	5.47	30.4.2004
उत्तर प्रदेश	4079.46	3840.02	239.44	30.6.2004
उत्तरांचल	350.24	323.73	26.51	15.6.2004
मध्य प्रदेश	73.26	66.73	6.53	30.4.2004
गुजरात	769.81	736.99	32.82	31.5.2004
महाराष्ट्र	2311.20	1152.18	1159.02	30.4.2004
बिहार	161.44	65.38	96.04	30.4.2004
असम	—	—	—	उपलब्ध नहीं
आंध्र प्रदेश	763.88	699.18	64.70	31.5.2004
कर्नाटक	758.58	630.78	127.80	30.4.2004
तमिलनाडु	639.34	593.52	45.82	15.5.2004
केरल	—	—	—	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	24.38	20.09	4.28	30.4.2004
पश्चिम बंगाल	—	—	—	उपलब्ध नहीं
पांडिचेरी	17.13	10.32	6.81	30.4.2004
गोवा	6.77	6.77	0	30.4.2004

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत प्रस्ताव

94. **श्री मोहन रावले:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से संबंधित कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव समय-समय पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त होते हैं।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा एक बार जिलों का चयन कर लिये जाने पर राज्य सरकारों द्वारा जिलों में स्कीम के कार्यान्वयन का विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाना आवश्यक है। दसवीं योजना के दौरान, देश के 50 और जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया है। इन जिलों के लिए प्राप्त राज्य-वार प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	उत्तर प्रदेश	4
3.	गोवा	1
4.	राजस्थान	1
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	तमिलनाडु	1
7.	गुजरात	1
8.	महाराष्ट्र	4

(ग) इन प्रस्तावों की जांच भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाती है। सभी प्रकार से पूर्ण पाये गये प्रस्तावों को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी जाती है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों की पैदावार में अन्तर

95. **श्री रामजी लाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न कृषि उत्पादों की प्रति हेक्टेयर पैदावार राज्यवार अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में गेहूं, धान, गन्ना, कपास, तिलहन और दलहन की पैदावार की दर क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पैदावार बढ़ाने और इस संबंध में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। अलग-अलग राज्यों से उपज में काफी अंतर होता है क्योंकि उपज मौसम, मृदा की स्थितियों, सिंचाई सुविधाओं, फसल की अवधि (बुआई और कटाई के बीच परिपक्वता अवधि), बीजों की गुणवत्ता, गुणवत्ताप्रद आदानों का समय पर अनुप्रयोग, किसानों की प्रबंध दक्षता, ऋण की उपलब्धता और कृमियों और रोगों की घटनाओं आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करती है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए सरकार समेकित फसल उत्पादन स्कीमों के तहत राज्यों को सहायता मुहैया कराती है ताकि विभिन्न फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के उनके प्रयासों में मदद की जा सके। नौवीं योजना के दौरान, निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:-

(1) चावल आधारित फसल अग्रणी क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(2) गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(3) मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(4) गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास।

(5) विशेष पटसन विकास।

(6) गहन कपास विकास कार्यक्रम (कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-II)

अक्टूबर, 2000 से इन स्कीमों, (कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II को छोड़कर) को वृहत प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन मिला दिया गया है ताकि राज्यों की क्षेत्रीय विशिष्ट जरूरतों के अनुसार राज्यों को लचीलापन प्रदान किया जा सके। कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-II भी 10वीं योजना के दौरान जारी है। मिनी मिशन-II के अधीन, फील्ड प्रदर्शन तथा किसानों/विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण और साथ ही बीजों, स्प्रेयर्स, बायो-एजेण्ट तथा स्प्रिंकलर्स व ड्रिप प्रणाली जैसे जल बचत उपायों जैसे विभिन्न घटकों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

'पूर्वी भारत में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंध' पर एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2002-03 से शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य पूर्वी भारत में भूमि/सतही जल के अधिकतम दोहन के जरिए फसल उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस स्कीम के तहत, (1) पम्पिंग सेटों के साथ उथले नलकूपों की स्थापना, (2) विद्युत/डीजल के जल पम्पिंग सेटों, (3) लो लिफ्ट इरिगेशन प्वाइण्ट्स, तथा (4) पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में डग वैल्स के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। यह स्कीम असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम एक ओर पाश्वांत ऋण संबद्ध है और दूसरी ओर राज्य सरकारों के साथ संबंध स्थापित करके राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान धान गेहूं और दलहन की उपज की राज्य-वार दरें

(किग्रा/हेक्टेयर)

राज्य	धान			गेहूं			दलहन		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	4404	4467	3931	571	643	1273	554	593	509
अरुणाचल प्रदेश	1678	1690	1836	1409	1395	1537	1115	1044	1067
असम	2266	2279	2207	1219	1181	1129	559	558	542
बिहार	2233	2197	2079	2146	2065	1903	865	788	845
छत्तीसगढ़	943	1997	1053	1022	1057	1005	400	517	426
गोवा	3726	3841	4028	—	—	—	889	894	798
गुजरात	1215	2336	1861	2268	2435	1966	300	520	469
हरियाणा	3835	3978	4086	4106	4103	4053	622	794	655
हिमाचल प्रदेश	2299	2557	1543	693	1738	1515	629	360	607
जम्मू और कश्मीर	2549	2533	2674	529	1325	1410	471	472	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखण्ड	1666	1797	2145	1626	1765	1625	825	733	1049
कर्नाटक	3890	3421	2908	917	763	648	467	397	384
केरल	3243	3273	3345	—	—	—	797	792	738
मध्य प्रदेश	863	1429	930	1471	1620	1392	640	773	602
महाराष्ट्र	1915	2627	1819	1257	1388	1295	460	555	577
मणिपुर	3647	3573	3568	—	—	—	525	517	525
मेघालय	2519	2632	2574	1643	1714	1643	745	745	765
मिजोरम	2997	2841	2869	—	—	—	1625	1444	1087
नागालैण्ड	2300	2274	2235	2000	2500	2125	827	849	933
उड़ीसा	1561	2383	1139	1466	1514	1261	352	398	341
पंजाब	5259	5317	5265	4563	4532	4200	740	670	783
राजस्थान	1404	1870	1218	2402	2793	2709	308	425	269
सिक्किम	2112	2131	2154	1403	1273	1416	852	862	875
तमिलनाडु	5312	4794	5025	1000	—	—	455	427	422
त्रिपुरा	3194	3572	3397	2000	2083	1974	584	647	619
उत्तर प्रदेश	2966	3176	2754	2724	2755	2596	803	886	853
उत्तरांचल	2981	3083	2560	1885	1933	1825	765	635	674
पश्चिम बंगाल	3430	3771	3694	2845	2215	2189	800	704	695
अण्ड. और निको. द्वीप समूह	4431	4179	4226	—	—	—	571	500	429
दादरा और नगर हवेली	2206	3300	2295	1600	2000	1600	877	825	833
दिल्ली	1230	4219	1246	3522	3510	3492	571	667	4000
दमन एवं दीव	2400	3333	3583	—	—	—	1000	846	932
पांडिचेरी	3649	3816	4463	—	—	—	600	538	636
अखिल भारत	2851	3118	2706	2708	2762	2618	544	607	556

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान तिलहन, गन्ना तथा कपास की उपज की राज्य-वार दरें

(किग्रा/हेक्टेयर)

राज्य	धान			गेहूं			दलहन		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	927	661	544	81371	82945	65756	277	288	230
अरुणाचल प्रदेश	1036	1076	962	—	18900	19125	—	—	—
असम	515	506	500	36593	37184	36353	80	85	74
बिहार	847	839	756	42648	45953	42963	—	—	—
छत्तीसगढ़	329	404	400	2606	2571	2300	—	680	1020
गोवा	1778	1563	125	56000	58833	54583	—	—	—
गुजरात	603	1287	603	71439	70902	69351	122	165	175
हरियाणा	1363	1477	1139	57133	57578	42105	424	195	340
हिमाचल प्रदेश	552	552	448	21607	27567	25938	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	382	536	1478	0	0	5000	—	—	—
झारखण्ड	625	625	1048	38132	38132	31707	—	—	—
कर्नाटक	804	587	555	102909	81122	84361	263	171	159
केरल	614	636	467	81059	81758	88065	277	255	227
मध्य प्रदेश	741	818	623	22168	38846	39545	84	124	118
महाराष्ट्र	820	944	943	83343	78097	61795	100	147	158
मणिपुर	464	400	1250	34571	30286	31714	—	—	—
मेघालय	670	674	800	2000	2000	3000	179	184	182
मिजोरम	750	654	739	6400	6714	5286	408	283	85
नागालैण्ड	981	1075	1233	43750	50000	40000	227	1233	493
उड़ीसा	425	422	427	57375	58545	53042	275	147	276
पंजाब	1010	1004	897	64215	65141	60325	430	366	410
राजस्थान	768	1008	716	41578	47495	42170	268	94	111
सिक्किम	690	690	798	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	1716	1681	1611	105258	101620	106778	317	295	305
त्रिपुरा	723	717	878	54100	52700	46833	246	248	238
उत्तर प्रदेश	803	841	768	54719	57976	53680	154	174	150
उत्तरांचल	502	714	719	59993	60010	57351	—	—	—
पश्चिम बंगाल	964	819	841	67852	85124	65708	383	425	383
अण्ड. और निको. द्वीप समूह	—	—	—	23500	24000	39000	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	1000	3000	1000	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	171	1000	1029	—	—	—	—	—	—
दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	1769	1429	1500	80160	94000	101350	782	935	893
अखिल भारत	810	913	712	68577	67370	61111	190	186	193

पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जम्मू कश्मीर को सहायता

96. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर को प्रमुख पर्यटक स्थलों के विकास और सुरक्षा हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्यत: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास और उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास परियोजनाओं और वृहत राजस्व सर्जक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान जम्मू व कश्मीर को निम्नलिखित के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है-

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि (रुपए लाखों में)
2001-02	3	65.50
2002-03	3	94.38
2003-04	11	895.00

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों के प्रवाह पर करों का प्रभाव

97. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटल उद्योग में अनेक प्रकार के करों से विदेशी पर्यटकों के प्रवाह में बाधाएं आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश में पर्यटन उद्योग में कर ढांचे की जांच के लिए समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में एकक खिड़की प्रणाली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) होटल उद्योग पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा करों की बहुलता से भारत के लिए टूअर पैकेज, कुछ प्रतिस्पर्धी गंतव्यों की तुलना में महंगे हो जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा होटलों पर व्यय कर को वापिस लेने और सेवाकर में छूट देने से होटल उद्योग को इस समस्या का सामना करने में कुछ सीमा तक सहायता मिली है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं-

- पर्यटन के संवर्धन हेतु कोई कर नहीं
- होटल व्यय कर पर कमरा किराये की सीमा बढ़ाई जाए
- व्यय कर के बदले में संयुक्त कर की दर केवल 10 प्रतिशत होनी चाहिए
- राज्यों द्वारा लगाए गए लग्जरी कर तथा अन्य करों के स्थान पर होटल कर लगाया जायेगा
- कर मुद्रित टैरिफ/रैक रेट पर न होकर वास्तविक वसूली पर होना चाहिए
- होटलों एवं रेस्तराओं पर किसी सरकार/एजेंसी द्वारा किसी कर की शुरूआत पर कम से कम 6 महीने के पूर्व नोटिस होना चाहिए
- कर ढांचे में कोई परिवर्तन भारत सरकार और राज्यों के संबंधित पर्यटन विभाग के परामर्श से होना चाहिए
- कोचों/कारों के लिए जोनल पर्यटक परमिट की शुरूआत
- पर्यटक परिवहन प्रचालकों की मान्यता के लिए पात्रता शर्तों की समीक्षा

(च) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों में पर्यटन परियोजनाओं के क्लीयरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरूआत करें। कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसे सिस्टम की शुरूआत करने की सूचना दी है।

वनीला उत्पादन

98. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वनीला का राज्यवार कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया है;

(ख) क्या देश में वनीला का उत्पादन बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश में वनीला की खेती के अंतर्गत राज्यवार कितना क्षेत्र है;

(घ) क्या वनीला उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(च) वनीला के घरेलू उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सिंथैटिक वनीला कारसिनोजैनिक है;

(ज) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष उक्त वनीला का कितना आयात किया जाता है और इसका मूल्य कितना है; और

(झ) सरकार द्वारा इसके आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान वनीला का कुल उत्पादन (राज्यवार) निम्नानुसार है:-

(क्योर फलियां मी. टन में)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
केरल	उ.न.	18.56	33.44
तमिलनाडु	उ.न.	19.07	17.82
कर्नाटक	उ.न.	54.31	82.36
अखिल भारत	60.00	91.94	133.62

उ.न.-उपलब्ध नहीं

उत्पादन 60 मी. टन (2001-02) से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 133.62 मी. टन हो गया अर्थात् 55% की वृद्धि।

(ग) वनीला की खेती के तहत क्षेत्र (राज्यवार) निम्नानुसार है:-

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

राज्य	2002-03	2003-04
केरल	812	1147
तमिलनाडु	268	465
कर्नाटक	1465	1931
अखिल भारत	2545	3543

(घ) किसानों को गत वर्ष के दौरान लाभकारी मूल्य मिले और इस वर्ष भी ऐसी ही प्रत्याशा है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) हमारे देश में वनीला की खेती अभी अपने शैशवकाल में है और इसके स्वदेशी उपयोग को बढ़ाने के अभी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

(छ) कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि सिन्थैटिक वैनिलीन विषाक्त है जैसा कि "दि बुक आफ स्पाइसेस, पैन्सिसविलवेनिआ, लिविंगस्टन पब्लिशिंग कम्पनी" में उल्लेख किया गया है।

(ज) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(झ) यह प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र

99. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों तथा इन केन्द्रों के तहत शामिल किए गए क्षेत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर केन्द्रवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में नए नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे सहित हिमाचल प्रदेश में आंचलिक क्षेत्रीय और जिला नेहरू युवा केन्द्रों की स्थिति-वार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। प्रत्येक जिला केन्द्र पूरे जिले को कवर करता है। आंचलिक, क्षेत्रीय केन्द्रों का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य तक फैला हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हिमाचल प्रदेश राज्य में नेहरू युवा केन्द्रों की स्थिति और उन पर वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के दौरान किए गए व्यय तथा वर्ष 2004 के दौरान (आज की तारीख तक) जारी की गई धनराशि के ब्यौरे

(धनराशि रुपयों में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004 (आज की तारीख तक)
1	2	3	4	5
क्षेत्रीय केन्द्र, हमीरपुर	552895	543549	572490	139782
आंचलिक कार्यालय, बिलासपुर	595894	629367	941596	218306
जिला केन्द्र और स्थिति				
बिलासपुर	452288	996437	792529	193235
चम्बा	425862	521762	663807	178592
कांगड़ा में धर्मशाला	657831	750457	851555	194427

1	2	3	4	5
हमीरपुर	553576	973735	650016	102142
किन्नौर	262623	453851	454921	66131
कुल्लू	637042	566579	640485	183464
लाहौल स्पिति में केलांग	682606	1017448	707018	171907
मण्डी	879974	792241	794498	184844
सिरमौर में नाहन	2025903	714984	815602	258182
सोलन	921901	851248	1028718	181002
शिमला	816448	686653	911852	192050
ऊना	1896148	686573	939208	196845

महिला कामगारों हेतु पारिश्रमिक दर

100. **श्रीमती मिनाती सेनः**
श्रीमती पी. सतीदेवीः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की पारिश्रमिक दर पुरुषों की पारिश्रमिक दर का औसतन मात्र 75 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस असंतुलन को दूर करने हेतु श्रम कानून लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) यू.एन.डी.पी. मानव विकास रिपोर्ट, 2003 में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं और पुरुषों की अनुमानित अर्जित आय का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ पुरुष को प्राप्त गैर-कृषि मजदूरी के अनुपात में महिला को प्राप्त गैर-कृषि मजदूरी के लिए 75 प्रतिशत के अनुमान का प्रयोग किया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मजदूरी संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, 75 प्रतिशत के इस आंकड़े को लेने का क्या आधार है, रिपोर्ट में इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) महिला कामगारों को समान मजदूरी से संबंधित कानूनी मामले समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के दायरे में आते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में भी पुरुषों एवं महिला कामगारों को बगैर किसी भेदभाव के समान न्यूनतम मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

101. **श्री शिवाजी अधलराव पाटीलः**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के साथ पर्यटन विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के असहयोग पूर्ण रवैये की वजह से विदेशी पर्यटकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गो-वध

102. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रतिवर्ष काफी संख्या में गायों का वध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गो-वध रोकने के संबंध में कोई कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। बड़ी संख्या में गौ हत्या की कोई खबर नहीं मिली है।

(ख) से (घ) गोहत्या का विषय राज्य सूची में आता है। अधिकांश राज्यों ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए हैं।

बाल श्रम

103. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां बाल श्रम प्रणाली अभी भी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) जिलों सहित राज्यों के नाम दर्शाने वाली सूची जहां वर्तमान में 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चल रही है विवरण I के रूप में संलग्न है। संलग्न विवरण II में दी गयी सूची के अनुसार सरकार ने 14.1.2004 से 50 नयी परियोजनाएं भी आरम्भ की हैं। बाल श्रम की बहुलता के आधार पर, दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु 100 और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) देश में बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अपनायी थी। इस नीति के तीन घटक है:-

(1) एक विधायी कार्य योजना;

(2) जहां कहीं संभव हो, बाल श्रम के लाभ हेतु सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना; और

(3) बाल श्रम की अत्यधिक बहुलता वाले क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु परियोजना आधारित कार्य योजना।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्कीम के माध्यम से एक जिले विशेष में बाल श्रम की संख्या में कमी करने के लिए जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य कर रहे बच्चों को कार्य से हटाने और उनके पुनर्वास हेतु कदम उठाए हैं योजना के अंतर्गत बाल श्रम की बुलता वाले जिलों में विशेष विद्यालय खोले गए हैं जहां अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति, पोषाहार, स्वास्थ्य देख-रेख इत्यादि की व्यवस्था की जाती है।

विद्यमान परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 2.10 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

विवरण I

13 राज्यों में चलाई जा रही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की सूची (प्रचालन में कुल परियोजनाएं : 100)

1. आंध्र प्रदेश : अनन्तपुर, चित्तूर, कड्डापाह, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, मेडक, नलगोंडा, खम्माम, नेल्लूर, निजामाबाद, मारकापुर, रंगा रेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, प. गोदावरी, महबूब नगर, आदिलाबाद। (22)

2. बिहार : नालंदा, सहरसा, जमुई (3)

3. झारखंड : गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, प. सिंहभूम (चाईवासा) (5)

4. कर्नाटक : बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलोर ग्रामीण, बंगलोर शहरी (5)

5. मध्य प्रदेश : मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन (3)

6. छत्तीसगढ़ : दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़ (5)

7. महाराष्ट्र : सोलापुर, थाणे। (2)

8. उड़ीसा : अंगुल, बारगढ़, बोलनगिर, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुडा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपाडा, रायागाडा, सम्बलपुर, सोनपुर, कटक, बालासोर। (18)

9. राजस्थान : जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर। (6)

10. तमिलनाडु : चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, कामराजार (विरूधुनगर), वेल्लूर, पुडोकोट्टाई, सलेम, तिरूचिरापल्ली, त्रिनूरवेल्ली। (9)

11. उत्तर प्रदेश : अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर (खुर्जा), इलाहाबाद, कानपुर (नगर), सहारनपुर, आजमगढ़। (11)

12. पश्चिम बंगाल : वर्दवान, दक्षिण दीनाजपुर, मिदनापुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, उत्तरी दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता। (8)

13. पंजाब : जालंधर, लुधियाना, अमृतसर। (3)

विवरण II

दसवीं योजना के दौरान नयी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए पता लगाए गए 50 नए जिलों की सूची

1.	आंध्र प्रदेश	(1)	कृष्णा
2.	बिहार	(2)	पूर्णिया, भागलपुर
3.	झारखण्ड	(2)	रांची, हजारीबाग
4.	गुजरात	(3)	सूरत, पंचमहल, भुज
5.	हरियाणा	(3)	गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत
6.	कर्नाटक	(5)	चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलर, मांड्या
7.	मध्य प्रदेश	(2)	पश्चिम नीमार, झबुआ
8.	छत्तीसगढ़	(2)	रायपुर, कोरबा
9.	महाराष्ट्र	(5)	नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड
10.	तमिलनाडु	(2)	चेन्नई, इरोड
11.	उत्तरांचल	(1)	देहरादून
12.	उत्तर प्रदेश	(11)	सोनभद्र, मऊ, देवरिया, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मथुरा
13.	राजस्थान	(3)	भीलवाड़ा, गंगानगर, बाड़मेर
14.	पश्चिम बंगाल	(1)	पूर्वी मिदनापुर
15.	मिजोरम	(1)	आइजोल
16.	असम	(2)	पूर्वी कोकराझार
17.	गोवा	(1)	गोवा
18.	जम्मू व कश्मीर	(2)	जम्मू, श्रीनगर
19.	अरुणाचल प्रदेश	(1)	लोअर सुबनसीरी

राजस्थान में प्याज का उत्पादन

104. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में इस वर्ष प्याज का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस फसल को खरीदने हेतु व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी मात्रा में प्याज की खरीद की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान राजस्थान राज्य में, 3,83,203 मी. टन प्याज का उत्पादन हुआ।

(ख) जी, हां। फसल मौसम 2004 हेतु मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत प्याज की खरीद के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(ग) 5000 मी. टन प्याज की खरीद मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत की जाएगी जिसमें से 2500 मी. टन की खरीद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) द्वारा की जाएगी और शेष 2500 मी. टन की खरीद राज्य एजेंसियों द्वारा की जाएगी। 28.6.2004 तक राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफेड), राज्य एजेंसी ने 14 केन्द्रों पर 624 मी. टन प्याज की खरीद कर ली थी। इस स्कीम के अधीन और खरीद की जा रही है।

[अनुवाद]

बोडोलैंड में कृषि विश्वविद्यालय

105. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "काकिलाबाड़ी सेन्ट्रल स्टेट फार्म, बारपेटा" का पुनरुद्धार तथा उसका आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोकराझार में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी और बारपेटा को बोडोलैण्ड टैरिटोरियल परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया जाए ताकि इस फार्म को बोडोलैण्ड लिब्रेशन टाइगर्स के साथ 2003 में समझौता ज्ञापन की शर्त के अनुसार असम सरकार तथा बोडोलैण्ड टैरिटोरियल परिषद् द्वारा पुनः सक्रिय किया जा सके।

(घ) से (च) कोकराझार में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उपरोक्त कथित समझौता ज्ञापन में ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं की गई है।

पारिस्थितिकीय उद्यानों की स्थापना

106. **श्री निहाल चन्द:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर राजस्थान में कोई पारिस्थितिकीय उद्यान स्थापित किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या देश में और पारिस्थितिकीय उद्यान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) देश में "पारिस्थितिकीय उद्यानों" को स्थापित करने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार, राजस्थान राज्य सहित किसी क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐसा कोई "पारिस्थितिकीय उद्यान" स्थापित नहीं किया गया है। भारत में "पारिस्थितिकीय उद्यानों" को स्थापित करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राशन की दुकानों को पुनः खोला जाना

107. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल, चावल, चीनी और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर मुहैया कराने हेतु उचित दर की राशन की दुकानों को पुनः खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक पुनः खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली करने और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक उनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारें खाद्यान्न और चावल, गेहूं, चीनी तथा मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण देश में फैली लगभग 4.76 लाख उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के प्रशासन का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। भारत सरकार ने उचित दर दुकानों को बंद करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है।

महाराष्ट्र की वाटर टैंक परियोजना

108. प्रो. महादेव राव शिवनकर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति हेतु भोपाल स्थित पर्यावरण और वन मंत्रालय के कार्यालय को कोई वाटर टैंक परियोजनाएं/प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) महाराष्ट्र से वाटर टैंक की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कोई परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन स्वीकृति के लिए मामले सभी राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे सभी परियोजनाओं/प्रस्तावों के संसाधन और स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। प्रत्येक मामले पर इसके गुणदोष आधार पर निर्णय किया जाता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पक्षियों का लुप्त होना

109. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्ड लाइफ ईंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार गौरेया की 1000·से अधिक प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'स्टेट आफ दि वर्ल्ड बर्ड्स-2004-05 द्वारा जारी श्रेणीवार आंकड़ों के अनुसार विश्व की प्रत्येक प्रजातियों का प्रत्येक आठवां पक्षी लुप्त होने के कगार पर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उनकी विलुप्तता को रोकने हेतु इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उनकी विलुप्तता रोकने हेतु आगे क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) यूनाइटेड किंगडम आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की वेबसाइट पर उपलब्ध विश्व पक्षी स्थिति-2004 के अनुसार अनेक सामान्य पक्षियों की विश्व के कई भागों में कमी हो रही है। 2004 के मूल्यांकन में यह निष्कर्ष है कि 1211 पक्षी प्रजातियां (12.4% विद्यमान प्रजातियों में से अथवा 8 में से एक) का विश्व स्तर पर इनके लोप होने का खतरा है। इसमें 179 प्रजातियां ऐसी हैं जो गंभीर रूप से खतरे में हैं, 344 परिसंकटमय आकलित है और 688 नाजुक सूची में सूचीबद्ध है। अत्यधिक परिसंकटमय प्रजातियों में विशेषकर एल्बाट्रासिस (95%) सारस (60%) तोते (29%) फेजेन्ट्स (26%) और कबूतर (23%) है। अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट में इनकी संख्या में गिरावट के कारण निम्न प्रकार हैं:

(1) आश्रय स्थलों की क्षति होना

(2) कृषि विस्तार

(3) कृषि की गतिशीलता

(4) निरंतर फार्मिंग

(5) अवसंरचना विकास

(6) प्रदूषण

(7) अनेक पक्षी प्रजातियों का सतत् शोषण

(8) विदेशी इन्वेसिव प्रजातियों का फैलाव

(9) जलवायु परिवर्तन

(ङ) और (च) विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि प्रजातियों को विभिन्न उपायों से लुप्त होने से बचाया जा सकता है जो निम्नलिखित है:

(1) गहन आश्रय स्थल प्रबंधन

(2) जैविक दबाव में कमी लाना

(3) अवक्रमित आश्रय स्थल की पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना

(4) सुरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय नेटवर्किंग

(5) जैव विविधता के संरक्षण, आश्रय स्थल की सुरक्षा और अवैध रूप से शिकार और अवैध रूप से व्यापार के निष्पादन के लिए विधान बनाना।

इस संबंध में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते और पर्यावरणीय सुधार और जैव विविधता संरक्षण पहलुओं के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

[अनुवाद]

जल विवाद

110. **श्री उदय सिंहः**
श्री एन.एन. कृष्णादासः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों के बीच जल विवादों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विवादों के स्थायी समाधान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सरकार ने तमिलनाडु और केरल के बीच ''पाराम्बिकुलम-अलियार'' समझौते में हस्तक्षेप करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत केन्द्र सरकार को भेजा गया अंतर्राज्यीय जल बंटवारा संबंधी विवादों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नदी/नदियां	संबद्ध राज्य
1.	रावी एवं व्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी
3.	मादेई/मांडोवी/महादेई	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र
4.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार राज्यों के बीच सौहार्द्रपूर्ण बातचीत और परस्पर विचार-विमर्श के माध्यम से जल विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है और विवादों के निपटान में असफल होने पर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत विवादों को अधिनिर्णय के लिए अधिकरण के पास भेजा जाता है। उपरोक्त अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया है जिससे अधिकरण द्वारा जल विवाद का अधिनिर्णय समयबद्ध तरीके से किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नदियों की सफाई

111. **श्री रामदास बंडु आठवलेः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक नदी की सफाई हेतु आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें 18 राज्यों में फैली 31 नदियों के प्रदूषित भागों के साथ स्थित 157 शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्य शामिल है जिसकी केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी सहित कुल अनुमोदित लागत 4688 करोड़ रुपए हैं। शहरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण I में दी गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य नीचे दिए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से नदियों की जल गुणता में सुधार करना है:

* खुले नालों के माध्यम से नदी में प्रवाहित होने वाले कच्चे मलजल को रोकने के लिए अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन कार्य और शोधन के लिए उनका दिशा परिवर्तन।
* दिशा परिवर्तित मलजल के शोधन के लिए मलजल शोधन संयंत्र।

* नदी किनारों पर खुले में शौच को रोकने के लिए अल्प लागत शौचालय।
* लकड़ी के प्रयोग से बचने के लिए और श्मशान घाटों पर लाए गए मृत शरीरों का उचित दाह संस्कार करने के लिए विद्युत शवदाहगृह और उन्नत काष्ठ शवदाहगृह।
* स्नान घाटों आदि के सुधार जैसे नदी तटाग्र विकास कार्य।
* वनीकरण, जन भागीदारी, जन जागरूकता आदि जैसे अन्य छोटे-छोटे विविध कार्य।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2003-04 तक संबंधित राज्यों द्वारा किए गए व्यय के साथ उद्देश्य के लिए राज्यवार एवं नदीवार अनुमोदित लागत संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	शहर
1	2
I.	**आंध्र प्रदेश**
1.	भद्राचलम
2.	मनचारयल
3.	राजमुन्द्री
4.	रामागुन्डम
5.	हैदराबाद
II.	**बिहार**
6.	आरा
7.	बड़हिया
8.	बाढ़
9.	भागलपुर
10.	बक्सर
11.	छपरा
12.	फतुवा
13.	हाजीपुर
14.	कहलगांव
15.	मोकामा
16.	मुंगेर
17.	पटना
18.	सुल्तानगंज
III.	**दिल्ली**
19.	दिल्ली
IV.	**गोवा**
20.	पणजी
V.	**गुजरात**
21.	अहमदाबाद
VI.	**हरियाणा**
22.	छिछरौली
23.	फरीदाबाद
24.	घरौंदा
25.	गोहाना
26.	गुड़गांव
27.	इन्द्री
28.	करनाल
29.	पलवल
30.	पानीपत
31.	रादौर
32.	सोनीपत
33.	युमनानगर
VII.	**झारखंड**
34.	घाटशिला
35.	जमशेदपुर
36.	रांची
37.	बोकारो-कांगली

1	2
	38. चिकुन्डा
	39. दुग्धा
	40. झरिया
	41. रामगढ़
	42. साहेबगंज
	43. सिन्दरी
	44. सुदामाडीह
	45. तेलमुमोचु
VIII. कर्नाटक	
	46. भद्रावती
	47. देवनगिरि
	48. हरिहर
	49. के.आर. नगर
	50. कोल्लेगल
	51. नाजागुड
	52. शिमोगा
	53. श्रीरंगपत्तन
	54. बंगलौर
IX. केरल	
	55. पम्बा
X. मध्य प्रदेश	
	56. भोपाल
	57. बुरहानपुर
	58. छपरा
	59. इंदौर
	60. जबलपुर
	61. केलरी
	62. मंडीदीप
	63. नागदा
	64. सिवनी
	65. उज्जैन
	66. विदिशा
XI. महाराष्ट्र	
	67. कराड
	68. नांदेड
	69. नासिक
	70. सांगली
	71. त्रिम्बकेश्वर
XII. उड़ीसा	
	72. चाम्दबाली
	73. कटक
	74. धर्मशाला
	75. तलछेर
	76. पुरी
XIII. पंजाब	
	77. जालंधर
	78. लुधियाना
	79. फगवाड़ा
	80. फिल्लौर
	81. कपूरथला
	82. सुलदानपुर लोधी
XIV. राजस्थान	
	83. केशोरापत्ता
	84. कोटा
XV. तमिलनाडु	
	85. भवानी

1	2
	86. चेन्नई
	87. इरोड
	88. कुमारपलायम
	89. पल्लीपलायम
	90. त्रिची
	91. करूरी
	92. कुम्बोकोनम
	93. मालादुथुरई
	94. तिरूचिरापल्ली
	95. थन्जावुर
	96. मदुरई
	97. तिरूनेलवेला
XVI.	उत्तर प्रदेश
	98. आगरा
	99. इलाहाबाद
	100. अनुपशहर
	101. बिजनौर
	102. चुनार
	103. इटावा
	104. फरूखाबाद
	105. गढ़मुक्तेश्वर
	106. गाजियाबाद
	107. गाजीपुर
	108. जौनपुर
	109. कानपुर
	110. लखनऊ
	111. मथुरा
	112. मिर्जापुर
	113. मुगलसराय
	114. मुजफ्फरनगर
	115. नोएडा
	116. सहारनपुर
	117. सैदपुर
	118. सुलतानपुर
	119. वाराणसी
	120. वृंदावन
XVII.	उत्तरांचल
	121. बद्रीनाथ
	122. देवप्रयाग
	123. गोपेश्वर
	124. हरिद्वार एवं ऋषिकेश
	125. जोशीमठ
	126. करणप्रयाग
	127. रानीपुर
	128. रूद्रप्रयाग
	129. श्रीनगर
	130. उत्तरकाशी
XVIII.	पश्चिम बंगाल
	131. अन्दोल
	132. आसनसोल
	133. भद्रेश्वर एवं चम्पदानी
	134. बैधावती
	135. बासबेरिया
	136. बैरकपोर
	137. बज-बज
	138. चकडाह

1	2
	139. सरकुलर कैनाल
	140. धूलिया
	141. डायमड हार्बर
	142. दुर्गापुर
	143. गरूलिया
	144. गोयेपरु, हरिलशा एवं कंचनपारा
	145. जांगीपुर
	146. जीजगंज अजीमंगज
	147. कटवा
	148. खरदा (विस्तार)
	149. कोन्नागर
	150. महेशतला
	151. मुर्शिदाबाद
	152. नायहट्‌टी
	153. उत्तरी बैरकपोर
	154. रानीगंज
	155. रिसरा
	156. टोलीज नल्लाह
	157. उत्तरपारा कोट्रंग

विवरण II

(करोड़ रुपये)

राज्य संख्या	राज्य	नदी संख्या	नदी का नाम	अनुमोदित लागत	राज्य सरकार द्वारा 31.3.2004 तक किया गया व्यय
1	2	3	4	5	
1.	तमिलनाडु			1103.10	308.13
		1.	अड्यार	491.52	
		2.	क्यूम		
		3.	कावेरी	303.58	
		4.	ताम्ब्रबरनी	66.00	
		5.	वेन्नार	77.00	
		6.	वैगाई	165.00	
2.	मध्य प्रदेश			101.20	53.87
		7.	बेतवा	8.64	
		8.	चम्बल	3.72	
		9.	खान	42.19	
		10.	क्षिप्रा	24.92	
		11.	नर्मदा	13.81	
		12.	ताप्ती	5.26	
		13.	वैनगंगा	2.66	

1	2	3		4	5
3.	कर्नाटक			**72.00**	**28.83**
		14.	भद्रा	4.60	
			कावेरी	5.10	
		15.	तुंग	7.09	
		16.	तुंगभद्रा	8.94	
		17.	पेनयार	46.27	
4.	उड़ीसा			**72.27**	**4.89**
		18.	ब्रह्मणी	58.23	
		19.	महानदी	14.04	
5.	राजस्थान			**13.21**	**0.66**
			चम्बल	13.21	
6.	पश्चिम बंगाल			**394.65**	**85.99**
		20.	दामोदर	12.19	0.72
		21.	गंगा	382.46	85.27
7.	झारखण्ड			**41.34**	**1.39**
			दामोदर	10.22	0.31
		22.	सुर्वणरेखा	30.64	0.98
			गंगा	0.48	0.11
8.	उत्तर प्रदेश		गंगा	**924.43**	**386.99**
				199.05	73.17
		23.	गोमती	321.37	40.57
		24.	यमुना	279.88	273.25
			यमुना-II	124.13	
9.	बिहार			**32.42**	**2.89**
			गंगा	32.42	2.89

1	2		3	4	5
10.	उत्तरांचल			**38.49**	**10.54**
			गंगा	38.49	10.54
11.	आंध्र प्रदेश			**395.11**	**14.82**
		25.	गोदावरी	51.03	14.82
		26.	मूसी	344.08	
12.	महाराष्ट्र			**123.17**	**63.81**
			गोदावरी	95.03	63.81
			कृष्णा	28.14	
13.	गोवा			**14.10**	**0.00**
		28.	माण्डवी	14.10	0.00
14.	गुजरात			**93.83**	**79.84**
		29.	साबरमती	93.83	79.84
15.	पंजाब			**234.58**	**144.20**
		30.	सतलुज	234.58	144.20
16.	हरियाणा			**311.06**	**241.78**
			यमुना	248.56	241.78
			यमुना-II	62.50	241.78
17.	दिल्ली			**573.73**	**160.70**
			यमुना	186.56	160.70
			यमुना-II	387.17	-
18.	केरल			18.45	0.00
		31.	पम्बा	**18.45**	**0.00**
	स्था. और अनु. एवं विकास परामर्शदाता			130.73	
	कुल			4687.88	1589.33

[अनुवाद]

लम्बित पनविद्युत और सिंचाई परियोजनाएं

112. **श्री एन.एन. कृष्णदासः क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पनविद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजाओं को स्वीकृति देने से पहले आवेदनों को छांटने, आकलन करने और पर्यावरण संबंधी अध्ययन हेतु क्या पद्धति अपनायी जा रही है; और

(ग) लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) मंजूरी के लिए लम्बित प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नदी घाटी एवं पनविद्युत परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। पर्यावरणीय मूल्यांकन के विचारों में सामान्यतया वनस्पतिजात एवं प्राणिजात पर प्रभाव, जलीय जीवन पर प्रभाव, विस्थापित लोगों का पुनर्वास, जनस्वास्थ्य प्रभाव एवं कैचमेंट क्षेत्र उपचार शामिल हैं। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदन के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है। पर्यावरणीय मंजूरी देने के संबंध में अंतिम निर्णय की सूचना संपूर्ण सूचना प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर दी जाएगी।

विवरण

क. पर्यावरणीय मंजूरी

I. *पन विद्युत*

हिमाचल प्रदेश

1. पारबती पनविद्युत परियोजना, चरण-3

जम्मू एवं कश्मीर

2. उड़ी-II पनविद्युत परियोजना

II. *सिंचाई*

बिहार

3. अपर किऊल जलाशय परियोजना

4. पुनपुन बैराज स्कीम

गुजरात

5. सिदुम्बर जलाशय परियोजना

महाराष्ट्र

6. उर्मोदी सिंचाई परियोजना

7. तेमघर सिंचाई परियोजना

8. गुंजवानी सिंचाई परियोजना

9. धोम बलकावाड़ी सिंचाई परियोजना

10. तरली सिंचाई परियोजना

11. तेमभू लिफ्ट सिंचाई परियोजना

ख. वानिकी मंजूरी

I. *पनविद्युत*

हिमाचल प्रदेश

1. पतिकारी एच ई पी

2. विद्युत परियोजना, कुल्लू

3. साची एच ई पी

4. टोस मिनी एच ई पी

कर्नाटक

5. हाइड्रो परियोजना, चरमाडी

6. मिनी हाइडेल, डनडेल्ला

पंजाब

7. अबोहर ब्रांच नहर पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग लि. द्वारा एच ई पी

8. अबोहर नहर सड़क पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग लि. द्वारा एच ई पी

9. अखाड़ा मिनी हाइडेल

II. *सिंचाई*

छत्तीसगढ़

10. सिलोट्टा सिंचाई

11. राजाडेरा टैंक

12. हरदी में नहर

13. बंगो सिंचाई

14. बागदी में बांध

महाराष्ट्र

15. अंधाली सुरंग

16. बुलहर में सिंचाई स्कीम

17. दहयाने सिंचाई

18. मनुदेवी एम आई टैंक

19. हरमहु एम आई टैंक

20. हरनबरी एल बी नहर

21. चिंचपानी एवं आई टैंक

मध्य प्रदेश

22. महेशपुर में सिंचाई परियोजना

23. राजघाट नहर

24. इन्दिरा सागर मुख्य नहर

25. कांडीया कुंडिया एम आई टैंक

26. बालकवाड़ा टैंक

गुजरात

27. भदर-2

सिक्किम

28. रोलेप एच ई पी

पश्चिम बंगाल

29. कंगसाबाटी से बायकैनाल

उत्तरांचल

30. संडा में सिंचाई नहर

सुपर बाजार का घाटा

113. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार को इसके कर्मचारियों और प्रबंधन विशेषकर इसके अध्यक्ष के द्वारा की गई अनियमितताओं को रोकने में सरकार की विफलता के कारण भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घाटे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और क्या तत्कालीन अध्यक्ष और अन्य दोषियों से वसूली करना आरंभ कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। सुपर बाजार, दिल्ली एक स्वायत्त सहकारी संगठन है और इसका अपना निदेशक मण्डल था। सुपर बाजार को व्यावसायिकता की कमी, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और कदाचार, अधिक स्टाफ तथा व्यापार में तदनुरूपी वृद्धि किए बिना असंगत वेतन संशोधन के कारण हानि हुई।

(ग) और (घ) सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 69 और 73 के तहत सुपर बाजार के मामलों की जांच के लिए आदेश दिया था तथा हानि की वसूली के लिए सुपर बाजार के तत्कालीन अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह मामला न्यायाधीन है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों को छूट

114. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबंधों से छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से कामगारों के अधिकारों का उल्लंघन होता है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक तंत्र तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16(2) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 5 वर्षों तक अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकती है। इस संबंध में निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय संघ द्वारा जम्मू और कश्मीर से दिशा-दर्शिकाएं वापस लेना

115. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोपीय संघ द्वारा जम्मू और कश्मीर से अपने प्रतिकूल यात्रा दिशा-दर्शिकाएं वापस लेने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य राज्यों ने भारत और विशेषरूप से जम्मू और कश्मीर में यात्रा करने पर अपने राष्ट्रिकों को प्रतिकूल यात्रा दिशा-दर्शिकाएं जारी की हैं। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ मिशनों के हस्तक्षेप के अनुसरण में और यूरोप देशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से, यात्रा दिशा-दर्शिकाएं काफी माडरेट हो गई हैं। तथापि, यात्रा दिशा-दर्शिकाओं में जम्मू और कश्मीर की यात्रा हेतु सावधानी बनाए रखना जारी रखा गया है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए विदेश मंत्रालय यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के साथ मामले को निरंतर उठा रहा है।

कीटनाशी संबंधी राष्ट्रीय नीति

116. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनुष्यों और खाद्य पदार्थों पर कीटनाशियों के दुष्प्रभाव संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ऐसी किसी नीति के बारे में विचार नहीं किया गया है।

तथापि, मानवों अथवा पशुओं की जोखिम से रोकथाम और उनसे जुड़े मामलों की दृष्टि से कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनियमन करने और उससे संबंधित मामलों के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 पहले ही विद्यमान है। इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशकों की प्रभावकारिता और मानवों, पशुओं और पर्यावरण के प्रति उनकी सुरक्षा के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद ही उनका पंजीकरण करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार खाद्य तथा जल आदि में कृमिनाशियों के अवशिष्ट पदार्थों की रोक करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का संचालन कर रही है और यह विभिन्न कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं के निर्धारण में भी लगी है। सरकार ने किसी भी कीटनाशक को उसके संबंध में अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं के निर्धारण के बिना पंजीकृत नहीं करने का भी निर्णय लिया है।

सरकार समेकित कृमि प्रबन्ध का भी संवर्धन कर रही है। जिसमें पौध कृमियों और रोगों के नियंत्रण के लिए संवर्धनात्मक, यांत्रिक और जैविकीय पद्धतियों को शामिल किया गया है और खाद्य तथा मानव स्वास्थ्य पर कृमिनाशियों के कारण होने वाले कुप्रभावों को परिसीमित करने के लिए रासायनिक कृमिनाशियों के न्यूनतम जरूरत आधारित उपयोग की परिकल्पना है।

सरकार ने कृमिनाशियों में अवशिष्टों के कारण संदूषण के स्तर पर रोक लगाने के लिए विभिन्न कृषि जिन्सों में राष्ट्रीय स्तर पर कृमिनाशी अवशिष्टों की मानिटरिंग की एक स्कीम प्रतिपादित करने का भी निर्णय लिया है।

खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क

117. **श्री सुनील खां:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य** और **सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू उत्पादों की संरक्षा के लिए खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो किस दर से आयात शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य उत्पादों पर पुन: राज-सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राज-सहायता दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

118. **श्री अजय माकन:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस नीति की कार्यान्वयन एजेंसी का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और उसके बाद इसके अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(घ) किन राज्यों ने अभी तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को नहीं अपनाया है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना को देशभर में कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(च) इस योजना के पहले की व्यापक फसल बीमा योजना से किस प्रकार भिन्न होने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार का विचार कोई नई कृषि बीमा योजना आरंभ करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण I में दी गई हैं।

(ख) भारतीय कृषि बीमा कम्पनी इस स्कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 20 दिसम्बर, 2002 को निगमित किया गया था। इसका प्रवर्तन भारतीय साधारण बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) इस स्कीम में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते क्योंकि यह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। तथापि, गत आठ फसल मौसमों (रबी 1999-2000 से खरीफ 2003 तक) के दौरान कवर किए गए किसान, क्षेत्र, बीमित राशि, एकत्रित प्रीमियम, कुल दावों तथा लाभान्वित किसानों के रूप में उपलब्धियां निम्नवत हैं:-

1.	कवर किए गए किसान	:	4.18 करोड़
2.	कवर किया गया क्षेत्र	:	6.50 करोड़ हैक्टेयर
3.	बीमित राशि	:	37241.79 करोड़ रुपए
4.	एकत्रित प्रीमियम	:	1178.82 करोड़ रुपए
5.	कुल दावे	:	4472.86 करोड़ रुपए
6.	लाभान्वित किसान	:	1.50 करोड़

(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने अब तक राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम नहीं अपनाई है वे हैं:- अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप।

(ङ) राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनों जैसे खरीफ तथा रबी अभियानों के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनों में राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के लाभों को सुग्राह्य बनाया जाता है। इसमें भाग न लेने वाले राज्यों के लिए विशेष दौरों और बैठकों की व्यवस्था की जाती है। कार्यान्वयन एजेन्सी इस संबंध में आवश्यक प्रचार कर रही है।

(च) वृहत फसल बीमा स्कीम और राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के बीच मुख्य अन्तर संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(छ) और (ज) जी, हां। रबी 2003-04 में फार्म आय बीमा स्कीम संबंधी एक पायलट परियोजना कार्यान्वित की गई थी। यह स्कीम उत्पादन तथा मूल्य जोखिम दोनों के बीमे का समेकन करके फार्म आय को संरक्षण प्रदान करती है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

* यदि किसान की वास्तविक आय किसानों की गारन्टीशुदा आय (औसत उपज और एम.एस.पी. का गुणक) से कम हो जाती है तो वह भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड से क्षतिपूर्ति की मात्रा तक प्रतिपूर्ति का पात्र बन जाएगा।
* बीमित फसल की वास्तविक उपज और मूल्य मापने के लिए क्षेत्र प्रणाली का उपयोग किया जाएगा जैसाकि एन.ए.आई.एस. में है।
* यह स्कीम सभी राज्यों के लिए उपलब्ध होगी और फसल ऋण की सुविधा लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य होगी।
* फार्म आय बीमा स्कीम के अंतर्गत कवर की गई फसलों के लिए एन.ए.आई.एस. को हटा लिया जाएगा परन्तु अन्य फसलों के लिए यह लागू रहेगी।

विवरण I

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम की मुख्य विशेषताएं

- यह स्कीम सभी किसानों-ऋणी तथा गैर-ऋणी दोनों के लिए उपलब्ध है चाहे उनकी जोतों का आकार कुछ भी हो।
- ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य और गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक।

- यह स्कीम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है।
- बीमित रीशि बीमित क्षेत्र की न्यूनतम निर्धारित उपज के मूल्य तक हो सकती है।
- सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न और दलहन), तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों की कवरेज जिनके पर्याप्त वर्षों के लिए विगत के उपज संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में वर्तमान में ग्यारह फसलें अर्थात् कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज, हल्दी, पटसन, टैपियोका, वार्षिक केला और अनन्नास कवर किए गए हैं।
- मूलतः सभी जोखिम बीमा स्कीम जिसमें गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों के कारण होने वाली सभी हानियां कवर की गई हों।
- प्रीमियम की दरें बाजरा तथा तिलहन के लिए 3.5% और अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%, गेहूं के लिए 1.5% और अन्य रबी फसलों के लिए 2% हैं।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम की बीमांकित दरें प्रभारित की जाती हैं।
- छोटे और सीमान्त किसानों से प्रभारित किए जाने वाले प्रीमियम पर 50% राजसहायता दी जाती है। यह राजसहायता क्रमशः घटते हुए आधार पर 5 वर्ष की अवधि में समाप्त की जानी है।
- वित्तीय देयताएं केन्द्र सरकार और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जानी है।

विवरण II

वृहत् फसल बीमा स्कीम और राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के बीच मुख्य अन्तर

वृहत् फसल बीमा स्कीम	राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम
इसमें ऋणी किसान अनिवार्य आधार पर कवर किए गए।	ऋणी (अनिवार्यतः) और गैर-ऋणी (स्वैच्छिक) दोनों तरह के किसान कवर किए जाते हैं।
केवल खाद्य फसलें और तिलहन फसलें कवर की जाती थीं।	खाद्य तथा तिलहन फसलों के अलावा, वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें कवर की जाती हैं।
प्रीमियम की दरें अनाजों और दलहनों के लिए 2% तथा तिलहन फसलों के लिए 1% हैं।	खरीफ—बाजरा और तिलहनों के लिए 3.5% और अन्य खाद्य फसलों के लिए 2.5% रबी—गेहूं के लिए 1.5% तथा अन्य खाद्य फसलों के लिए 2% वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें—बीमांकिक प्रीमियम दरें
बीमित राशि 10000/- रुपए तक सीमित	बीमित राशि फसल की न्यूनतम निर्धारित उपज के मूल्य तक हो सकती है जिसमें फसल की औसत उपज के 150% तक कवर करने का विकल्प है। 100% से अधिक की कवरेज पर बीमांकिक दर प्रभारित की जाती है।
छोटे और सीमान्त किसानों को 50% की प्रीमियम राजसहायता	छोटे और सीमान्त किसानों को 50% की प्रीमियम राजसहायता जो पांच वर्ष की अवधि में क्रमशः घटते आधार पर समाप्त की जाएगी।
प्रीमियम और दावों को केन्द्र और राज्यों के बीच 2:1 के आधार पर वहन किया जाता है।	प्रीमियम और दावे केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 1:1 के आधार पर वहन किए जाते हैं।

लंबित पारिवारिक पेंशन के मामले

119. **श्री सुकदेव पासवानः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (छूट) बांद्रा मुंबई विशेषकर पीटीआई लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि के संदर्भ में पारिवारिक पेंशन के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) ये पारिवारिक पेंशन मामले कब से लंबित हैं और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) खाता सं. एन आई एच 1204/एफ पी एफ/79 के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुंबई और न्यासी, पीटीआई लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा विभिन्न अंशदाताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त आवेदकों को पारिवारिक पेंशन का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) दिनांक 31.05.2004 की स्थिति के अनुसार लंबित/प्रक्रियाधीन पेंशन तथा परिवार पेंशन मामलों की कुल संख्या 3484 है। इनमें से अधिकांश मामले 6 माह से कम अवधि से लंबित हैं। तथापि, पीटीआई लिमिटेड के कर्मचारियों के संबंध में परिवार पेंशन का कोई भी मामला भविष्य निधि आयुक्त, बान्द्रा, मुंबई के पास लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को खाता संख्या एन आई एच/1204/क.भ.नि./79 के संदर्भ में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, धन निकासी लाभ की 1971 की योजना के अंतर्गत धन निकासी दावा जनवरी, 2004 में प्राप्त हुआ था। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय की उद्घोषणा के पश्चात् धन निकासी लाभ के लिए सदस्यों का दावा अनुमेय नहीं है तथा प्रतिष्ठान को पेंशन का दावा दायर करने की सलाह दी गयी थी।

झारखंड में सिंचाई क्षमता

120. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहताः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में केवल 4 प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य की सिंचाई क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) झारखण्ड में निवल सिंचित क्षेत्र कुल कृष्य क्षेत्र का लगभग 8% है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण इसकी आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और यह उनके वित्तीय संसाधनों एवं उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों की सहायता करने की दृष्टि से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मार्च, 2004 के अंत तक राज्य को 66.248 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र

121. **श्री बी. विनोद कुमारः** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक केंद्र को कितनी निधियां जारी की गई;

(घ) क्या इन प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा रहे है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों में बड़े पैमाने पर निधियों के दुरुपयोग सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) स्कीम के प्रारंभ से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों में इस मंत्रालय द्वारा 348 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों को सहायता दी गई है। सूची संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों के लिए जारी की गई सहायता की मात्रा संलग्न विवरण II में दी गई है। इन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र को सहायता नहीं दी गई है।

(ग) सिंगल प्रोडक्ट लाइन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र के वास्ते उपकरणों के लिए 2.00 लाख रु. तक और कच्ची सामग्री के लिए 1.00 लाख रु. की सहायता अनुज्ञेय है। मल्टी प्रोडक्ट लाइन खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्र के वास्ते उपकरणों के लिए 7.50 लाख रु. तक और कच्ची सामग्री के लिए 2.00 लाख रु. तक की सहायता अनुज्ञेय है।

(घ) और (ङ) सभी मामलों में, सिवाय जारी की गई 18 प्रतिशत सहायता को छोड़कर, संगठनों से या तो उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं और अथवा दी गई सहायता वापस प्राप्त हो गई है।

(च) और (छ) जी नहीं। तथापि, इस मंत्रालय की ओर से आयोजित अध्ययन के भाग के रूप में, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने पाया कि कुछ केंद्रों में वाणिज्यिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अनुसरण में, निधि-मंजूरी की प्रक्रिया और खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र परियोजनाओं की मानीटरिंग में संशोधन किया गया है।

विवरण I

वर्ष 1992-93 से 2003-04 की अवधि के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	8वीं योजना	9वीं योजना	10वीं योजना (2003-04 तक)	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	01	—	01
2.	आंध्र प्रदेश	01	04	—	05
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	—	—	01
4.	असम	23	02	—	25
5.	बिहार	19	09	01	29
6.	दिल्ली	04	03	—	07
7.	गुजरात	03	—	01	04
8.	हरियाणा	08	01	02	11
9.	हिमाचल प्रदेश	07	—	—	07
10.	जम्मू और कश्मीर	06	02	—	08
11.	कर्नाटक	11	—	—	11
12.	केरल	06	—	—	06
13.	महाराष्ट्र	05	12	01	18
14.	मध्य प्रदेश	05	—	—	05
15.	मणिपुर	03	—	01	04

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	06	—	—	06
17.	मेघालय	01	—	—	01
18.	नागालैंड	02	—	—	02
19.	उड़ीसा	40	22	—	62
20.	पंजाब	02	—	—	02
21.	राजस्थान	03	—	—	03
22.	तमिलनाडु	16	18	02	36
23.	त्रिपुरा	01	—	—	01
24.	उत्तर प्रदेश	47	27	02	76
25.	पश्चिम बंगाल	11	02	02	15
26.	उत्तरांचल	—	01	01	02
	योग	231	104	13	348

विवरण II

गत तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	5.051	2.00	2.00
2.	उत्तर प्रदेश	25.32	2.00	7.50
3.	महाराष्ट्र	3.766	2.00	—
4.	बिहार	1.00	2.00	—
5.	उत्तरांचल	2.00	2.00	—
6.	मणिपुर	—	2.00	—
7.	पश्चिम बंगाल	—	4.00	—
8.	झारखंड	—	2.00	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	1.90	—
10.	उड़ीसा	—	—	1.82

1	2	3	4	5
11.	गुजरात	—	—	2.00
12.	हरियाणा	—	—	4.00
	जोड़	37.137	19.90	17.32

[हिन्दी]

रोजगार के अवसरों का सृजन

122. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग को प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किए गए विशेष कार्यबल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कितने सुझावों को स्वीकार किया गया और इनमें से कितने सुझावों को लागू करने के लिए चिन्हित किया गया; और

(घ) अब तक कितने सुझाव कार्यान्वित किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) 10वीं योजनावधि में प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने के लिए रणनीति एवं कार्यक्रम सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में विशेष समूह का गठन किया गया। समूह ने अपनी रिपोर्ट मई, 2002 में प्रस्तुत की।

(ग) और (घ) समूह ने 10वीं योजनावधि में 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का प्रस्ताव रखा। इनमें से लगभग 2 करोड़ रोजगार विशिष्ट रोजगार सृजन कार्यक्रमों तथा 3 करोड़ अत्यधिक वृद्धि से सृजित होंगे। 10वीं योजना तैयार करते समय समूह की सिफारिशों पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पर्यटन विकास

123. **श्री ए.के. मूर्ति:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में कांचीपुरम में पर्यटन की संभावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस स्थान पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए पचास करोड़ रुपए प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में पर्यटन का विकास और संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर निधियां मुहैया करता है।

वर्ष 2003-04 के दौरान, पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास की योजना के तहत कांचीपुरम में पर्यटन के अवसंरचना का विकास के लिए एक परियोजना हेतु 259.40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 1998-99 के दौरान, कांचीपुरम में एकाम्बरेश्वर मंदिर के चारों ओर के वातावरण के सुधार के लिए एक परियोजना हेतु 15.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

शहरी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

124. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
श्री उदय सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष पचास करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की शहरी परियोजनाओं हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) को अनिवार्य बनाने के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी की थी और क्या राज्यों से टिप्पणियां मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रत्युत्तर क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने एस ओ संख्या 60 (ई) के तहत 27 जनवरी, 1994 को जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना को संशोधित करने के लिए 27 अक्तूबर, 2003 को एस ओ संख्या 1236 (ई) के तहत एक प्रारूप अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत नए टाउनशिप, औद्योगिक टाउनशिप, पुनर्वास कालोनियों, व्यावसायिक परिसरों, होटल परिसरों, अस्पतालों, कार्यालय परिसरों का निर्माण है, जो 1000 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के लिए होगा या जहां 50,000 लीटर प्रतिदिन या इससे अधिक मलजल का निस्तारण होगा या 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक का निवेश किया गया होगा, से संबंधित नई परियोजनाओं को और 50 हैक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र की नई औद्योगिक संपदाओं जिनका क्षेत्र कितना भी क्यों न हो यदि उनकी प्रदूषण क्षमता अत्यधिक होगी तो उन्हें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों की जांच की गई है।

सार्वजनिक वितग्ण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

125. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्री रामकृपाल यादव:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री प्रकाश बापू वी. पाटिल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों को समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और सुचारू बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने गरीबी रखा से नीचे रह रहे लोगों को राशन कार्ड जारी करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भण्डारण और केन्द्रीय गोदामों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य सरकारें उपभोक्ताओं की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा देश में लगभग 4.76 लाख उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इनका वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, दक्ष और जवाबदेह बनाने की दृष्टि से इसे सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, इस संबंध में अब तक निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) केन्द्रीय गोदामों से उचित दर दुकानों तक और उचित दर दुकानों के परिसर में खाद्यान्नों के स्टाक में किए जाने वाले जानबूझ कर अपमिश्रण, विस्थापन, विपथन, चोरी आदि को रोकने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया है।

(2) दिसम्बर, 2000 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। वर्ष 2003 में यह कवरेज बढ़ाकर 1.5 करोड़ परिवारों के लिए कर दिया गया है।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में उचित दर दुकानों की मानीटरिंग करने के काम में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से शामिल करें।

(4) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया है ताकि वे इसे अपना सकें।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धान की खरीद हेतु केन्द्र

126. **श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी खरीफ मौसम के दौरान देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में धान की खरीद हेतु अतिरिक्त केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार का प्रस्ताव है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए आगामी खरीफ विपणन मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीददारी करने के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री न की जाए। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सहित जिन राज्यों ने विकेन्द्रीकृत वसूली के लिए विकल्प दिया है, वे राज्य आवश्यकतानुसार वसूली केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

आईसीएफआरई और आईडीए के बीच समझौता

127. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन काउन्सिल आफ फारेस्टी रिसर्च एण्ड एजुकेशन (आई सी एफ आर ई) ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते के मुताबिक आईडीए द्वारा आईसीएफआरई को वर्ष 1998 तक किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आईसीएफआरई की पहल पर आयकर प्राधिकरण अपने पहले किए गए आयकर आंकलन का पुनरीक्षण करने के लिए राजी हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आईसीएफआरई की वजह से कितनी राशि का प्रतिदेय हुआ है; और

(छ) बिना किसी विलम्ब के बकाए प्रतिदेय भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय तथा राज्य वन संस्थानों द्वारा प्राथमिकता वाले अनुसंधान कार्यक्रमों की योजना बनाए जाने तथा उन्हें शुरू करने के लिए उनकी क्षमता में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.) ने वानिकी अनुसंधान शिक्षा एवं विस्तार परियोजना (फ्रीम) के तहत 47.00 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए मार्च, 1994 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) के साथ एक समझौता किया था। परियोजना के मुख्य घटक सिविल कार्य, उपकरणों की खरीद, सामग्री तथा परामर्शदात्री सेवाएं और प्रशिक्षण थे।

(ग) आईसीएफआरई द्वारा आईडीए को कोई अदायगी बकाया नहीं थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) आईसीएफआरई द्वारा आयकर की धारा 264 के तहत छूट के लिए मुख्य आयुक्त, आयकर, मेरठ के समक्ष अपील की गई थी। आयकर की दर को संशोधित करके 30% से 15% कर दिया गया था। इस प्रकार आईसीएफआरई फरवरी, 2001 में 61,19,338 रु. आयकर के रूप में तथा 16,78,190 रु. ब्याज के रूप में वापस पाने की पात्र थी। आईसीएफआरई 31.3.2003 को धन वापसी के भाग के रूप में 16,29,494 रु. प्राप्त कर चुकी है।

(छ) आईसीएफआरई ने भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के मध्य डबल टैक्सेशन अवायडेन्स करार के मद्देनजर 0% कर दायित्व प्राप्ति के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) को आवेदन किया है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सूचना केन्द्र

128. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं/स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केंद्रों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) उपभोक्ता कल्याण कोष में से अब तक देश में 100 जिलों के लिए जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों को स्वीकृत किया गया है जिसमें से 76 को अनुदान जारी किया गया है। जिन जिलों को केंद्र स्थापित करने के लिए अनुदान जारी किया गया है उनको दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2000 से पहले पुरानी स्कीम के तहत चेन्नई (तमिलनाडु), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), बंगलौर (कर्नाटक), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), जयपुर (राजस्थान), राउरकेला (उड़ीसा) और भावनगर (गुजरात) में 7 उपभोक्ता सूचना केंद्र स्थापित किए गए थे।

(ग) तीन वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से देश के प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र स्थापित करने की नई स्कीम अक्तूबर, 2000 में शुरू की गई थी। इन केंद्रों की स्थापना तथा संचालन जिला परिषदों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों द्वारा सतत आधार पर किया जाना होता है। जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों के प्रमुख कार्य न केवल प्रत्यक्ष प्रयोक्ताओं में बल्कि सभी स्थानीय निकायों और संस्थानों में उपभोक्ता संरक्षण पर सूचना का प्रसार करना, उपभोक्ताओं के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना, शिकायत दर्ज करने को सुकर बनाना, जिला बाट तथा माप प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना है।

(घ) नई स्कीम के तहत जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र की स्थापना करने के लिए दिए जाने वाले अनुदान की कुल धनराशि 5 लाख रुपए है, जिसका एक भाग गैर-आवर्ती व्ययों के लिए और दूसरा भाग आवर्ती व्ययों के लिए होता है। अनुदान को चरणबद्ध तरीके से तीन वर्ष के अन्दर वितरित किया जाता है जिसमें पहले वर्ष में 2.5 लाख रुपए, दूसरे वर्ष में 1.75 लाख रुपए और तीसरे वर्ष में 75,000 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी और तीसरी किस्त स्कीम के तहत गठित मानीटरिंग समिति द्वारा केंद्र के संतोषजनक कार्य निष्पादन के बाद दी जाती है। अब तक इस स्कीम के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से विभिन्न गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/राज्य सरकारों को 2,00,25,000/ रुपए की राशि रिलीज की गई है।

विवरण

स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों की सूची (जारी अनुदान)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों की संख्या	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2	गुन्टूर		कुड्डपा
2.	चण्डीगढ़	1	चण्डीगढ़		

1	2	3	4	5	6
3.	दमन व दीव	1	मोती दमन		
4.	दिल्ली	2	किदवई नगर	मयूर विहार	
5.	गुजरात	5	राजकोट, साबरकन्टा	बड़ोदरा	सूरत, भावनगर
6.	हरियाणा	1	झज्जर		
7.	मणिपुर	7	चन्देल	थोऊबल, सेनापति, इम्फाल पश्चिम (2), इम्फाल पूर्व, विशनुपुर	
8.	मध्य प्रदेश	4	भोपाल (2), ग्वालियर		कटनी
9.	महाराष्ट्र	1	अहमदनगर		
10.	मिजोरम	1	आइजवेल		
11.	उड़ीसा	8	मयूरभंज, कन्धामल, भद्रक, कालाहाण्डी, बोलांगीर, बालासोर, अंगुल		कटक
12.	पाण्डिचेरी	2	कराइकल	अय्यमकुट्टीपलयम	
13.	राजस्थान	3	चित्तौड़गढ़, अजमेर	दौसा	
14.	उत्तरांचल	3	देहरादून, चमोली	अल्मोड़ा	
15.	पश्चिम बंगाल	6	पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, कोलकाता	किद्दरपोर, नाडिया, हुगली	
16.	सिक्किम	3	गंगटोक (पूर्व)		उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला
17.	केरल	1		थिरूवन्थपुरम	
18.	तमिलनाडु	1			सिवागंगई
19.	उत्तर प्रदेश	20			लखनऊ, बस्ती, बुलन्दशहर, सन्त कबीर नगर, देवरिया, हाथरस, प्रतापगढ़, कन्नौज, अलीगढ़, मथुरा, गाजीपुर, जौनपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, औरैया, मेरठ, बलिया, मैनपुरी, कानपुर

1	2	3	4	5	6
20.	बिहार	1			वैशाली
21.	झारखण्ड	1			धनबाद
22.	कर्नाटक	2			गुलबर्गा, उडुपी
	योग	76	29	15	32

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को सूखा राहत सहायता

129. **डा. एम जगन्नाथ:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सूखा राहत सहायता की लंबित राशि को शीघ्र मुहैया कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सूखे के लिए सहायता प्रदान करना एक निरंतर प्रक्रिया है। आंध्र प्रदेश को अभी तक प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सी.आर.एफ. का केन्द्रीय हिस्सा	एन.सी.सी.एफ.	खाद्यान्न (लाख मी. टन)
2001-2002	155.97	-	21.50
2002-2003	163.77	123.51	17.20
2003-2004	171.96	50.58	6.00

राज्यों के लिए चीनी का कोटा

130. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री के.एस. राव:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यों को दी जा रही लेवी चीनी के कोटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राज्यों को वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी मुहैया करा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें वर्तमान आबादी के आधार पर उनके कोटे का निर्धारण करने की बात कही गई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस समय क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जा रही लेवी चीनी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यों को लेवी चीनी का कोटा 01.03.2000 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा (1.2.2001 से और उसके बाद)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक लेवी कोटा (मी. टन)	वार्षिक त्यौहार कोटा* (मी. टन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9690	7614
2.	अंडमान और निकोबार	389	74

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	834	94
4.	असम	18337	2896
5.	बिहार	20516	10078
6.	झारखंड	6948	—
7.	चंडीगढ़	62	112
8.	दादर और नगर हवेली	48	14
9.	दिल्ली	2610	2316
10.	गोवा	120	150
11.	दमन और दीव	11	12
12.	गुजरात	5841	4878
13.	हरियाणा	2485	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	4698	608
15.	जम्मू और कश्मीर	6962	868
16.	कर्नाटक	8636	5350
17.	केरल	4103	3600
18.	लक्षद्वीप	115	22
19.	मध्य प्रदेश	12441	7536
20.	छत्तीसगढ़	4512	—
21.	महाराष्ट्र	16792	9014
22.	मणिपुर	1763	208
23.	मेघालय	1704	200
24.	मिजोरम	666	78
25.	नागालैंड	1179	128
26.	उड़ीसा	8707	3730
27.	पांडिचेरी	243	88
28.	पंजाब	1385	2392
29.	राजस्थान	7342	5092
30.	सिक्किम	391	50
31.	तमिलनाडु	10820	6790
32.	त्रिपुरा	2647	302
33.	उत्तर प्रदेश	33013	15936
34.	उत्तरांचल	6033	—
35.	पश्चिम बंगाल	14087	7796
	जोड़	216130	99950

*टिप्पणी : एक नीतिगत निर्णय के रूप में सरकार ने विभिन्न त्यौहारों के लिए चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंचांग वर्ष 2001 तथा 2002 के लिए त्यौहार कोटे को दुगुना कर दिया है।

बीड़ी कामगारों का कल्याण

131. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीड़ी कामगारों की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए कोई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ङ) पुरुष और महिला दोनों बीड़ी कामगारों की अलग-अलग औसतन मजदूरी कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) सरकार लगभग 40 लाख बीड़ी कामगारों एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, मनोरंजन एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

(घ) ये कल्याण योजनाएं उन सभी राज्यों में कार्यान्वित की गई हैं जहां बीड़ी कामगार है।

(ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित प्रति हजार बीड़ियों को लपेटने के

लिए औसत न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक राज्य में 31.20 रुपये और 172.84 रुपये के बीच भिन्न-भिन्न है।

बेरोजगारी का संकट

132. श्री निखिल कुमारः
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री एस.पी.वाई. रेड्डीः
श्री नीतीश कुमारः
श्री निहाल चन्दः
श्री जसवन्त सिंह बिश्नोईः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगारी की अत्याधिक तेजी से बढ़ती हुई दर से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत यथास्थिति के अनुसार शिक्षित, अशिक्षित, कुशल और अकुशल बेरोजगार व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योगों और अन्य क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पहचान किये गए क्षेत्र कौन से हैं;

(च) इन क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है;

(छ) देश में बेरोजगारी के संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर देश में बेरोजगारी दर वर्ष 1993-93 के दौरान लगभग 1.90% से आंशिक रूप से बढ़ कर वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.23% हो गई है।

(ग) दिसम्बर 2002 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक व उससे अधिक) तथा अशिक्षित (मैट्रिक से कम) रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गई है। कुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वालों संबंधी सूचना रखी नहीं जाती।

(घ) और (ङ) सरकार ने योजना आयोग के सदस्य डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में रोजगार एवं बेरोजगारी के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने तथा 10वीं योजनावधि के दौरान 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन हेतु नीति एवं कार्यक्रम सुझाने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया। 10वीं योजना में कृषि, कृषिवानिकी, ऊर्जा पौधारोपण, ग्रामीण क्षेत्र तथा लघु एवं मझोले उद्यम, पर्यटन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं जैसे उच्च रोजगार संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की।

(च) और (छ) विशेष समूह ने निम्नलिखित नीति की अनुशंसा की।

* सामान्य कारोबार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि से लगभग 30 मिलियन रोजगार अवसर पैदा होंगे।

* विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों से लगभग 20 मिलियन रोजगार अवसर पैदा होंगे।

विवरण

31.12.2002 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित एवं अशिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित (10वीं कक्षा व उससे अधिक)	अशिक्षित (निरक्षरों सहित 10वीं कक्षा से कम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2872.2	75.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.2	10.6
3.	असम	1024.9	522.4
4.	बिहार	1484.1	328.7
5.	छत्तीसगढ़	800.3	148.9
6.	दिल्ली	845.1	214.9
7.	गोवा	84.1	19.5

1	2	3	4
8.	गुजरात	864.4	188.4
9.	हरियाणा	596.8	205.2
10.	हिमाचल प्रदेश	695.6	210.2
11.	जम्मू और कश्मीर	90.7	55.4
12.	झारखंड	709.7	609.2
13.	कर्नाटक	1273.1	676.0
14.	केरल	3026.4	717.7
15.	मध्य प्रदेश	1474.0	396.4
16.	महाराष्ट्र	3350.2	996.7
17.	मणिपुर	263.2	151.6
18.	मेघालय	20.3	15.9
19.	मिजोरम	21.6	19.8
20.	नागालैंड	21.5	14.0
21.	उड़ीसा	618.2	143.6
22.	पंजाब	383.1	123.3
23.	राजस्थान	523.1	172.9
24.	सिक्किम*	—	—
25.	तमिलनाडु	3128.7	1848.5
26.	त्रिपुरा	105.7	246.7
27.	उत्तरांचल	275.7	72.1
28.	उत्तर प्रदेश	1392.0	434.8
29.	प. बंगाल	3483.9	2967.3
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.9	22.2
31.	चंडीगढ़	57.3	24.9
32.	दादर न नगर हवेली	4.0	1.5
33.	दमन व दीव	4.5	3.9
34.	लक्षद्वीप	5.7	4.3
35.	पांडिचेरी	138.8	12.8
	योग	29667.9	11655.5

टिप्पणीः *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यलय कार्य नहीं कर रहा। हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों का अनुसमर्थन

133. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम से संबंधित आईएलओ की 30 अभिसमयों में से अधिकांश अभिसमयों और सिफारिशों का अनुसमर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भारत ने 3 न्यूनतम आयु अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है। तथापि, बाल श्रम से संबंधित आई एल ओ अभिसमयों और मिफारिशों की संख्या 30 नहीं है।

(ख) भारत द्वारा अनुसमर्थित न्यूनतम आयु अभिसमय निम्नानुसार हैं:

1. न्यूनतम आयु (उद्योग) अभिसमय, 1919 (संख्या-5)
2. न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एण्ड स्टोकर्स) अभिसमय, 1921 (संख्या-415)
3. न्यूनतम आयु (भूमिगत कार्य) अभिसमय, 1965 (संख्या-123)

(ग) भारत सरकार, आई एल ओ अभिसमयों और सिफारिशों का अनुसमर्थन नहीं करती हैं यदि वे संबंधित राष्ट्रीय नमूनों और पद्धतियों के अनुरूप नहीं हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग

134. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की संरचना किस प्रकार है;

(ग) क्या आयोग ने सरकार को कोई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 10 फरवरी, 2004 के संकल्प संख्या 8-2/2003-नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, तीन अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं होते।

[हिन्दी]

ईपीएफ पर ब्याज दर

135. **श्री मुनव्वर हसन:**
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) के अनुसार, वर्ष 2004-2005 के लिए निधि के सदस्यों के खातों में ब्याज की जो राशि जमा की जाती है उस बारे में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सरकार को सिफारिश की जानी है। यह कार्रवाई अभी की जानी है। तत्पश्चात्, वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकार द्वारा ब्याज दर को अधिसूचित करना अपेक्षित है।

(ङ) इस समय इसकी समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

सिंचाई क्षमता

136. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नीतीश कुमार:
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना से नौवीं पंचवर्षीय योजना तक सिंचाई क्षमता के सृजन में निरंतर गिरावट आई है;

(ख) यदि नहीं, तो सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान नवसिंचित क्षेत्र में कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सातवीं, आठवीं एवं नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता निम्नानुसार है:-

योजना की अवधि	योजना अवधि के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (मि.हे.)	सिंचाई क्षमता के सृजन की औसत वार्षिक दर (मि.हेक्टे./वर्ष)
सातवीं योजना	11.11	2.22
वार्षिक योजना 1990-92	4.56	2.28
आठवीं योजना	5.17	1.03
नौवीं योजना	7.72	1.54

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य (मि. हेक्टे. में)

(1)	वृहत् और मध्यम सिंचाई	-	9.93
(2)	लघु सिंचाई	-	5.29
	कुल	-	14.22

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में संचयी निवल सिंचित भूमि का लक्ष्य 62.30 मिलियन हेक्टेयर अर्थात् देश की कुल कृषि भूमि का 34% है।

[अनुवाद]

पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्रों के रूप में घोषित किया जाना

137. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, किन-किन पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्थलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और चालू वर्ष में कितनी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को और धनराशि आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) स्थानों को राष्ट्रीय पर्यटक केंद्रों के रूप में घोषणा करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष पर्यटन परियोजनाएं अभिनिर्धारित की जाती हैं और धन की उपलब्धता के अधीन मेरिट के आधार पर स्वीकृत की जाती है पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं और रिलीज की गई राशि के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह भी दी गई है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विचारार्थ अपने प्रस्ताव भेज दें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के (2001-02 से 2003-04) के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं और अवमुक्त की गई राशि

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14	1621.85	1221.20
2.	असम	19	1479.09	1127.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	25	1407.80	943.38
4.	बिहार	15	1525.77	1420.24
5.	छत्तीसगढ़	18	1348.00	486.00
6.	गोवा	12	130.99	85.11
7.	गुजरात	21	1423.13	995.25
8.	हरियाणा	31	1673.07	1273.12
9.	हिमाचल प्रदेश	46	1119.28	924.33
10.	जम्मू एवं कश्मीर	11	1054.88	1045.42
11.	झारखण्ड	4	1189.00	798.60

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	28	2089.91	1586.77
13.	केरल	28	2149.94	1750.61
14.	मध्य प्रदेश	39	1589.45	1074.74
15.	महाराष्ट्र	28	2683.49	2426.74
16.	मणिपुर	3	87.68	27.35
17.	मेघालय	10	198.44	83.07
18.	मिजोरम	17	782.11	279.41
19.	नागालैण्ड	14	1113.04	566.93
20.	उड़ीसा	11	505.10	183.07
21.	पंजाब	8	136.50	39.24
22.	राजस्थान	29	2748.51	2512.95
23.	सिक्किम	26	1606.16	1020.68
24.	तमिलनाडु	39	2432.49	1333.89
25.	त्रिपुरा	16	780.70	267.81
26.	उत्तरांचल	10	843.95	662.64
27.	उत्तर प्रदेश	15	1466.54	1258.13
28.	पश्चिम बंगाल	32	1148.39	542.97
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	7	25.75	21.75
31.	दादर एवं नगर हवेली	3	11.77	8.31
32.	दिल्ली	37	3875.29	3708.45
33.	दमन एवं दीव	5	319.57	256.96
34.	लक्षद्वीप	1	17.00	5.10
35.	पांडिचेरी	6	331.65	135.83
	जोड़	628	40916.29	30073.64

नारियल की खेती

138. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल की खेती में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हुए उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल और नारियल उत्पादों के घरेलू उपयोग में वृद्धि करने और नारियल आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। नारियल की खेती 1999-2000 में 1.768 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 2001-02 में 1.892 मिलियन हैक्टेयर हो गई।

(ख) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 की अवधि के दौरान नारियल के उत्पादन का उपलब्ध राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:-

(उत्पादन मिलियन गिरियों में)

राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1051.8	1092.7	1129.1
असम	150.0	136.0	163.6
गोवा	121.6	125.1	125.1
कर्नाटक	1671.8	1754.2	1523.4
केरल	5167.0	5536.0	5744.0
महाराष्ट्र	218.2	244.4	193.8
उड़ीसा	50.5	109.9	142.4
तमिलनाडु	3222.0	3192.0	3293.6
त्रिपुरा	7.5	7.0	7.0
पश्चिम बंगाल	324.3	330.5	331.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	88.2	89.0	89.7
लक्षद्वीप	28.3	36.9	53.1
पांडिचेरी	27.8	24.7	25.3
कुल भारत	12129.0	12678.4	12821.7

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार नारियल उद्योग के समेकित विकास और भारत में नारियल के समेकित विकास हेतु नारियल प्रौद्योगिकी मिशन की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत, किसानों, उद्यमियों और नारियल प्रसंस्कों को नारियलों और नारियल उत्पादों के घरेलू उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से मण्डी संवर्धन कार्यकलाप शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, नारियल उत्पादों के समेकित प्रसंस्करण के लिए पायलट परीक्षण संयंत्रों की स्थापना करके प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए और नारियल तथा नारियल उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए मशीनरी के फैब्रीकेशन तथा विकास सहित नए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भी सहायता दी जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाई

139. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लाभ में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान उनके द्वारा अर्जित खाद्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) और अधिक अर्थक्षम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने और रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना की सफाई के लिए यमुना विकास बोर्ड

140. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली को पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 1997 में यमुना नदी की सफाई करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या तब से उक्त प्रस्ताव पर कार्य को आगे बढ़ाने के मामले में न तो राज्य द्वारा और न ही केन्द्र सरकार द्वारा कोई पहल की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप दिल्ली को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यमुना विकास बोर्ड गठित करने पर विचार कर रही है ताकि उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बोर्ड के कब तक गठित होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) जी नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1993 में जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोओपरेशन निधि से तीन राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यमुना नदी की सफाई के लिए यमुना कार्य योजना-I नामक कार्यक्रम शुरू किया था। यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य नदी की मौजूदा जल गुणता में सुधार कर स्नान योग्य बनाना था। परियोजना फरवरी 2003 में पूरी हो गई थी। यमुना कार्य योजना-I के अंतर्गत सीवेज अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्रों, सामुदायिक शौचालय परिसर और शवदाहगृह के निर्माण के मुख्य कार्य शामिल थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 734 मिलीयन लीटर प्रतिदिन की शोधन क्षमता तैयार की गई थी जिसमें से 401 एम एल डी उत्तर प्रदेश में, 303 एम एल डी हरियाणा में और 30 एम एल डी दिल्ली के लिए थी। इसके अतिरिक्त यमुना कार्य योजना-III नामक एक अन्य कार्यक्रम को तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में नदी की मौजूदा जल गुणता को सुधार कर स्नान गुणता तक करने के लिए जे बी आई सी निधि से यमुना नदी का प्रदूषण निवारण करना था। इसके अतिरिक्त, यमुना कार्य योजना-II नामक अन्य कार्यक्रम नदी की मौजूदा जल गुणता को स्नान योग्य बनाने के लिए जे बी आई सी वित्त पोषण से तीन राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए अनुमोदित की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में कार्यान्वित किए जाने वाले मुख्य घटक में मलजल शोधन संयंत्र (135 एम एल डी क्षमता नया और 324 एम एल डी क्षमता-पुनर्वास) और ट्रंक सीवरों (30.82 किमी.) का पुनर्वास/विस्थापन शामिल है। यमुना कार्य योजना के अन्य कार्य जैसे कि मलजल शोधन क्षमता को बढ़ाने, सीवरेज प्रणाली आदि के पुनरुद्धार के साथ दिल्ली में नदी की जल गुणता को स्नान जल गुणता तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनधिकृत, नियमितीकृत एवं पुनर्वास कालोनियों में सीवरेज उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए जा रहे हैं।

जहां तक दिल्ली में जल की कमी का प्रश्न है यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान में दिल्ली में 675 मिलियन गैलन प्रतिदिन उत्पादन की तुलना में कुल जल आवश्यकता 900 मिलियन गैलन प्रतिदिन हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड सोनिया विहार में 140 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के एक जल शोधन संयंत्र का निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त मुनक से हैदरपुर तक समानान्तर लाईन नहर का निर्माण भी प्रगति पर है जिससे मार्ग में हानि में बचत के कारण 80 मिलियन गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त कच्चा जल उपलब्ध होगा। इस समय पेयजल पर आत्मनिर्भरता के लिए यमुना की सफाई के लिए यमुना विकास बोर्ड के गठन की कोई योजना नहीं है।

ग्रामीण गोदाम

141. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को लाभ के लिए उनकी कृषि उपज के भण्डारण हेतु वैज्ञानिक किस्म के भण्डारण बनाने के लिए ग्रामीण गोदामों के निर्माण/विस्तार/नवीकरण हेतु कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तैयार किए गए ऐसे गोदामों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इससे कितने किसानों को लाभ हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय ने मार्च, 2001 से ''ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण/विस्तार'' की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित की है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता सृजित की जा सके जिससे किसानों को उनके खेत के नजदीक उत्पाद के भण्डारण की जरूरत को पूरा किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2004 तक स्वीकृत गोदामों

की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है:-

	वर्ष	संख्या	क्षमता (लाख मी. टन में)
1.	2001-02	शून्य	-
2.	2002-03	2570	66.70
3.	2003-04	1910	24.17
	कुल	4380	90.87

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत, सरकारी क्षेत्र में 1575 भण्डारण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जो पूर्णतया किसानों द्वारा प्रबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, वैयक्तिक रूप में किसानों को 1490 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार, 31.03.2004 तक इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत 4380 परियोजनाओं में से 3065 परियोजनाओं से किसानों को सीधे लाभ हुआ है।

[हिन्दी]

पशु संख्या बढ़ने के कारण मानव जीवन को खतरा

142. श्री सुरेश चन्देल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नीलगाय और बंदरों जैसे उन वन्य जीवों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है जो क्रमशः कृषि क्षेत्रों और शहरों में तबाही मचा रहे हैं; और

(ख) किन कारणों की वजह से ये वन्य जीव वन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाने तथा गांवों और शहरों में शरण लेने के लिए विवश हो गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) नीलगाय तथा बंदरों, जो मानव जीवन या कृषि फसलों के लिए खतरा बनते हैं, सहित जंगली जानवरों की संख्या में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। हाल ही में संकट पैदा करने वाले दिल्ली के 250 बंदरों को मध्य प्रदेश के वनों में स्थानान्तरित किया गया है।

(ख) प्राकृतिक वास-स्थलों के विनाश एवं विखंडन, जैविक दबाव तथा सीमांत क्षेत्रों में सघन कृषि की वजह से हुई अशांति इन जानवरों को अपने प्राकृतिक वास-स्थलों को छोड़कर गांवों और शहरों में आश्रय लेने के लिए मजबूर करने के प्रमुख कारक हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन सर्किटों का विकास

143. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन सर्किटों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गयी है तथा वास्तविक व्यय कितना हुआ है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान के जयपुर, जोधपुर-जैसलमेर, बीकानेर-शेखावटी-जयपुर पर्यटन सर्किटों को विकसित करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) दसवीं योजना के दौरान पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास की योजना शुरू की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक परिपथों के विकास के लिए 133.60 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई।

(ग) जयपुर, जोधपुर-जैसलमेर, बिकानेर-शेखावती-जयपुर पर्यटक परिपथ के विकास के लिए 7.26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और सम्पूर्ण राशि रिलीज कर दी गई है।

अंतरदेशीय मत्स्यन को प्रोत्साहन

144. श्री अनत नायक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अंतरदेशीय मत्स्यन के प्रोत्साहन हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। मैक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत उक्त योजना ताजा जल तथा खारा जल जलकृषि का विकास संबंधी दो चालू योजनाओं और ठंडे जल में मात्स्यिकी का विकास, जलभराव क्षेत्रों, जलकृषि के लिए लवणीय/क्षारीय भूमि का उपयोग तथा अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (जलाशय, नदियां आदि) नामक चार पायलट योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। उक्त योजना राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत, विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय को भारत सरकार तथा राज्य/संघ शासित सरकारों के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है।

(ग) उक्त योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई केन्द्रीय सहायता के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में है।

विवरण

अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास के लिए राज्यवार जारी धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	28.00	33.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	56.10	0.00	0.00
5.	गोवा	2.50	0.00	15.00
6.	गुजरात	28.46	8.26	0.00
7.	हरियाणा	147.33	103.29	99.20
8.	हिमाचल प्रदेश	105.00	25.00	14.46
9.	जम्मू एवं कश्मीर	112.50	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	24.09	40.00	47.46
11.	केरल	45.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	19.97	0.00	50.00
13.	महाराष्ट्र	12.18	20.00	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	45.00	0.00	50.00
16.	मिजोरम	35.00	63.00	0.00
17.	नागालैंड	109.95	90.00	90.00
18.	उड़ीसा	35.89	211.71	57.51
19.	पंजाब	0.00	6.00	0.00
20.	राजस्थान	17.26	0.00	0.00
21.	सिक्किम	103.64	6.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	25.42	0.00
23.	त्रिपुरा	71.68	40.59	25.89
24.	उत्तर प्रदेश	419.02	0.00	230.00
25.	पश्चिम बंगाल	436.63	371.63	150.56
26.	पांडिचेरी	0.00	3.64	0.00
27.	छत्तीसगढ़	21.48	15.17	91.28
28.	उत्तरांचल	100.00	0.00	0.00
29.	झारखंड	51.97	0.00	51.00
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
	कुल	2035.65	1111.71	1005.36

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की स्थापना हेतु विशेष पैकेज

145. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असम सहित पूरे देश में पिछड़े और उपेक्षित आदिवासी क्षेत्रों के बेरोजगार आदिवासी युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अर्थक्षम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष पैकेज शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के उद्यमी और औद्योगिक यूनिटों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सेवा कर आदि से छूट देने की कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने की अन्य स्कीमों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीम के अंतर्गत, परियोजना लागत के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, आधुनिकीकरण आदि के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना स्कीम में "दुर्गम क्षेत्रों" जिसमें पूर्वोत्तर राज्य, उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप शामिल हैं और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आई टी डी पी) क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु सहायता की उच्च मात्रा का उल्लेख है।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों को सहायता की बढ़ी हुई मात्रा दी जाती है। इन क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में 75 लाख रु. की अधिकतम सीमा की शर्त के अध्यधीन संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के $33\text{-}^1/_3$ प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध है। हालांकि जनजातीय क्षेत्र के लिए कोई विशेष आबंटन अथवा पैकेज नहीं है, परंतु मंत्रालय के वार्षिक योजना बजट का 10 प्रतिशत सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र पर खर्च किया जाता है। सरकार ने अन्य दुर्गम क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन को मंजूरी दी है। प्रौद्योगिकी मिशन के चार मिनी मिशन हैं। मिनी मिशन IV जिसका समन्वय कार्य इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, का उद्देश्य नए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना द्वारा और वर्तमान उद्योगों का आधुनिकीकरण करके बागवानी उपज के प्रसंस्करण का विकास करना है। इसे बागवानी क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मिनी मिशन IV के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) से (च) सरकार ने कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है और प्रसंस्कृत फल और सब्जियों पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है।

[हिन्दी]

भंडारण जगह की कमी के कारण मानसून के दौरान हुई हानि

146. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भण्डारण जगह की कमी के कारण मानसून के दौरान खाद्यान्न खुले में पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस हानि को कम से कम करने के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वसूली की पीक अवधि के दौरान जहां कहीं ढकी हुई क्षमता तुरंत उपलब्ध नहीं है वहां खाद्यान्नों को वैज्ञानिक रूप से निर्मित कवर और प्लिंथ (कैप) भंडारण में रखना पड़ सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भंडारण (ढकी हुई और कैप, दोनों) के दौरान हुई हानियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	गेहूं		चावल	
	हानि की मात्रा (लाख टन में)	जारी की गई मात्रा पर प्रतिशत हानि	हानि की मात्रा (लाख टन में)	जारी की गई मात्रा पर प्रतिशत हानि
2001-02	-0.24	-0.08	1.64	0.61
2002-03	-0.16 (अनंतिम)	0.12 (अनंतिम)	2.35 (अनंतिम)	0.75 (अनंतिम)
2003-04	-0.14 (अनंतिम)	-0.13 (अनंतिम)	1.94 (अनंतिम)	0.55 (अनंतिम)

नोट: (-) यह भंडारण लाभ दर्शाता है।

(ग) और (घ) हानियों को कम से कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

बेरोजगारी भत्ता

147. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई विधान बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक लागू होगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वायु प्रदूषण संबंधी अध्ययन

148. **श्री उदय सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा देश में कराये गए अध्ययन/प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सी.पी.सी.बी. ने निवासियों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के बढ़ रहे प्रभाव के मद्देनजर देश के विभिन्न हिस्सों में इर्द-गिर्द वायु के गुणवत्ता मानकों की समीक्षा करने का फैसला किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में वायु प्रदूषण रोकने हेतु और कड़े वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण मानीटरिंग तथा नियंत्रण के क्षेत्र में कई अध्ययन किए हैं तथा रिपोर्टें प्रकाशित की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वायु में पोलीसाइलिक एयरोमेटिक हाइड्राकार्बन्स, वैकल्पिक यातायात ईंधन, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता स्थिति, उत्सर्जनों के संबंध में पर्यावरणीय मानक आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी हां, वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य के प्रति उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु गुणवत्ता मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को एक परियोजना सौंपी गई है।

(घ) और (ङ) विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- उद्योगों की 17 श्रेणियों के संबंध में पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निगमित उत्तरदायित्व संबंधी चार्टर का क्रियान्वयन
- नए वाहनों के लिए विनिर्माण की अवस्था में आटो एक्जास्ट उत्सर्जन मानकों का प्रवर्तन
- उन्नत ईंधन गुणवत्ता
- ताप विद्युत संयंत्रों में लाभकारी कोयले का प्रयोग
- जेनरेटर सेटों, पटाखों तथा अन्य उद्योगों के लिए स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करना।

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति

149. **श्री रामदास बंडु आठवले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कितने अतिरिक्त खाद्यान्नों की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे खाद्यान्नों की तत्काल आपूर्ति के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम अब नहीं चल रहा है। यह 1.4.2002 से बंद कर दिया गया था और तब से देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन एक विशेष घटक शुरू किया गया है। अगस्त, 2003 से जून, 2004 तक के दौरान काम के बदले अनाज योजना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा कुल 46.70 लाख टन खाद्यान्नों की मांग की गई थी।

(ख) जी, हां। अन्तरमंत्रालयीय समूह की सिफारिश के आधार पर राज्यों को 26.76 लाख टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा आवंटित की गई है।

(ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि में जमा हुई कुल राशि

150. **श्री एन.एन. कृष्णादास:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक देश में कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई है;

(ख) आज तक कर्मचारी भविष्य निधि में कितनी राशि बिना दावे के हैं;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि से किसी राशि का शेयर बाजार अथवा अन्य कहीं और निवेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा प्रबंधित कर्मचारी भविष्य निधि खाते में 31.3.2004 तक कुल जमा राशि 71,838.60 करोड़ रुपए थी।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के दावा न किए गए जमा खाते में 31.3.2004 तक शेष राशि 942.95 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रभावित राज्य

151. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान किन राज्यों को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्थिति से निबटने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को राज्यवार विशेषकर राजस्थान को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तरांचल राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के कुछ भाग सूखा प्रभावित घोषित किए हैं। सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण I में है। एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में उत्तरांचल का दौरा किया है और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे रहा है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दर्शाया गया है।

विवरण I

वर्तमान वर्ष के दौरान सूखा राहत सहायता

राज्य	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (करोड़ रुपये में)	आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश	खाद्यान्न (लाख मी. टन)
आंध्र प्रदेश	50.58	90.28	6.00
कर्नाटक	298.16	33.99	7.29
केरल	—	30.65	0.61
महाराष्ट्र	242.79	71.65	7.00
तमिलनाडु	173.35	46.78	3.04
राजस्थान	—	94.36	—

विवरण II

पिछले तीन वर्षों 2001-02 से 2003-04 तक के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सूखा प्रभावित राज्यों को मुहैया कराई गई सहायता

क्र.सं.	राज्य	2001-02		2002-03		2003-04	
		रा.आ.आ. कोष	खाद्यान्न	रा.आ.आ. कोष	खाद्यान्न	रा.आ.आ. कोष	खाद्यान्न
1.	आंध्र प्रदेश	—	21.50	123.51	20.00	50.58	18.20
2.	छत्तीसगढ़	23.94	5.27	127.51	4.74	—	—
3.	गुजरात	27.00	1.48	—	3.06	—	—
4.	हरियाणा	—	—	—	0.25	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	18.98	0.12	14.35	0.10	—	—
6.	जम्मू व कश्मीर	23.20	—	—	—	—	—
7.	झारखण्ड	—	—	—	0.40	—	—
8.	कर्नाटक	—	1.00	207.65	5.30	298.16	6.79
9.	केरल	—	0.05	—	0.52	—	0.61
10.	मध्य प्रदेश	22.72	3.13	171.66	7.80	—	—
11.	महाराष्ट्र	—	1.50	20.00	2.32	242.79	7.00
12.	उड़ीसा	14.62	4.50	5.29	4.22	—	—
13.	राजस्थान	78.97	7.39	889.61	32.56	—	—
14.	तमिलनाडु	—	—	332.06	5.00	—	3.04
15.	उत्तरांचल	—	—	—	0.50	173.35	—
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	310.06	2.00	—	—

रा.आ.आ. कोष - (रुपये करोड़ में)
खाद्यान्न - (लाख एम.टी.)

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सांची को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करना

152. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में सांची को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने की कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को वहां स्थित स्तूपों के अनुरक्षण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वार्षिक आधार पर देश में छ: यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित करने और उनका मानक स्तर पर विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और भारत सरकार के संबंधित विभागों के गहन समन्वयन और भागीदारी करके अंतिम रूप दिया जाता है तथा विकास किया जाता है।

इसके अलावा, समग्र विकास के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक बड़ा गंतव्य स्थल भी अभिनिर्धारित किया जाता है। अतः पर्यटन विभाग द्वारा निधिकृत की जा रही योजनाएं निम्न हैं-

1. उत्पाद अवसंरचना और गंतव्य विकास
2. पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास
3. भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता

वर्ष 2002-03 के दौरान, पर्यटन परिपथ के एकीकृत विकास की योजना के तहत 508.82 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें से 355.05 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई थी और 300.28 लाख रुपए की राशि सांची में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रिलीज कर दी गई थी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) ट्रेवल्र्स लाज का विस्तार

(ख) ट्रेवल्र्स लाज का उन्नयन

(ग) सांची कैफे का उन्नयन

(घ) सांची में टैंक का उन्नयन/जीर्णोद्धार

(ङ) सांची में मौजूदा संग्रहालय भवन का उन्नयन

(च) जान, मार्शल्स हाउस, सांची का उन्नयन

(छ) सांची स्मारक पर पर्यटक सुविधाएं प्रदान करना

(ज) सतधारा में पर्यटक सुविधाएं प्रदान करना

(झ) उदयगिरी में पर्यटक सुविधाओं का विकास

इसके अलावा, वर्ष 1998-99 के दौरान सांची में पर्यटक स्वागत केंद्र के निर्माण के लिए 15.00 लाख रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी।

[अनुवाद]

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी रिपोर्ट

153. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और देश के प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों ने उच्चतम न्यायालय के खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी हाल के निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चूककर्त्ता राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सभी राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ शासित क्षेत्रों की सभी प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 657 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 14.10.2003 को पारित विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। इनमें अनधिकृत इकाईयों को बन्द करने के आदेश जारी करना, खतरनाक अपशिष्ट उत्सर्जनों की सूची, खतरनाक अपशिष्टों को फैकने का स्थल, और इकाईयों द्वारा खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित सूचना को दर्शाना शामिल है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को खतरनाक अपशिष्ट पैदाकरने वाली बिना मंजूरी के चल रही यूनिटों अथवा यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 1989 के अंतर्गत मंजूर शर्तों का उल्लंघन करने वाली यूनिटों को बन्द करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं जारी करने और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनाधिकृत इकाईयों को बन्द करने के लिए नोटिस/निर्देश जारी करने सहित आवश्यक उपाय किए/करने आरम्भ कर दिए हैं।

दूर संवेदन द्वारा कृषि पूर्वानुमान

154. **श्री अजय माकन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूर संवेदन द्वारा कृषि उत्पादन के प्रमाणिक पूर्वानुमान हेतु अन्तरिक्ष विभाग के साथ समन्वय में क्राप एकरेज एण्ड प्रोडक्शन एस्टीमेशन (सी.ए.पी.ई.) तथा अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भू-स्थित अन्वेक्षण के प्रयोग से कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान (एफ.ए.एस.ए.एल.) जैसी परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) 'फसल एकरेज तथा उत्पादन अनुमान' (सी.ए.पी.ई.) नामक एक प्लान स्कीम अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसलों के क्षेत्र और फसलपूर्व उत्पादन आकलन की प्रणाली विकसित करना और उसका उन्नयन करना है। क्षेत्र तथा उत्पादन के समय पर और विश्वसनीय अग्रिम अनुमान प्राप्त करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक छत्रक स्कीम के रूप में "अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भू-आधारित प्रेक्षणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन की पूर्वसूचना" (एफ.ए.एस.ए.एल.) की एक परियोजना कार्यान्वित की जाए। विनिर्दिष्ट फसलों (सी.ए.पी.ई. के अंतर्गत कवर की गई) के लिए क्षेत्र और उत्पादन के अनुमान के लिए दूरस्थ संवेदी तकनीक के उपयोग में अनुभव प्राप्त करने के बाद एफ.ए.एस.ए.एल. परियोजना की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य कृषि मौसम-विज्ञानी, भूमि तथा अंतरिक्ष आश्रित मापों (बोर्न मैसरमैन्टस) का समेकन करके, अर्थनीति (इकोनोमैर्टिक्स) के सिद्धान्तों का उपयोग करके प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के मौसम से पूर्व और मौसम के दौरान बारम्बार पूर्वसूचनाएं देना हैं। कृषि और सहकारिता विभाग अंतरिक्ष विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य दूरस्थ संवेदी केन्द्रों, कृषि विभागों तथा राज्य कृषि सांख्यिकीय प्राधिकरण के साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय फसल पूर्व सूचना केंद्र में एफ.ए.एस.ए.एल. के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। आरम्भ में यह प्रस्ताव है कि ग्यारह फसलों अर्थात् चावल (खरीफ: ख और रबी: र), ज्वार (ख और र), मक्का, बाजरा (ख), पटसन, रागी, कपास, गन्ना, मूंगफली (ख और र), तोरिया और सरसों तथा गेहूं के लिए फसल सूची अनुमान हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग/विकास किया जाए। शुरू में, यह अनुमान राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर नियोजित है।

(ग) प्रस्ताव के अनुसार, एफ.ए.एस.ए.एल. परियोजना का कार्यान्वयन दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि और ग्यारहवीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना परिकल्पित है।

व्याघ्र शावकों का लापता होना

155. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य से पिछले 6 माह के दौरान 4 माह से 3 वर्ष तक की आयु के व्याघ्र शावक लापता हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) वन्य जीवों का संरक्षण और विशेषकर उनके लापता होने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 माह से 3 वर्ष के बीच की आयु के बाघ शावकों के गुम होने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वन्यजीवों को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्यजीवों सहित बाघों के शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है।

(2) वन्यों जीवों को प्रभावी संरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए क्षमता और आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

(3) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(4) गृह मंत्रालय ने वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों को फील्ड संरचनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कहा है।

(5) सचिव (पर्यावरण एवं वन), भारत सरकार की अध्यक्षता में वन्य जीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए एक विशेष समन्वयन और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

(6) वन्यजीव और वनों को प्राथमिक क्षेत्र घोषित करने और फ्रंटलाइन स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के अलावा उनको अपनी ड्यूटी को प्रभावी ढंग से करने के लिए

मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।

(7) देश में वन्यजीवों के संरक्षण और बचाव के लिए विभिन्न कार्य बिन्दु और प्राथमिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) शुरू की गई है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

156. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को व्यावसायिक तौर पर व्यवहार्य और सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन बनाने के लिए इसकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम को और अधिक स्वायत्तता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी हां। सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर एक अध्ययन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि अक्षमताओं, जो खाद्य राजसहायता के भार को बढ़ाती हैं, को नियंत्रित करने के लिए इसके कार्यकरण में प्रमुख सुधार लाए जा सकें।

(ग) और (घ) प्रस्तावित अध्ययन की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद सरकार भारतीय खाद्य निगम को अधिक प्रचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार करेगी।

बांधों और सिंचाई परियोजनाओं का प्रभाव

157. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बांधों तथा प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर हुए एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलने वाले पानी की मात्रा उस प्रतिशत से कहीं कम है जिसकी कल्पना की गई थी और यह स्थिति अत्यधिक चौंकाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक शहरी गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के तथ्यों को हाल ही में सार्वजनिक किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय को शहर आधारित किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा देश में बांधों और वृहद सिंचाई परियोजनाओं संबंधी किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है जिससे आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के बीच जल के अभाव की प्रतिशतता का पता चलता हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों का आना

158. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री गुरुदास कामत:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने स्वदेशी/विदेशी पर्यटक आए;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान इससे पूर्व के वर्ष की अपेक्षा सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया;

(घ) क्या सरकार जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों को कोई प्रोत्साहन दे रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार अन्य राज्यों में आने वाले पर्यटकों को भी ऐसे प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003 और चालू वर्ष 2004 (जनवरी-मई) के लिए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों सहित जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या नीचे दी गई है-

वर्ष	भ्रमण की संख्या	
	स्वदेशी	विदेशी
2002	4570583	7821
2003	5748846	24330
2003 (जन. से मई)	1797071	2646
2004 (जन. से मई)	2216070	7013

(ग) सरकार द्वारा अर्जित राजस्व के संबंध में राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) सामान्यत: सरकार द्वारा पर्यटकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन परियोजनाएं

159. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री के.एस. राव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों आज तक मंजूरी के लिए भेजी गई पर्यटन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या वर्तमान में पर्यटन संभाव्यता के बहुत छोटे प्रतिशत का ही दोहन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और आने वाले वर्षों में पर्यटन की पूर्ण संभाव्यता का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग उनसे परामर्श करके अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में राज्य-वार सूचना वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग देश में पर्यटन की पूर्ण संभावनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और पर्यटन उद्योग के सहयोग से प्रयास कर रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	1621.85
2.	असम	19	1479.09
3.	अरुणाचल प्रदेश	25	1407.80
4.	बिहार	15	1525.77
5.	छत्तीसगढ़	18	1348.00
6.	गोवा	12	130.99
7.	गुजरात	21	1423.13
8.	हरियाणा	31	1673.07
9.	हिमाचल प्रदेश	46	1119.28
10.	जम्मू कश्मीर	11	1054.88
11.	झारखण्ड	4	1189.00
12.	कर्नाटक	28	2089.91

1	2	3	4
13.	केरल	28	2149.94
14.	मध्य प्रदेश	39	1589.45
15.	महाराष्ट्र	28	2683.49
16.	मणिपुर	3	87.68
17.	मेघालय	10	198.44
18.	मिजोरम	17	782.11
19.	नागालैंड	14	1113.04
20.	उड़ीसा	11	505.10
21.	पंजाब	8	136.50
22.	राजस्थान	29	2748.51
23.	सिक्किम	26	1606.16
24.	तमिलनाडु	39	2432.49
25.	त्रिपुरा	16	780.70
26.	उत्तरांचल	10	843.95
27.	उत्तर प्रदेश	15	1466.54
28.	पश्चिम बंगाल	32	1148.39
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0
30.	चण्डीगढ़	7	25.75
31.	दादर एवं नगर हवेली	3	11.77
32.	दिल्ली	37	3875.29
33.	दमन एवं दीव	5	319.57
34.	लक्षद्वीप	1	17.00
35.	पांडिचेरी	6	331.65
	जोड़	628	40916.29

किसानों के कल्याणार्थ योजनाएं

160. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों के कल्याण के लिए कोई नयी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि तथा बागवानी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हेतु बहुत सी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। किसानों को विभिन्न घटकों जैसे बीजों, समेतिक कृमि प्रबंधन, अवसंरचना विकास, पादप संरक्षण उपाय तथा उपस्कर, फार्म उपकरण तथा मशीनरी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि विस्तार आदि के लिए सहायता दी जाती है।

चल रही स्कीमों के अतिरिक्त, शुष्क-भूमि कृषि, सूक्ष्म सिंचाई, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मण्डी अवसंरचना समर्थन जैसी कुछ नई स्कीमें विचाराधीन हैं।

गंगा के बेसिनों में जल कटाव निरोधक कार्य

161. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बक्सर जिले में मझारिया और केशोपुर में गंगा के बेसिन में केन्द्र द्वारा प्रायोजित महत्वपूर्ण जल कटाव निरोधक कार्य जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य को गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों के दल ने उक्त स्थानों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना के पूरा हो जाने पर जल कटाव समाप्त हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। बिहार सरकार द्वारा की गई सूचना के अनुसार, जल संसाधन विभाग के इंजीनियरी अधिकारियों तथा स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड कमेटी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग के अधिकारियों ने समय-समय पर स्थलों का निरीक्षण किया।

(घ) इस खंड में कटाव की समस्या का समाधान करने के लिए स्कीमें बनाई गई हैं।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह कार्य वर्ष 2004 के बाढ़ मौसम से पहले पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता

162. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विभिन्न टीमों को विदेश भेजने हेतु कुल कितनी राशि दी गई और स्पर्धावार इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुल राशि का उचित उपयोग हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यमुना और गंगा को प्रदूषित करने वाले उद्योग

163. श्री मुनव्वर हसन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के उन शहरों और गांवों के नाम क्या हैं जहां से यमुना और गंगा बहती हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां से इन नदियों की धाराएं कूड़े और औद्योगिक उत्स्राव के कारण प्रदूषित हो रही हैं;

(ग) इन दोनों नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिन शहरों और गांवों से होकर गंगा नदी बहती है उनके नाम हैं- एथोल, लश्कर, णाहाराजपुर, टिप, दियालवाला, कीरतपुर, मण्डावर बिजनौर, झालू, महजदपुर, मवाना, बछरून, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, सैना, बुगरासी, गंगसीरी, रेहरा, जहांगीराबाद, अनुपशहर, राजपुरा, सिकारपुर, देबई, गुन्नौर, जूनावई, जरगांव, सरिकरा, सोरोन, ककोरा, सहस्वान, कादिरगंज, गन्डुनवारा, कियामगंज, शमसाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, ततला मखनपुर, बिल्हौर, फतेहपुर, साफीपुर, अनी, शिवराजपुर, बिठुर, मक्सुमाबाद, कानपुर, दलमव, मुस्तफाबाद, कालाकंकड़, मानिकपुर, कुन्डा, कारा, लालगंज, अतरामपुर, इलाहाबाद, नैनी, करछन्ना, चुनार, सिरसा, विंध्याचल, मिर्जापुर, मुगलसराय, वाराणसी, सैदपुर, इओना, जमामा, गाजीपुर, रिओतीपुर, गहमर, नियाजीपुर, बलिया और मझुआ है। यमुना नदी छछुरूहा, सदहोली, बुनिया, रादौर, मथुरा, नोहझिल, आगरा, बाह, जूपुर, कालान, लखना, अजितमल, औरिया, कुथुन्ड, भोगनीपुर, काल्पी, गयासुगंज, सजेती, हमीरपुर, अमोउती, किशनपुर, कमासिन, कौशाम्बी, माऊ, जसरा और इलाहाबाद से होकर बहती है।

(ग) और (घ) इन दोनों नदियों की सफाई को बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार ने गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना नामक दो स्कीमें शुरू की हैं। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत सीवेज का अवरोधन और दिशा-परिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्रों, सामुदायिक शौचालय परिसर (अल्प लागत शौचालय), विद्युत शवदाहगृह और काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृह का निर्माण मुख्य कार्य है। उत्तर प्रदेश में कुल 388 औद्योगिक यूनिटों का अभिनिर्धारण किया गया है जो अपने बहिस्राव को नदी अथवा सम्बद्ध जल निकायों में निस्तारित कर रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने और उनका प्रचालन करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप चल रही 307 यूनिटों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। शेष 18 यूनिटें या तो बन्द हो गई हैं अथवा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में किसानों की स्थिति

164. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित जिलों में किसानों की बिगड़ती स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/प्रस्तावित किए हैं;

(ग) क्या सरकार कोई सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए उनकी राज्य योजना में प्रावधान किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ प्रवण नदी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में 1955 कि.मी. की लम्बाई वाले बाढ़ तटों का प्रत्येक वर्ष रखरखाव किया जा रहा है और बाढ़ आकस्मिकता योजनाओं के माध्यम से सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस स्तर पर सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन योजना

165. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के दौरान उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) देश में फसल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नई स्कीमें चलाने का प्रस्ताव है:-

स्कीम का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये में)	
1	2	
1. सूक्ष्म सिंचाई संबंधी स्कीम	2003-04	शून्य
	2004-05	10.00
2. कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी लागू करने संबंधी स्कीम	2003-04	शून्य
	2004-05	0.01 (सांकेतिक)
3. राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना	2003-04	3.50
	2004-05	22.00

इसके अलावा, पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए वृहत कृषि प्रबंधन, समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम, खेत पर जल प्रबंध जैसी अनेक स्कीमें तथा देश में फसल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन आदि पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम

166. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम अपने उद्देश्य में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समस्या से निपटने के लिए और कड़े कानूनों की जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या पहल की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पहले से ही बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 विद्यमान है, जिसके अनुसार अधिनियम की अनुसूची- 'क' तथा 'ख' में दिए गए कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना निषिद्ध है। अधिनियम की धारा 17 में राज्य सरकारों और अन्य उपयुक्त एजेंसियों को अधिनियम के प्रवर्त्तन की शक्ति प्रदान की गई है। 10वीं योजना के दौरान, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने का प्रस्ताव किया गया है।

भण्डारण की कमी के कारण हानियां

167. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधकों को भण्डारण कमियों संबंधी मानदंड निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो मानदंड निर्धारित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को भण्डारण सुविधाओं की कमी और घटिया स्तर के खाद्यान्नों की खरीद के फलस्वरूप कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने इन मामलों में कोई जांच करवाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए हानि के प्रत्येक मामले पर इसके गुण-दोषों के आधार पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है।

(ग) खाद्यान्न विहित विनिर्दिष्टियों के अनुसार वसूल किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के भंडारण और उनकी ढुलाई के दौरान होने वाली हानियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा लाख टन में और मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	मार्गस्थ हानि			भंडारण हानि		
	हानि की मात्रा	मूल्य	%	हानि की मात्रा	मूल्य	%
1999-2000	2.95	234.82	1.17	1.72	157.25	0.34
2000-01	1.55	134.76	0.84	1.56	145.31	0.42
2001-02	1.42	123.12	0.61	1.44	143.02	0.25

(घ) और (ङ) मार्गस्थ हानि/भंडारण हानि के मामलों की संगत कारकों पर विचार करते हुए जांच की जाती है और दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित समुचित कार्रवाई की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान लगाए गए दण्ड निम्नानुसार हैं:

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
2001	1367 (श्रेणी-1 के 44 अधिकारियों सहित)
2002	2425 (श्रेणी-1 के 65 अधिकारियों सहित)
2003	2091 (श्रेणी-1 के 33 अधिकारियों सहित)

ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की खोज

168. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में उदीयमान खिलाड़ियों की पहचान करने और उनकी प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को विस्तृत आधार देने और छिपी हुई प्रतिभा का पता लगाने की दृष्टि से, भारत सरकार 1970-71 से 'ग्रामीण खेल कार्यक्रम' नामक एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, जिला और राज्य स्तर के ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खेल टूर्नामेंट और उत्तर-पूर्वी खेल महोत्सव भी आयोजित किये जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.) और विशेष क्षेत्र खेल नामक योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत, 8-14 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बच्चों और 14-21 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का चयन ब्लाक, जिला और क्षेत्रीय स्तर पर वैज्ञानिक रूप से बनाए गए बैटरी परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषकों को लाभप्रद मूल्य

169. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्री मित्रसेन यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषकों को अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया): (क) कृषि उत्पाद मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। उच्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध करा कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में एक समान होते हैं। चूंकि सभी फसलों/राज्यों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य भारित औसत सी 2 लागत (नकद और वस्तु के रूप में खर्च किए गए वास्तविक व्यय, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए किराया और पारिवारिक श्रम की मजदूरी, स्वामित्व वाली भूमि के किराए और अचल पूंजी पर ब्याज का आरोपित मूल्य) से अनिवार्य रूप से अधिक नहीं होते, मूल्य नीति में यह सुनिश्चित करना निहित है कि अधिक लागत/कम सम्पन्नता वाले राज्यों में ए 2+एफ.एल. लागत (उत्पादन में व्ययित नकद और वस्तु के रूप में सभी वास्तविक खर्चे+पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया+पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य) न्यूनतम समर्थन मूल्य में कवर हो। हाल के वर्षों में प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) सरकार सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों जैसे भारतीय खाद्य निगम (गेहूं, धान तथा मोटे अनाज), भारतीय पटसन निगम (पटसन), भारतीय कपास निगम (कपास), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) (दलहन तथा तिलहन) और तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू) के अलावा राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य एजेंसियों के माध्यम से उन जिन्सों की अधिप्राप्ति के लिए खरीद कार्य आयोजित करती है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं।

कृषि जिन्सों के थोक मूल्यों पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे चल रहे बाजार मूल्यों के मामले संबंधित नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियों को अधिप्राप्ति कार्य करने के लिए भेजे जाते हैं। नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियों से यह अपेक्षित है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से मूल्यों के नीचे गिरने की स्थिति में मूल्य समर्थन कार्य करने के लिए मण्डी में हस्तक्षेप करें।

सरकार उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार के अनुरोध पर बागवानी जिन्सों की अधिप्राप्ति के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) भी कार्यान्वित करती है जो इसके कार्यान्वयन में हानि, यदि कोई हो, का 50% वहन करने के लिए तैयार हों। इसके अलावा, फार्म आय बीमा स्कीम, जो मार्गदर्शी आधार पर कार्यान्वयनाधीन है, में उत्पादन के बीमे के साथ-साथ बाजार जोखिमों के तंत्र के समेकन द्वारा किसानों की आय की संरक्षा प्रदान किया जाना निहित है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु. प्रति क्विंटल)

क्र. सं.	जिंस	किस्म	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	विशेष सूखा राहत मूल्य	2003-04 (#)	2002-03 की तुलना में 2003-04 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	धान	सामान्य	440	490	510	530	530	20	550	20(3.8)
		श्रेणी 'क'	470	520	540	560	560	20	580	20(3.6)
2.	ज्वार		390	415	445	485	485	5	505	20(4.1)
3.	बाजरा		390	415	445	485	485	10	505	20(4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	मक्का		390	415	445	485	485	5	505	20(4.1)
5.	रागी		390	415	445	485	485	5	505	20(4.1)
6.	गेहूं		550	580	610	620	620	10	630	10(1.6)
7.	जौ		385	430	500	500	500	5	525	25(5.0)
8.	चना		895	1015	1100	1200	1220	5	1400	180(14.8)
9.	अरहर (तुर)		960	1105	1200	1320	1320	5	1360	40(3.0)
10.	मूंग		960	1105	1200	1320	1330	5	1370	40(3.0)
11.	उड़द		960	1105	1200	1320	1330	5	1370	40(3.0)
12.	मसूर (लैटिल)*		—	—	1200	1300	1320	5	1500	180(13.6)
13.	गन्ना*		52.70	56.10	59.50	62.05	69.50	—	73	350(5.0)
14.	कपास	एफ-414/एच-777/जे34	1440	1575	1625	1675	1675	20	1725	50(3.0)
		एच-4	1650	1775	1825	1875	1875	20	1925	50(2.7)
15.	छिलके सहित मूंगफली		1040	1155	1220	1340	1355	20	1400	45(3.3)
16.	पटसन		650	750	785	810	850	—	860	10(1.2)
17.	तोरिया/सरसों		1000	1100	1200	1300	1330	10	1600	270(20.3)
18.	सूरजमुखी बीज		1060	1155	1170	1185	1195	15	1250	55(4.6)
19.	सोयाबीन	काला	705	755	775	795	795	10	840	45(5.7)
		पीला	795	845	865	885	885	10	930	45(5.1)
20.	कुसुम		990	1100	1200	1300	1330	5	1500	200(15.4)
21.	तोरिया		965	1065	1165	1265	1295	10	1565	270(20.8)
22.	तम्बाकू (वीएफसी)	काली मिट्टी (एफ2ग्रेड)	22.50	25.00	26.00	27.00	28.00	—	31.00	3(10.7)
	(रु. प्रति कि.ग्रा.)	हल्की मिट्टी (एल2 ग्रेड)	22.50	27.00	28.00	29.00	30.00	—	33.00	3(10.0)
23.	खोपरा	मिलिंग	2900	3100	3250	3300	3300	—	3320	20(0.6)
	(कलैण्डर वर्ष)	बाल	3125	3325	3500	3550	3550	—	3570	20(0.6)
24.	तिल		1060	1205	1300	1400	1450	5	1485	35(2.4)
25.	राम तिल		850	915	1025	1100	1120	—	1155	35(3.1)

*सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा है जिसमें उस स्तर से ऊपर की वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था है। वर्ष 2002-03 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सी.ए.सी.पी. द्वारा संस्तुत 5 रुपये प्रति क्विंटल का एक बारगी सूखा राहत शामिल है।

*मसूर (लेटिल) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किया गया है।

*कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

बागवानी को बढ़ावा

170. श्री अनन्त नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार देश में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीम कार्यान्वित करती रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत, अच्छी क्वालिटी की पौध सामग्री की आपूर्ति, उन्नत उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार उपाय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्रिप सिंचाई के अधीन कवरेज, ग्रीन हाउस निर्माण, प्लास्टिक मल्चिंग आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप चलाए जाते हैं। इन कार्यकलापों को अब कृषि में वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपनी अनुभूत जरूरतों तथा आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यकलापों की प्राथमिकताएं तय कर सकती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड "उत्पादन और फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" संबंधी अपनी स्कीम के तहत पात्र परियोजना में मदद देता है। यह सहायता 25.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक कुल परियोजना लागत की 20% दर पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30.00 लाख रुपये तथा पार्श्वांत पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में प्रदान की जाती है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य मंत्रालय भी निर्यात पर जोर देते हुए देश में बागवानी विकास को बढ़ावा देता है।

(ख) 10वीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य सहित देश में एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2010-2011 तक बागवानी उत्पादन को दोगुणा करना है।

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता

171. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई क्षमता को बढ़ाने की विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों जो केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है तथा इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत तथा केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों में मूल्यांकन की विभिन्न चरणों में चल रही विभिन्न सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन/स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन में राज्य प्राधिकारियों की तत्परता पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	वृहद					मध्यम					कुल				
		क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	2	8	—	—	10	6	10	—	—	16	8	18	—	—	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	2	2	—	—	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	छत्तीसगढ़	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2	1	2	—	—	03
6.	गोवा, दमन, दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	01
8.	हरियाणा	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	1	2	—	—	03
9.	हिमाचल प्रदेश	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	1	2	—	—	03
10.	जम्मू व कश्मीर	1	—	—	—	1	7	3	—	—	10	8	3	—	—	11
11.	झारखंड	3	4	—	—	7	—	—	—	—	—	3	4	—	—	07
12.	कर्नाटक	1	3	—	—	4	1	—	—	—	1	2	3	—	—	05
13.	केरल	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	02
14.	मध्य प्रदेश	4	3	—	1	8	1	—	—	—	1	5	3	—	1	09
15.	महाराष्ट्र	6	7	4	—	17	27	9	—	—	36	33	16	4	—	53
16.	मणिपुर	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	02
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	नागालैंड	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	02
19.	उड़ीसा	3	5	—	—	8	1	7	—	—	8	4	12	—	—	16
20.	पंजाब	4	—	—	1	5	2	1	—	—	3	6	1	—	1	08
21.	राजस्थान	2	4	—	—	6	1	2	—	—	3	3	6	—	—	09
22.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	तमिलनाडु	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	02
24.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	उत्तर प्रदेश	2	9	—	—	11	1	—	—	—	1	3	9	—	—	12
26.	उत्तरांचल	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	01
27.	पश्चिम बंगाल	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	01
	कुल जोड़	33	52	5	2	92	50	37	0	1	88	83	89	5	3	180

क - परियोजना मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है।

ख - कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

ग - जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

घ - निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को संस्तुत।

[अनुवाद]

नेहरू युवक केन्द्रों का कार्यकरण

172. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकरण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर की गई कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें पदाधिकारियों की नियुक्ति के मानदण्ड और उनके कर्त्तव्यों एवं विशेषाधिकारों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल, नेहरू युवक केन्द्र संगठन में शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष हैं। सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।

संगठन के नियमों के अनुसार शासी निकाय सामान्यत: संघ के ज्ञापन में निर्धारित संगठन के उद्देश्यों का अनुसरण एवं पालन करेगा तथा ऐसा करने में सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों/दिशा निर्देशों का अनुसरण एवं कार्यान्वयन करेगा।

शासी निकाय के सदस्यों को क्षेत्र में शासी निकाय की बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति के अलावा और कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तथापि, शासी निकाय का अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के रूप में एक या अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकता है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उपाध्यक्ष रहने के लिए आवास का किराया, व्यक्तिगत स्टाफ, स्टाफ कार, टेलीफोन तथा वास्तविक के आधार पर दो महीने के लिए अधिकतम सीमा 2500/- रुपये तक के आवासीय टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहा है। उपाध्यक्ष को जेब खर्च तथा आतिथ्य भत्ते के कारण 15000/- रुपये की प्रतिपूति भी की जाती है।

विवरण

देश में नेहरू युवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या (राज्य-वार)

क्र. सं.	राज्य व संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या				वर्ष के दौरान निपटायी गई/छोड़ी गई शिकायतों की संख्या							वर्ष के अंत में शिकायतों के उन मामलों की संख्या जिन पर कार्रवाई चल रही है।			
		2001-02	2002-03	2003-04	कुल	2001-02		2002-03		2003-04		कुल	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
						छोड़े गए मामले	निपटाए गए मामले	छोड़े गए मामले	निपटाए गए मामले	छोड़े गए मामले	निपटाए गए मामले					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	3	1	2	6	1	1	—	—	2	—	4	1	1	0	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	2	—	1	3	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2
4.	अंडमान व निकोबार	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	-1	0
5.	बिहार	8	5	10	23	4	—	4	—	2	—	10	4	1	8	13
6.	छत्तीसगढ़	1	—	3	4	1	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—
7.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दमन व दीव	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
9.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	दिल्ली	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	गुजरात	3	1	3	7	—	—	1	—	3	—	4	3	—	—	3
13.	हरियाणा	2	—	3	5	1	—	1	—	2	—	4	1	-1	1	1
14.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
15.	जम्मू कश्मीर	1	1	1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3
16.	झारखंड	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	1	1	2	4	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	1
18.	केरल	1	—	2	3	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	6	3	5	14	2	—	2	—	6	—	10	4	1	-1	4
21.	महाराष्ट्र	—	1	5	6	—	—	—	—	4	—	4	—	1	1	2
22.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	मेघालय	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
25.	नागालैंड	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
26.	उड़ीसा	—	1	3	4	—	—	—	—	4	—	4	—	1	-1	0
27.	पंजाब	1	1	1	3	1	—	—	—	2	—	3	—	1	-1	0
28.	पांडिचेरी	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
29.	राजस्थान	1	4	5	10	—	—	3	—	4	—	7	1	1	1	3

कृषि वस्तुओं का उत्पादन

173. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्य-वार प्रमुख कृषि वस्तुओं के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कृषि संबंधी वस्तुओं में से कुछ का अभी भी आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन कृषि जिन्सों के आयात का काफी हिस्सा दलहन, खाद्य तेलों और कपास के आयात का है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान, 8745 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया गया। यह वर्ष 2003-04 (अप्रैल-फरवरी) में बढ़कर 10794 करोड़ रुपये हो गया। जहां तक दलहन का संबंध है, वर्ष 2002-03 में 2563 करोड़ रुपए मूल्य का आयात किया गया जो 2003-04 (अप्रैल-फरवरी) में घटकर 2071 करोड़ रुपए रह गया। कपास के मामले में 2002-03 में आयात का मूल्य 1041 करोड़ रुपए था जो 2003-04 (अप्रैल-फरवरी) में बढ़कर 1521 करोड़ रुपए हो गया। प्रमुख देश, जिनसे खाद्य तेलों का आयात किया गया वे अर्जेन्टीना, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमरीका, इन्डोनेशिया और मलेशिया हैं, जबकि दलहन के आयात वाले प्रमुख देश नेपाल, कनाडा, फ्रान्स, आस्ट्रेलिया, ईरान, म्यांमार, तन्जानिया, चीन और पाकिस्तान हैं। कपास का आयात संयुक्त राज्य अमरीका, मिश्र, माली, आस्ट्रेलिया आदि से किया गया।

(घ) तिलहन तथा दलहन के मामले में, आयात का मुख्य कारण मांग-आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करना है। कपास के संबंध में आयात का मुख्य कारण कपड़ा उद्योग द्वारा क्वालिटी कपास की मांग को पूरा करना है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, दलहन तथा खाद्यान्नों का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन (000 टन)

राज्य	चावल			गेहूं			मोटे अनाज			दलहन			खाद्यान्न		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	12458.0	11389.8	7194.6	8.0	9.0	14.0	2509.0	2299.0	2173.7	1054.2	1137.7	1068.4	16029.2	14835.5	10450.7
अरुणाचल प्रदेश	132.7	134.6	152.5	6.2	5.3	6.3	69.6	70.4	75.8	6.8	7.1	6.4	215.3	217.4	241.0
असम	3998.5	3854.0	3737.9	85.7	85.3	78.0	20.0	18.0	18.5	62.3	65.7	60.2	4166.5	4023.0	3894.6
बिहार	5442.6	5202.6	4978.3	4438.0	4391.1	4122.5	1555.0	1541.1	496.1	620.7	547.0	674.5	12056.3	11682.1	10271.4
छत्तीसगढ़	2369.3	5073.7	2553.6	79.5	103.5	97.1	185.0	153.8	168.0	267.5	448.4	341.6	2901.3	5779.4	3160.3
गोवा	142.1	126.5	134.8	—	—	—	1.3	1.1	1.1	9.6	8.4	7.5	153.0	136.0	143.4
गुजरात	472.7	1040.1	596.4	649.0	1144.7	856.6	1226.6	2341.0	1840.8	190.7	379.8	327.2	2539.0	4905.6	3621.0
हरियाणा	2695.0	2726.0	2468.0	9669.0	9437.0	9192.0	831.0	987.0	592.0	99.4	148.1	83.8	13294.4	13298.1	12335.8
हिमाचल प्रदेश	124.9	137.4	85.7	251.3	637.1	500.0	716.3	814.8	528.2	19.7	11.1	24.1	1112.2	1600.4	1138.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जम्मू व कश्मीर	414.9	421.8	421.0	148.7	343.1	275.0	538.0	548.2	475.3	12.9	12.7	26.7	1114.5	1325.8	1198.0
झारखंड	1644.7	1821.7	2172.0	103.6	115.4	104.0	166.7	261.8	264.0	96.0	43.3	144.8	2011.0	2242.2	2684.8
कर्नाटक	3846.7	3234.0	2237.0	244.0	198.8	160.0	5939.1	4512.4	3634.0	956.2	751.5	800.0	10986.0	8696.7	6831.0
केरल	751.3	703.4	700.3	—	—	—	3.4	5.2	2.6	10.6	10.3	7.6	765.3	718.9	710.5
मध्य प्रदेश	982.1	1692.7	899.6	4869.4	6001.0	4285.2	2058.5	2688.5	2350.0	2275.4	3224.6	2211.2	10185.4	13606.8	9746.0
महाराष्ट्र	1929.2	2651.4	1849.0	948.0	1077.0	984.0	5620.3	5578.5	5938.0	1637.4	1881.0	2047.0	10134.9	11187.9	10818.0
मणिपुर	381.7	387.3	378.0	—	—	—	10.9	10.1	10.6	3.2	3.1	3.2	395.8	400.5	391.8
मेघालय	179.0	189.0	181.9	6.9	4.8	6.9	26.6	27.4	28.1	3.5	3.5	3.9	216.0	224.7	220.8
मिजोरम	103.7	105.7	109.2	—	—	—	16.4	16.7	14.9	3.9	3.9	5.0	124.0	126.3	129.1
नागालैंड	230.0	237.3	225.0	10.0	15.0	17.0	61.6	73.4	118.8	21.1	29.7	28.0	322.7	355.4	388.8
उड़ीसा	4614.0	7148.0	3243.6	12.9	10.6	5.8	144.6	121.3	100.9	212.7	284.2	205.0	4984.2	7564.1	3555.3
पंजाब	9154.0	8816.0	8880.0	15551.0	15499.0	14175.0	575.1	535.9	401.0	44.4	36.0	33.9	25324.5	24886.9	23489.9
राजस्थान	155.7	180.0	67.9	5547.1	6389.0	4878.0	3606.3	6008.6	2137.6	731.5	1426.1	484.5	10040.6	14003.7	7568.0
सिक्किम	21.4	22.3	22.4	10.1	9.8	10.9	66.5	61.0	62.8	5.2	5.6	5.6	103.2	98.7	101.7
तमिलनाडु	7366.3	6584.0	5709.3	—	—	—	937.8	834.0	952.2	312.7	313.9	272.9	8616.9	7731.9	6934.4
त्रिपुरा	513.4	587.4	542.6	2.2	2.5	7.5	1.6	2.1	2.2	5.9	5.5	5.2	523.1	597.5	557.5
उत्तर प्रदेश	11679.2	12856.0	8108.6	25168.3	25498.0	23612.4	3707.1	3405.5	2523.8	2160.3	2377.0	2056.8	42714.9	44136.5	36301.6
उत्तरांचल	621.5	614.4	483.0	714.6	734.8	750.0	368.5	339.3	297.0	21.8	19.0	31.0	1726.4	1707.5	1561.0

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान तिलहन, गन्ना, कपास और पटसन का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन (000 टन)

राज्य	तिलहन			गन्ना			कपास			पटसन**		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	2510.9	1614.0	1256.0	17690.1	18082.0	15387.0	1662.7	1877.0	1086.0	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	25.6	28.2	25.6	—	18.9	15.3	—	—	—	—	—	—
असम	160.0	156.0	148.5	988.0	1011.4	916.1	0.8	1.0	0.7	668.1	675.0	690.6
बिहार	131.1	120.2	109.1	3987.6	5211.1	4601.3	—	—	—	1133.7	996.4	1004.8
छत्तीसगढ़	88.5	112.6	101.4	8.6	9.0	20.7	—	0.4	0.6	—	—	—
गोवा	3.2	2.5	4.2	72.8	70.6	65.5	—	—	—	—	—	—
गुजरात	1661.7	3635.5	1683.1	12694.7	12464.6	14071.3	1161.4	1702.7	1684.6	—	—	—
हरियाणा	570.7	806.9	709.1	8170.0	9270.0	8000.0	1383.0	722.0	1038.0	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	10.1	10.0	6.4	60.5	82.7	83.0	0.1	0.1	—	—	—	—
जम्मू व कश्मीर	28.1	41.8	97.7	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
झारखंड	28.0	28.0	22.0	144.9	144.9	130.0	—	—	—	1.5	1.5	—
कर्नाटक	1538.2	1019.9	1111.7	42923.5	33016.6	32479.0	855.2	612.4	367.0	—	—	—
केरल	3.5	2.1	1.4	275.6	269.8	273.0	6.2	3.9	4.8	—	—	—
मध्य प्रदेश	4096.2	4567.6	2996.1	1660.4	1616.0	2084.0	245.1	394.3	379.3	—	—	—
महाराष्ट्र	2098.8	2226.4	2326.7	49589.0	45140.0	37015.0	1802.6	2689.6	2596.1	—	—	—
मणिपुर	1.3	0.4	1.0	24.2	21.2	22.2	—	—	0.0	—	—	—
मेघालय	6.3	6.4	6.4	0.2	0.2	0.3	7.7	7.9	7.8	35.8	25.1	35.8
मिजोरम	5.4	5.1	5.1	6.4	9.4	7.4	1.2	1.0	0.2	—	—	—
नागालैंड	46.1	53.2	74.0	35.0	50.0	80.0	0.4	2.9	2.9	0.5	—	—
उड़ीसा	117.9	137.5	114.4	963.9	644.0	753.2	65.3	54.7	47.0	36.5	37.8	51.2
पंजाब	87.4	82.6	92.0	7770.0	9250.0	9290.0	1199.0	1307.0	1083.0	—	—	—
राजस्थान	2032.6	3129.0	1754.4	561.3	432.2	421.7	805.4	280.8	252.4	—	—	—
सिक्किम	6.9	6.9	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	1440.4	1313.0	1023.3	33188.0	32620.0	30282.2	316.6	326.1	153.2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
त्रिपुरा	4.7	3.8	4.3	54.1	52.7	56.2	1.3	1.9	1.4	12.5	11.9	11.2
उत्तर प्रदेश	1144.6	1034.0	873.0	106067.5	117982.0	116324.0	4.8	4.6	6.9	—	—	—
उत्तरांचल	14.5	17.7	23.0	7349.2	7555.3	7708.0	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	571.0	495.4	476.2	1465.6	1983.4	1281.3	2.7	4.5	1.8	7428.4	8836.2	8505.5
अ. नि. द्वीप समूह	—	—	—	4.7	2.4	3.9	—	—	—	—	—	—
दादर व न. हवेली	0.1	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	0.7	3.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	2.3	2.0	2.1	200.4	197.4	202.7	2.3	2.2	2.1	—	—	—
कुल भारत	18436.8	20662.4	15058.9	295956.2	297207.8	281574.8	9523.8	9997.0	8715.8	9317.0	10583.9	10299.1

*प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 000 गांठें

**प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की 000 गांठें

पर्यावरणीय शरणार्थियों पर यू.एन.ई.पी. की रिपोर्ट

174. श्री तथागत सत्पथी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा बांध विवाद और तमिलनाडु में जल मार्गों की सफाई की वजह से हुए विस्थापन का पर्यावरणीय शरणार्थियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या लगभग 25 मिलियन लोगों के विस्थापित होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विस्थापित शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएंगे। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं वर्ष 2004-2005 के लिए जल और विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (आई) लि. तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 59/2004]

अध्यक्ष महोदय: श्री कांतिलाल भूरिया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, यह क्या बात है कि यहां मंत्री बैठे नहीं है। *...(व्यवधान)* किसी भी मंत्री ने पेपर्स ले नहीं किये है। *...(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): मैं यहां बैठा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ठीक कह रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): अध्यक्ष महोदय, श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1)(एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 60/2004]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए था। कृपया बैठ जाइए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): अध्यक्ष महोदय, मैंने पेपर्स ले कर दिये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संबंधित मंत्री को मेरे विचारों से अवगत करा दीजिए। उन्हें समय पर यहां उपस्थित होना चाहिए था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगली मद लेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने देश में फैले भयंकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की है जबकि दूसरी तरफ इन्होंने दागी मंत्रियों को क्लीन चिट दे दी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है। वे गलत बात कह रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले को देखूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसी प्रकार अब्दुल करीम तेलगी के मामले में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, ये इस सभा में इनके नेता द्वारा कही गई बात से मुकर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको नहीं बुलाया है। यदि उचित प्रकार से सूचना दी जाती है तो मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उचित सूचना दीजिए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

अब, अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला लिया जाएगा। श्री रामजीलाल सुमन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

(इस समय डा. सत्यनारायण जटिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैंने आपके नेता को सभी विषयों पर चर्चा की अनुमति देने का आश्वासन दिया है। श्री रामजीलाल सुमन आप बोलना जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हाऊस व्यवस्थित नहीं है। *...(व्यवधान)* आप हाऊस को व्यवस्थित करें तो मैं अपनी बात कहना शुरू करूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सूचना दें तो मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये। सभा को अपना कार्य करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट में जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए। आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते? ये सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबसे यह अपील करता हूं कि मैं सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबसे एक बार पुनः अपील कर रहा हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं सभी मुद्दों को उठाने की अनुमति दूंगा। मैंने आपके नेताओं से यह आग्रह किया है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

(एक) आंध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादकों के कल्याणार्थ समुचित उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, आंध्र प्रदेश मिर्च के उत्पादन में सबसे आगे है। वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य में मिर्च के विपणन की समस्या रही है खुले बाजार में कीमतों में अत्यधिक गिरावट के कारण मिर्च का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जो कि लाभकारी नहीं है।

बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत मार्कफेड ने बाजार में प्रवेश किया परन्तु वह किसानों से सारा मिर्च भंडार नहीं खरीद सका। 1.6.2004 को मिर्च के 20,00,000 बोरे बिक्री के लिए पड़े थे।

महोदय, मिर्च उत्पादक किसानों की समस्या के मद्देनजर मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप

*सभा पटल पर रखे माने गये।

करे और नाफेड को बाजार में प्रवेश करने और 3000 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसे खरीदने का निर्देश दें और केन्द्रीय भांडागार निगम के माध्यम से शीतागार सुविधाओं की व्यवस्था भी करे।

मिर्च उत्पादक किसानों के लाभार्थ मैं केन्द्र सरकार से निम्नलिखित उपाय करने का आग्रह करता हूं:-

(1) केन्द्रीय भांडागार गोदामों और मार्केट यार्ड गोदामों में स्टाक के भंडारण हेतु आबंटन।

(2) रिथू बंडू योजना से ऋण स्वीकृत कराना

(3) और अधिक बिक्री केन्द्र खोलना।

(4) किसानों से प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार को सलाह देकर मिर्च पर लगाये गए चार प्रतिशत के क्रय कर के भुगतान से छूट देना। वर्तमान में इससे प्रति क्विंटल औसतन 100 रुपये की लागत आती है।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक सोसायटी को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री दिन्शा पटेल (कैरा): महोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक सोसायटी, शाही बाग, अहमदाबाद को छोड़कर सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में दिल्ली में या अन्यत्र कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया गया है। इस संगठन ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक बनाने की कोशिश की है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सोसायटी को अपनी विकास योजना की सहायता के रूप में 25 करोड़ रुपये दिये जाएं।

(तीन) आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में पुलीचिंतला जलाशय के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, कृष्णा डेल्टा अचकट की 13 लाख एकड़ आर्द्र भूमि (जिस पर पिछले 130 वर्षों से खेती की जा रही है) को बचाने के लिए शीघ्र ही युद्धस्तर पर पुलिचिन्तला जलाशय का निर्माण प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यहां पिछले दो वर्षों से बिल्कुल पानी नहीं है। इससे 40 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं तथा 4000 करोड़ मूल्य की फसल का नुकसान हुआ है और इसके कारण कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की हैं।

भारत सरकार को इस परियोजना को दो वर्षों में पूरा करने के लिए आवश्यक अनुदान या कम ब्याज दर पर 1000 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था कर राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

यह परियोजना आर्थिक दृष्टिकोण से काफी बचत वाली है। इससे किसानों और राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 4000 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की जा सकेगी और साथ ही इससे प्रतिवर्ष लगभग 440 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करके कृष्णा डेल्टा के किसानों को बचाने का आग्रह करता हूं।

(चार) तमिलनाडु में डिंडीगुल-पलानी-कोयम्बटूर-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 पर ओडनचत्रम टाउन में दोतरफा सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मेरे संसदीय क्षेत्र पला·ी, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का ओडनचत्रम टाउन, सब्जियों और दुग्ध उत्पादों के लिए प्रसिद्ध वणिज्यिक कस्बा है। कस्बे में बहुत बड़ा सब्जी एवं मक्खन बाजार है। डिंडिगुल, इरोड तथा अन्य नजदीकी जिलों के हजारों व्यापारी सब्जी तथा मक्खन का व्यापार करने इस कस्बे में आते हैं। साथ ही, भगवान कार्तिक का प्रसिद्ध मंदिर पलानी में स्थित है जो ओडनचत्रम के बहुत नजदीक है। पलानी मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को ओडनचत्रम से गुजरना पड़ता है। वाणिज्यिक कस्बा होने तथा नजदीक में ही तीर्थस्थल होने के कारण कस्बे में अत्यधिक यातायात रहता है। ओडनचत्रम टाउन में डिंडीगुल-पलानी-कोयम्बटूर-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग 209 पर दो तरफा सड़क बनाने की मांग दीर्घ-काल से चली आ रही है। इस बारे में पूर्व में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा गया था।

अत: मेरा अनुरोध है कि उक्त राजमार्ग पर दो तरफा सड़क के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए तथा सामान्य जनता के साथ-साथ व्यापार में लगे लोगों के ईंधन, समय एवं ऊर्जा को नष्ट होने से बचाने के लिए इस उद्देश्य हेतु आवश्यक धनराशि तुरन्त जारी की जाए।

(पांच) उड़ीसा के मल्कानगिरी, जेपोर, नवरंगपुर और उमरकोट से होते हुए आंध्र प्रदेश में खम्माम और छत्तीसगढ़ में धमतारी के बीच रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर): मैं, भारत सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के सीमा क्षेत्रों में अपर्याप्त रेल सुविधाओं की ओर आकर्षित करता हूं। इन सभी क्षेत्रों में अधिकांशतया आदिवासी निवास करते हैं। विद्युत रेल संपर्क सुविधा

[श्री परसुराम माझी]

न होने से इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आंध्र प्रदेश में खम्मान तथा छत्तीसगढ़ में धनतारी के बीच मलकानगिरी, जेपोर, नवरंगपुर तथा उमरकोट, उड़ीसा के रास्ते एक रेल लाइन का निर्माण कर दिया जाए तो इन तीनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के लोगों को बहुत अधिक लाभ होगा। प्रस्तावित लाइन की लम्बाई लगभग 500 कि.मी. होगी।

चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 वर्ष बाद भी इन क्षेत्रों के लोग आधारभूत रेल सुविधाओं से वंचित है, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान परियोजना के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान कर खम्माम तथा मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नवरंगपुर को जोड़ते हुए धनतारी के बीच रेल लाइन का निर्माण शुरू करें।

[हिन्दी]

(छह) मानसरोवर, सिंधु दर्शन और अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की समुचित सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, देश में तीर्थयात्रा एवं तीर्थयात्रियों की ऐतिहासिक, धामिर्क, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परम्परा है।

मानसरोवर, सिन्धु दर्शन एवं अमरनाथ की यात्राएं और यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा की ओर विशेष उपाय करना आवश्यक है। इन यात्रा की तिथियों और यात्रा अवधि का भी विशेष महत्व है। अतएव जहां उक्त यात्राओं के लिए सरकारी सहायता, अनुदान एवं सुरक्षा प्रबंध आवश्यक है वहीं इसके लिए इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से परामर्श कर राज्य तथा केन्द्र सरकार का समन्वय भी आवश्यक है। इस संबंध में धर्मयात्रा संघ एवं अन्य संस्थाओं ने समय-समय पर प्रतिवेदन दिए हैं।

अतएव केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक प्रणाली सुनिश्चित करने का प्रबंध किया जाये।

(सात) उत्तर प्रदेश के जालौर जनपद के जयप्रकाश नगर में लगी आग में अनुसूचित जाति के जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद-जालौन के कस्बा कौंच के जयप्रकाश नगर में दिनांक 18.5.2004 को अनुसूचित जाति (कौरी समाज) के सामूहिक रूप से करीब एक दर्जन से ऊपर मकान जला दिये गये हैं। पीड़ित व्यक्ति आज तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और वह भयभीत हैं। केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाये तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये तथा उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाये। उन्हें पुन: स्थापित किया जाये, जिससे वे अपने घरों में सुरक्षित रह सकें।

(आठ) मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जावरा, सीतामऊ, भानपुरा, गरोठ तथा कुकडेश्वर में अत्यंत अल्पशक्ति के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र होने के कारण कुछ किलोमीटर की दूरी तक ही लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है। इन प्रसारण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने के बारे में बार-बार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद कोई समाधानकारक कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुयी है। यदि इन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ा दी जाती है तो वर्तमान में जिन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग की जा रही है उन क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित हो सकेंगे।

अत: मेरा सूचना प्रसारण मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जावरा, सीतामऊ, भानपुरा, गरोठ आदि में स्थापित अत्यंत अल्पशक्ति के दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें ताकि यहां के तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

(नौ) केरल में क्विलोन बाइपास परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): केरल के लोगों की विशेषकर क्विलोन के लोगों की क्विलोन बाई-पास पूर्ण किये जाने की दीर्घकालीन मांग रही हैं। यह कार्य चार चरणों में पूरा होना था तथा इसके प्रथम दो चरण पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। यद्यपि तृतीय एवं अंतिम चरण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है लेकिन केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से अनुमति के अभाव में कार्य शुरू नहीं हो सका है। क्विलोन का हाल ही में निगम के रूप में उन्नयन हुआ है तथा अत्यधिक यातायात एक निरन्तर समस्या है जिस पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यदि क्विलोन बाईपास बन जाता है तो काफी हद तक अत्यधिक यातायात की समस्या सुलझ सकती है। इसके निर्माण में अकारण देरी से लोगों के दिमाग में असंतोष तथा नाराजगी पैदा हुई है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से बिना किसी देरी के परियोजना को पूरा करने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश के आगरा में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राज बब्बर (आगरा): अध्यक्ष महोदय, आगरा में पिछले कई वर्षों से पानी की कमी की गंभीर समस्या चल रहा है। वहां के निवासी पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं। कई वर्षों से इस समस्या को दूर करने के लिए सर्वे भी चल रहे हैं, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं बनी हुयी है। सर्वे से पता चला है कि कई जगह जमीन के पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी है और वह पानी न पीने योग्य है न खेती करने योग्य है। फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी की सबसे गंभीर समस्या है। पानी की कमी की वजह से वहां के कई गांवों में शादियां नहीं हो पा रही हैं।

गरीबों और दलितों का तो और भी बुरा हाल है, उन्हें पानी के लिए कई मील पैदल चलकर भी पानी नहीं मिला। पानी की कमी की वजह से वहां का किसान न तो हल चला सकता है और न ही अपने खाने के लिए कुछ पैदा कर सकता है। आगरा क्षेत्र की सारी नहरें सूखी पड़ी हुयी है, जिससे किसानों की समस्या और गंभीर हो गयी है।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि एक ऐसा पैकेज प्रोग्राम बनाएं, जिससे वहां की पानी की समस्या का निदान हो सके और वहां के निवासी चैन की सांस ले सकें।

(ग्यारह) बिहार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए वित्तीय पैकेज मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने झारखंड निर्माण से बिहार को हुए भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय पैकेज देने का वायदा किया था, लेकिन वायदा पूरा नहीं हुआ। स्व. राजीव गांधी के शासन काल के दौरान भी बिहार के विकास के लिए 57 अरब रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन इस पर भी सरकार ने अमल नहीं किया। बिहार में अधिकतर परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं और बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार सरकार ने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए केन्द्र सरकार से 111.6 अरब रुपए की जो वित्तीय सहायता की मांग की है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

(बारह) पाकिस्तान उच्चायोग से वीजा प्राप्त करने में भारतीयों को हो रही समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान पाकिस्तान में बसे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान के हाई कमीशन, नई दिल्ली के यहां देश के कोने-कोने से आये नागरिक, महिलायें, बच्चे वीजा के लिए हफ्ता-हफ्ता फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। उन्हें पूरे-पूरे दिन लाइन में खड़े रहना पड़ता है। परन्तु, हाई कमीश्नर से इन लोगों को कोई भी सही बात नहीं बतायी जाती है। पूरे-पूरे दिन टेलीफोन पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है और न ही टेलीफोन उठाता है। पाकिस्तान हाई कमीशन को चाहिए कि टोकन प्रणाली शुरू करें और दूरदराज से आये लोगों को बता दिया जाया करे कि वह वीजा के लिए कब आये। पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास में पाकिस्तानी नागरिकों को टोकन दिये जाते हैं तथा वीजा के लिए तिथि और समय निश्चित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तथा असुविधा नहीं होती है। यही टोकन प्रणाली पाकिस्तान हाई कमीशन को यहां भी शुरू करनी चाहिए। टोकन प्रणाली का तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन जमा होने वाले सभी पासपोर्ट व वीजा फार्म प्राप्त करके उनको वीजा देने या न देने के लिए तारीख व समय निश्चित कर दी जाये। इस संबंध में विदेश मंत्रालय को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

(तेरह) उड़ीसा के बालासोर दूरसंचार सर्किल में लगायी गई डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): उड़ीसा के बालासोर टेलीकाम जिला में संस्थापित डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली की असफलता से टेलीफोन के ग्राहकों में बहुत अधिक असंतोष बढ़ा है। इसके लिए प्राधिकारी से कई शिकायतें की गयी हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इस बारे में अभी तक कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं। इससे स्थिति और खराब हो गयी है क्योंकि ग्राहकों हेतु टेलीफोन स्थापित करने का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में केबल उपलब्ध नहीं है। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह केबल उपलब्ध कराकर तथा डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली के उचित रखरखाव के द्वारा ग्राहकों के हित साधन में स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाये।

[हिन्दी]

(चौदह) झारखंड सरकार को राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य अलग बनने के बाद बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव हो गया है लेकिन झारखण्ड राज्य निर्माण के बाद सरकार की घोषणा के बावजूद चुनाव नहीं हुआ। ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होने से 370 करोड़ रुपया हर वर्ष नवसृजित राज्य झारखण्ड में ग्राम पंचायतों को नुकसान हो रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि झारखण्ड सरकार को पंचायत का चुनाव करवाने हेतु आवश्यक निर्देश दें।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) जाम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 78 हेक्टेयर वन भूमि दिए जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): महोदय, केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2(ii) के अंतर्गत भूमि के अपयोजन से संबंधित जाम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी देने में असमर्थता व्यक्त की है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद 37.73 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी तथा लगभग 53,444 व्यक्तियों को गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही, इससे कोल्हापुर के चांडगड तालुक में काजू की खेती को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है।

महोदय मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वहा जाम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए 78 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन हेतु मंजूरी दे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल मंगलवार, 6 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 जुलाई, 2004/15 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एस. अजय कुमार श्री लक्ष्मण सेठ	1
2.	श्री पी.के. वासुदेवन नायर श्री उदय सिंह	2
3.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री कीर्ति वर्धन सिंह	3
4.	श्री पुन्नूलाल मोहले	4
5.	श्री शिवराज सिंह चौहान	5
6.	श्रीमती निवेदिता माने श्री विजय कृष्ण	6
7.	श्री पी. राजेन्द्रन श्री मित्रसेन यादव	7
8.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	8
9.	श्री चन्द्रकांत खैरे	9
10.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण	10
11.	डा. एम. जगन्नाथ	11
12.	श्री श्रीनवास पाटील	12
13.	श्री कैलाश मेघवाल श्री के.एस. राव	13
14.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्री शिवाजी अधलराव पाटील	14
15.	श्री निखिल कुमार चौधरी	15
16.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	16
17.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	17
18.	श्री निखिल कुमार	18
19.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री बीर सिंह महतो	19
20.	श्री प्रबोध पाण्डा	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
अबदुल्लाकुट्टी, श्री	7
अप्पादुरई, श्री एम.	53
आठवले, श्री रामदास बंडु	1, 111, 149, 171
बैठा, श्री कैलाश	39
बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	67
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	46, 101, 104, 132, 169
बुधौलिया, श्री राजनरायन	8, 69, 128
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	48, 105, 145
चक्रवर्ती, श्री अजय	89, 133, 161
चालिहा, श्री किरिप	10, 22
चन्देल, श्री सुरेश	5, 45, 103, 142, 168
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	128
चौधरी, श्री निखिल कुमार	87
चौहान, श्री शिवराज सिंह	80, 152
चौधरी, श्री अधीर	25, 76, 88, 118, 135
चौधरी, श्री विकास	32
दासगुप्त, श्री गुरुदास	135
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3
डोम, डा. रामचन्द्र	2
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	43, 58
गढ़वी, श्री पी.एस.	34, 130
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	27
हसन, श्री मुनव्वर	29, 93, 135, 163
जगन्नाथ, डा. एम.	83, 129
झा, श्री रघुनाथ	19, 72, 141, 167
कामत, श्री गुरुदास	62, 115, 158
कनोडीया, श्री महेश	167
करुणाकरन, श्री पी.	54
खां, श्री सुनील	4, 117
कृष्ण, श्री विजय	11, 40, 81, 125
कृष्णदास, श्री एन.एन.	57, 110, 112, 150, 172
कुरूप, श्री सुरेश	38
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	46, 102
'लल्लन', श्री राजीव रंजन सिंह	30, 95, 132

1	2
महाजन, श्री वाई.जी.	69
महतो, श्री बीर सिंह	92, 131
माझी, श्री परसुराम	41, 156
माकन, श्री अजय	65, 118, 154
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	81, 125, 158
माने, श्रीमती निवेदिता	81, 125, 127, 158
मरांडी, श्री बाबू लाल	42
मेघवाल, श्री कैलाश	85, 130, 159
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	66, 120, 125
मोहले, श्री पुन्नूलाल	79, 126
मूर्ति, श्री ए.के.	21, 74, 123
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	77, 124, 156
नायक, श्री अनन्त	13, 47, 70, 144, 170
निहाल चन्द, श्री	106, 132
निखिल कुमार, श्री	88, 132
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	49, 107
नीतीश कुमार, श्री	132, 136
ओवेसी, श्री असादुद्दीन	35, 97, 137, 164
पाण्डा, श्री प्रबोध	91, 134, 162
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	31
परस्ते, श्री दलपत सिंह	17, 109, 147
पासवान, श्री सुकदेव	61, 87, 119
पटेल, श्री दिन्शा	63, 116
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	64, 125, 136
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	43, 101, 140, 166
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	84
प्रसाद, श्री हरिकेवल	125, 131
राधाकृष्णन, श्री वरकला	60, 114
राजेन्द्रन, श्री पी.	82
राव, श्री के.एस.	130, 159
राव, श्री रायापति सांबासिवा	26, 78, 125, 157
रावले, श्री मोहन	9, 94
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	18, 132, 134
साय, श्री विष्णु देव	56
सतीदेवी, श्रीमती पी.	100
सत्पथी, श्री तथागत	15, 77, 90, 153, 174

1	2
सेन, श्रीमती मिनाती	12, 32, 100
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	33, 96
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	87
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	37, 99, 135, 139, 165
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	50, 108, 146
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	28
सिंह, श्री दुष्यंत	20, 73, 143, 151, 173
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	81, 125, 127, 158
सिंह, श्री प्रभुनाथ	59, 113, 167
सिंह, श्री उदय	51, 110, 124, 148
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	167

1	2
सुब्बा, श्री एम.के.	10, 16, 23, 75
सुजाता, श्रीमती सी.एस.	52, 125
सुमन, श्री रामजीलाल	30, 95, 136
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	14, 71, 122, 155
थामस, श्री पी.सी.	36, 98, 138
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	55
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	92, 125
विनोद कुमार, श्री बी.	6, 68, 121
वीरेन्द्र कुमार, श्री	80, 86, 131, 160
वाघमारे, श्री सुरेश	24
यादव, श्री मित्रसेन	169
यादव, श्री राम कृपाल	28, 33, 44, 125

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3, 4, 5, 8, 10, 15, 17, 20
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	14
पर्यावरण और वन	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
श्रम और रोजगार	:	1, 6, 11, 19
पर्यटन	:	
जल संसाधन	:	2, 12, 13, 16, 18
युवक कार्यक्रम और खेल	:	7, 9

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2, 3, 4, 6, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 36, 40, 56, 57, 65, 66, 69, 70, 74, 76, 82, 84, 87, 95, 98, 102, 104, 105, 116, 118, 129, 134, 138, 141, 144, 151, 154, 160, 165, 169, 170, 173
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	11, 19, 26, 35, 43, 46, 52, 59, 60, 63, 68, 72, 79, 85, 93, 107, 113, 117, 125, 126, 128, 130, 146, 149, 156, 167
पर्यावरण और वन	:	13, 15, 16, 27, 33, 34, 42, 45, 49, 67, 71, 106, 108, 109, 111, 112, 124, 127, 140, 142, 148, 153, 155, 163, 174
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	61, 121, 139, 145
श्रम और रोजगार	:	1, 23, 29, 30, 32, 39, 44, 51, 54, 58, 73, 91, 92, 94, 100, 103, 114, 119, 122, 131, 132, 133, 135, 147, 150, 166
पर्यटन	:	5, 8, 10, 17, 31, 37, 38, 53, 62, 80, 96, 97, 101, 115, 123, 137, 143, 152, 158, 159
जल संसाधन	:	7, 9, 14, 22, 28, 41, 47, 48, 50, 55, 64, 75, 77, 78, 83, 86, 89, 90, 110, 120, 136, 157, 161, 164, 171
युवक कार्यक्रम और खेल	:	81, 88, 99, 162, 168, 172

पी.एल.एस.-48/2/1/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।